जनवरी, 2024

I.S.S.N. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय
निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. राजीव मणि,
सचिव, विधायी विभाग

श्री अश्वनी,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधायी विभाग, (विभागाध्यक्ष) वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. आर्येन्दु द्विवेदी,
प्राचार्य, मां वैष्णों देवी ला कालेज
फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ, उ.प्र.

श्री कुलदीप चौहान,
चेयरमैन, एस.आर.सी. ला कालेज
129, सेक्टर-1, मंगल पाण्डेय नगर,
मेरठ, उ.प्र.

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री दयाल चन्द ग्रोवर,
सेवानिवृत्त उप-संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री अविनाश शुक्ला,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा,
संपादक

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह, जसवन्त सिंह, जाह्नवी शेखर शर्मा और अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

परामर्शदाता : सर्वश्री कमला कान्त, असलम खान और अविनाश शुक्ला

ISSN 2457-0494

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ` 195/-

वार्षिक : ` 2,100/-

© **2024 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2024 अंक - 1

संपादक

पुण्डरीक शर्मा

[2024] 1 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001. दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

क्या ऐसे किसी मामले में जहां पत्नी विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ मुंबई चली गई थी और फिर अपनी इच्छा या अन्यथा से अपने दांपत्य निवास से चली गई और इसके चार वर्षों तक उसने दहेज के लिए तंग करने के बारे में ससुराल वालों के विरुद्ध कोई शिकायत फाइल नहीं की और ससुराल के सदस्यों के साथ उसका मिलना-जुलना केवल त्यौहार के दौरान तीन-चार बार हुआ और पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए मामला फाइल करने के कुछ समय पूर्व ही उसके द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई तथा ससुराल वालों (अपीलार्थियों) के विरुद्ध किए गए अभिकथन केवल साधारण प्रकृति के होने के कारण और अलग-अलग स्थानों पर रह रहे अपीलार्थियों द्वारा कैसे उसे दहेज के लिए तंग किया गया था, इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा विद्यमान नहीं है, वहां न्यायालय द्वारा ससुराल पक्ष के अपीलार्थियों के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जा सकता है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अभिषेक** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** [2024] 1 उम. नि. प. 1 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता के अभिकथन अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे और इसलिए उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही को जारी रखने से उनके प्रति पूरी तरह से अन्याय होगा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है

और मामले के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र फाइल हो जाने के पश्चात् भी उच्च न्यायालय को धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को ग्रहण और कार्यवाही करने की शक्ति है ।

क्या ऐसे किसी मामले में जहां पति द्‌वारा अपनी पत्नी (मृतका) के साथ घरेलू कार्य को ठीक से करने को लेकर क्रूरता और दुर्व्यवहार किया गया हो और उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया हो तथा पत्नी द्‌वारा दो माह के पश्चात् अपने पैतृक गृह में आत्महत्या कर ली गई हो, वहां पति/अभियुक्त को मृतका के साथ क्रूरता करने और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्‌ध और दंडादिष्ट किया जा सकता है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कमलाकर** बनाम **कर्नाटक राज्य** [2024] 1 उम. नि. प. 23 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और मृतका के साथ क्रूरता करने के संबंध में उपधारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त द्‌वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और मृतका द्‌वारा घरेलू कार्य उचित प्रकार से न करने के कारण उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार करने तथा उसे उसके पैतृक गृह में छोड़ देने और फिर वापस न ले जाने के विनिर्दिष्ट स्पष्ट कृत्य के अभ्यारोपण का साक्षियों द्‌वारा समर्थन किया गया है, अत: धारा 498क के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्‌धि उचित है किंतु मृतका और अभियुक्त के बीच वैवाहिक तनातनी तथा बाद में मृतका द्‌वारा स्वयं को जलाकर अपनी मृत्यु कारित करने के बीच कोई सन्निकट संबंध प्रतीत न होने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य न होने के कारण धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अंक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2024

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अभिषेक **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	1
कमलाकर **बनाम** कर्नाटक राज्य	23
माणक चंद **उर्फ** मणि **बनाम** हरियाणा राज्य	37
मो. सिद्दीक (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि **बनाम** महंत सुरेश दास और अन्य	703

संसद् के अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 22

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 482 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति – पत्नी द्वारा पति सहित अपनी सास और देवरों के विरुद्ध उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए तंग करने का अभिकथन करते हुए पुलिस थाने में शिकायत फाइल किया जाना – अपीलार्थियों (सास और देवरों) द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त किया जाना – अपीलार्थियों द्वारा आरोप पत्र और कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया जाना – इसी बीच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा आवेदनों को खारिज किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां मामले के तथ्यों से यह दर्शित होता हो कि पत्नी विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ मुंबई चली गई थी और फिर अपनी इच्छा या अन्यथा से अपने दांपत्य निवास से चली गई और इसके चार वर्षों तक उसने दहेज के लिए तंग करने के बारे में ससुराल वालों के विरुद्ध कोई शिकायत फाइल नहीं की और ससुराल के सदस्यों के साथ उसका मिलना-जुलना केवल त्यौहार के दौरान तीन-चार बार हुआ और पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए मामला फाइल करने के कुछ समय पूर्व ही उसके द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई तथा ससुराल वालों (अपीलार्थियों) के विरुद्ध किए गए अभिकथन केवल साधारण प्रकृति के होने के

पृष्ठ संख्या

कारण और अलग-अलग स्थानों पर रह रहे अपीलार्थियों द्वारा कैसे उसे दहेज के लिए तंग किया गया था, इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा न होने के कारण उसके अभिकथन अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे इसलिए उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही को जारी रखने से उनके प्रति पूरी तरह से अन्याय होगा और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने का यह एक उपयुक्त मामला था और मामले के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र फाइल हो जाने के पश्चात् भी उच्च न्यायालय को धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को ग्रहण और कार्यवाही करने की शक्ति है ।

अभिषेक बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 1

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री के साथ उसकी बहिन की ससुराल में बहिन के देवर द्वारा बलात्संग करने और दो-तीन बार इसकी पुनरावृत्ति करने का अभिकथन किया जाना – अभियोक्त्री द्वारा डेढ माह के पश्चात् अपनी माता को घटना का उल्लेख किया जाना – अभियुक्त के परिवार द्वारा अभियुक्त के साथ अभियोक्त्री के विवाह का प्रस्ताव पहले स्वीकार और फिर अस्वीकार करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – विद्यालय प्रमाणपत्र के अनुसार घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष और उसकी माता द्वारा उसकी आयु 16 वर्ष बताया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री के अप्राप्तवय होने के आधार पर अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

को दोषसिद्ध किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि – अभियोक्त्री की आयु के बारे में विरोधाभासी साक्ष्य होने, अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए अस्थि-विकास परीक्षण न कराए जाने, चिकित्सीय साक्ष्य में अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक उल्लिखित होने, बलात्संग की अभिकथित पहली घटना के दिन अभियोक्त्री को एक अन्य स्थान पर स्थित विद्यायल में उपस्थित होने का साक्ष्य दिए जाने, इन सभी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियोक्त्री के साथ किया गया मैथुन उसकी इच्छा के विरुद्ध था या सहमतिजन्य और इसलिए अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

माणक चंद उर्फ **मणि** बनाम **हरियाणा राज्य** 37

– धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री का एकमात्र परिसाक्ष्य – दोषसिद्धि – साक्ष्यिक महत्व – अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु न्यायालयों को ऐसे एकमात्र परिसाक्ष्य की परीक्षा करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए और चूंकि अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों को ऋजु विचारण का अधिकार है इसलिए जहां अभियोक्त्री के कथन से विश्वास प्रेरित न होता हो और संदेह पैदा होता हो, वहां न्यायालय को अवश्य संपुष्टिकारी साक्ष्य की खोज करनी चाहिए ।

माणक चंद उर्फ **मणि** बनाम **हरियाणा राज्य** 37

– धारा 498क, धारा 306 और 107 – स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता और

पृष्ठ संख्या

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी (मृतका) के साथ घरेलू कार्य को ठीक से करने को लेकर क्रूरता और दुर्व्यवहार करना और उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया जाना – पत्नी द्वारा दो माह के पश्चात् अपने पैतृक गृह में आत्महत्या कर लिया जाना – अभियुक्त को मृतका के साथ क्रूरता करने और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – जहां मामले के तथ्यों से यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और मृतका के साथ क्रूरता करने के संबंध में उपधारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और मृतका द्वारा घरेलू कार्य उचित प्रकार से न करने के कारण उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार करने तथा उसे उसके पैतृक गृह में छोड़ देने और फिर वापस न ले जाने के विनिर्दिष्ट स्पष्ट कृत्य के अभ्यारोपण का साक्षियों द्वारा समर्थन किया गया हो, वहां धारा 498क के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है किंतु मृतका और अभियुक्त के बीच वैवाहिक तनातनी तथा बाद में मृतका द्वारा स्वयं को जलाकर अपनी मृत्यु कारित करने के बीच कोई सन्निकट संबंध प्रतीत न होने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य न होने के कारण धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

कमलाकर बनामा **कर्नाटक राज्य** 23

[2024] 1 उम. नि. प. 1

अभिषेक

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2015 की दांडिक अपील सं. 1456-1457]

31 अगस्त, 2023

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति – पत्नी द्वारा पति सहित अपनी सास और देवरों के विरुद्ध उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए तंग करने का अभिकथन करते हुए पुलिस थाने में शिकायत फाइल किया जाना – अपीलार्थियों (सास और देवरों) द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त किया जाना – अपीलार्थियों द्वारा आरोप पत्र और कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया जाना – इसी बीच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा आवेदनों को खारिज किया जाना – उच्चतम न्यायालय में अपील – जहां मामले के तथ्यों से यह दर्शित होता हो कि पत्नी विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ मुंबई चली गई थी और फिर अपनी इच्छा या अन्यथा से अपने दांपत्य निवास से चली गई और इसके चार वर्षों तक उसने दहेज के लिए तंग करने के बारे में ससुराल वालों के विरुद्ध कोई शिकायत फाइल नहीं की और ससुराल के सदस्यों के साथ उसका मिलना-जुलना केवल त्यौहार के दौरान तीन-चार बार हुआ और पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए मामला फाइल करने के कुछ समय पूर्व ही उसके द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई तथा ससुराल

वालों (अपीलार्थियों) के विरुद्ध किए गए अभिकथन केवल साधारण प्रकृति के होने के कारण और अलग-अलग स्थानों पर रह रहे अपीलार्थियों द्वारा कैसे उसे दहेज के लिए तंग किया गया था, इस बारे में कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा न होने के कारण उसके अभिकथन अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे इसलिए उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही को जारी रखने से उनके प्रति पूरी तरह से अन्याय होगा और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने का यह एक उपयुक्त मामला था और मामले के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र फाइल हो जाने के पश्चात् भी उच्च न्यायालय को धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को ग्रहण और कार्यवाही करने की शक्ति है ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि भावना का विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को निमिष के साथ हुआ था । उनका विवाह माता-पिता द्वारा तय किया गया विवाह था और इंदौर, मध्य प्रदेश में अनुष्ठापित हुआ था । भावना पेशे से अध्यापिका थी । निमिष मुंबई में फिल्म उद्योग में कार्यरत था और फिल्म संपादन का कार्य करता था । विवाह के पश्चात् दंपत्ति तारीख 8 जुलाई, 2007 को मुंबई चले गए । भावना मध्य प्रदेश में अपनी ससुराल में वर्ष 2008 में दीपावली के पर्व सहित केवल तीन या चार अवसरों पर गई थी । भावना तारीख 25 फरवरी, 2009 को स्वयं अपनी इच्छा से या अन्यथा मुंबई स्थित दांपत्य निवास से अलग हो गई और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी । उसकी सास द्वारा पुलिस थाने में एक अभ्यावेदन यह आशंका करते हुए दिया कि भावना उनके विरुद्ध दहेज के लिए तंग करने के लांछन लगा सकती है । निमिष द्वारा तारीख 8 मई, 2013 को विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल की गई । इस विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल किए जाने से पूर्व भावना ने तारीख 5 फरवरी, 2013 को पुलिस में अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध कई अभिकथन करते हुए एक लिखित शिकायत दी । परिणामस्वरूप, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । सभी तीनों अपीलार्थियों ने

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली । अपीलार्थी फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गए । भावना की सास कुसुम लता और देवर सौरभ तथा अभिषेक द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने का निवेदन करते हुए दो मामले फाइल किए गए । इन मामलों के लंबित रहने के दौरान पुलिस ने अपना अन्वेषण पूरा किया और सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । तदुपरांत, कुसुम लता और सौरभ ने आरोप पत्र और कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । तथापि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित करने के लिए दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – सबसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भावना ने स्वीकृत रूप से अपने दांपत्य निवास और अपने ससुराल वालों से फरवरी, 2009 में अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, चाहे यह स्वेच्छापूर्वक किया गया था या अन्यथा, किंतु उसने दहेज के लिए तंग करने के संबंध में वर्ष 2013 तक उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी । आश्चर्यजनक रूप से, तारीख 9 फरवरी, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 में यह अभिलिखित है कि अपराध तारीख 2 जुलाई, 2007 से 5 फरवरी, 2013 तक किया गया था किंतु भावना द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध फरवरी, 2009 में उसके द्वारा अपने दांपत्य निवास से चले जाने के पश्चात् कोई अभिकथन नहीं किए गए थे । महत्वपूर्ण रूप से, भावना का निमिष के साथ विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को इंदौर में हुआ था और उसके साथ तारीख 8 जुलाई, 2007 को मुंबई चली गई थी । उसके पश्चात् उसका अपने ससुराल वालों से मिलना-जुलना केवल त्यौहारों के दौरान होना प्रतीत होता है और यह बताया गया है कि यह मिलना-जुलना लगभग तीन या चार बार हुआ था । सौरभ, वास्तुकार वर्ष 2007 से दिल्ली में था । भावना द्वारा उसके विरुद्ध कभी भी कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया था ।

वास्तव में, उसने केवल इस आशय का एक साधारण अभिकथन किया था कि वह भी उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था । उसके द्वारा इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट दृष्टांत नहीं बताया गया था या कैसे उसने उसके साथ दिल्ली से इस प्रकार तंग किया था । इसी प्रकार, अभिषेक उसके विवाह के छह या सात माह पश्चात् न्यायिक अधिकारी बना था तथा उसका भावना और निमिष के साथ मुंबई में रहने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है । उसका भावना के साथ मिलना-जुलना केवल तब होता था जब वह त्यौहारों के दौरान अपनी ससुराल आती थी । आश्चर्यजनक रूप से, भावना ने अभिकथन किया है कि स्वयं अभिषेक के विवाह के समय पर उसने मांग की थी कि भावना और उसके माता-पिता को उसे एक कार और दो लाख रुपए नकद देने चाहिएं । भले ही वह ऐसी अवैधता करने के लिए आनत था, तो भी वह स्वयं अपने विवाह के समय पर अपनी भाभी से क्यों दहेज के लिए कोई ऐसी मांग करेगा, यह बात बेतुकी और समझ से परे है । इसके अतिरिक्त, भावना ने अभिषेक के विरुद्ध उच्च न्यायालय को त्रुटिपूर्ण शिकायत करने की बात मानी थी, इस तथ्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि जहां तक उसके देवर, अभिषेक का संबंध है, उसके इरादे नेक नहीं थे और वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से प्रतिशोध लेना चाहती थी । भावना द्वारा अपनी सास कुसुम लता के विरुद्ध इस संबंध में किया गया यह अभिकथन कि कैसे उसने उसे उस समय ताने मारे थे जब उसने एक मैक्सी पहन ली थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के निबंधनों के अनुसार क्रूरता का गठन करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है । यह न्यायालय यह भी उल्लेख कर सकता है कि स्वयं भावना ने यह दावा किया था कि निमिष वर्ष 2012 में उसके भाई के विवाह में आया था किंतु उसके पास वर्ष 2009 के पश्चात् उसकी सास और उसके देवरों द्वारा उसे दहेज के लिए किसी प्रकार से तंग करने के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस अवधि के लिए भी उसके अभिकथन अधिकांशत: साधारण और बहुप्रयोजन प्रकृति के हैं और ऐसा कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा नहीं है कि कब और कैसे उसके देवरों और सास ने, जो पूरी तरह से अलग-अलग शहरों में रहते थे, उसे दहेज के लिए तंग किया था । भावना के पक्षकथन को सबसे अधिक धराशायी करने वाला तथ्य

यह है कि उसने फरवरी, 2009 में अपने दांपत्य निवास को छोड़ने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और उसके पति द्वारा विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियां संस्थित करने के ठीक पूर्व वर्ष 2013 में दहेज के लिए तंग करने का अभिकथन करते हुए एक शिकायत फाइल की थी । संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध भावना के अभिकथन, जैसे कि वे हैं, पूर्णतया अपर्याप्त हैं और प्रथमदृष्ट्या उनके विरुद्ध कोई मामला सिद्ध नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, वे अभिकथन इतने अस्वाभाविक और अनधिसंभाव्य हैं कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं । अत: ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही चलाने की अनुज्ञा देने से स्पष्ट अन्याय होगा । उच्च न्यायालय के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला था । (पैरा 19, 20, 21 और 22)

इस दलील को खारिज किए जाने की आवश्यकता है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए आवेदन, किसी भी दशा में, खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसके संबंध में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और फाइल पर ले लिया गया है । यह सुस्थिर है कि उच्च न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को पुलिस द्वारा ऐसे आवेदन के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र फाइल कर दिए जाने पर भी इसे ग्रहण और कार्यवाही करने की शक्ति बनी रहती है । (पैरा 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2023]	2023 की दांडिक अपील सं. 2341, तारीख 8 अगस्त, 2023 को विनिश्चित : **महमूद अली और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	16

[2022] (2022) 6 एस. सी. सी. 599 :
काहकाशन कौसर उर्फ **सोनम और अन्य** बनाम
बिहार राज्य और अन्य ; 13

[2021] 2021 की दांडिक अपील सं. 330,
तारीख 13 अप्रैल, 2021 को विनिश्चित :
मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. बनाम
महाराष्ट्र राज्य और अन्य ; 12

[2019] (2019) 14 एस. सी. सी. 568 :
वी. रवि कुमार बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस**
निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सालेम,
तमिलनाडु और अन्य ; 12

[2019] (2019) 11 एस. सी. सी. 706 :
आनंद कुमार मेहता और एक अन्य बनाम **राज्य (राष्ट्रीय**
राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली), गृह विभाग और एक अन्य ; 11

[2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 59 :
जोसफ साल्वराज ए. बनाम **गुजरात राज्य**
और अन्य ; 11

[2010] (2010) 7 एस. सी. सी. 667 :
प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम **झारखंड राज्य**
और एक अन्य ; 14

[2009] (2009) 10 एस. सी. सी. 184 :
नीलू चोपड़ा और एक अन्य बनाम **भारती** ; 15

[1992] (1992) 1 (सप्ली.) एस. सी. सी. 335 :
हरियाणा राज्य और अन्य बनाम **भजन लाल**
और अन्य ; 12, 17, 22

[1960] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866 :
आर. पी. कपूर बनाम **पंजाब राज्य ।** 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 1457 (इसके साथ 2015 की दांडिक अपील सं. 1456).

2014 के एमसीआरसी सं. 2647 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर न्यायपीठ द्वारा तारीख 3 मार्च, 2015 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सिद्धार्थ लूथरा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अनमोल खेता, दुष्यंत दहिया, कुमार कश्यप, कौसर हुसैन और दिनेश चंद्र पांडेय

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अभिनव श्रीवास्तव, सन्नी चौधरी, डा. सस्मित पात्रा, आर. पी. सिंह, शिवांग रावत, पशुपति नाथ राजदान, (सुश्री) निधि, मोहित गिरधर और सार्थक अरोड़ा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – 2015 की दांडिक अपील सं. 1456 में द्वितीय प्रत्यर्थी, भावना का विवाह वर्ष 2007 में निमिष गौड़ के साथ हुआ था । तथापि, उसने अपने विवाह का विघटन कराते हुए तारीख 5 सितंबर, 2019 को विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त की । भावना ने उक्त विवाह-विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध 2019 की प्रथम अपील सं. 1876 फाइल की और वह कथित रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लंबित है । प्रस्तुत अपीलों में भावना के ससुराल वाले अपीलार्थी हैं । कुसुम लता उसकी सास है जबकि अभिषेक और सौरभ उसके देवर हैं ।

2. भावना का विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को निमिष के साथ हुआ था । उनका विवाह माता-पिता द्वारा तय किया गया विवाह था और इंदौर, मध्य प्रदेश में अनुष्ठापित हुआ था । भावना पेशे से अध्यापिका थी । निमिष मुंबई में फिल्म उद्योग में कार्यरत था और फिल्म संपादन का कार्य करता था । विवाह के पश्चात् दंपत्ति तारीख 8

जुलाई, 2007 को मुंबई चले गए । यह बताया गया है कि भावना मध्य प्रदेश में अपनी ससुराल में वर्ष 2008 में दीपावली के पर्व सहित केवल तीन या चार अवसरों पर गई थी । स्वीकृत रूप से, भावना तारीख 25 फरवरी, 2009 को स्वयं अपनी इच्छा से या अन्यथा मुंबई स्थित दांपत्य निवास से अलग हो गई और नरसिंहपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी । उस समय पर कुसुम लता ने तारीख 24 फरवरी, 2009 को पुलिस थाना हीरा नगर, इंदौर में यह आशंका करते हुए अभ्यावेदन दिया कि भावना उसे दहेज के लिए तंग करने के बारे में उनके विरुद्ध लांछन लगा सकती है ।

3. निमिष द्वारा तारीख 8 मई, 2013 को विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल करने के पूर्व भावना ने तारीख 5 फरवरी, 2013 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला नरसिंहपुर में अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध कई अभिकथन करते हुए एक लिखित शिकायत दी । इस शिकायत को हीरा नगर, इंदौर में अधिकारिता वाले पुलिस थाने में भेजा गया । परिणामस्वरूप, उन चारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के अधीन पुलिस थाना हीरा नगर, इंदौर में तारीख 9 फरवरी, 2013 को 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 रजिस्ट्रीकृत की गई । सभी तीनों अपीलार्थियों ने तारीख 9 फरवरी, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 के संबंध में तारीख 6 मार्च, 2013 को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर से 2013 के जमानत आवेदन सं. 634 द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली ।

4. अपीलार्थी फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गए । कुसुम लता और सौरभ ने तारीख 9 फरवरी, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 को अभिखंडित करने का निवेदन करते हुए 2013 का वैवाहिक मामला सं. 6585 फाइल किया जबकि अभिषेक द्वारा 2014 का वैवाहिक दांडिक मामला सं. 2647 फाइल किया गया । इन मामलों के लंबित रहने के दौरान पुलिस ने अपना अन्वेषण पूरा किया और सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । इसे विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर

द्वारा 2014 के दांडिक मामला सं. 11949 में फाइल पर लिया गया । तदुपरांत, कुसुम लता और सौरभ ने 2013 के वैवाहिक दांडिक मामला सं. 6585 में 2014 के दांडिक मामला सं. 11954 में आरोप पत्र और कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए दिनांक 13 अगस्त, 2014 को एक आवेदन फाइल किया । तथापि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तारीख 3 मार्च, 2015 के अलग-अलग आदेशों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिखंडित करने के लिए दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर अपीलार्थी विशेष इजाजत द्वारा इन अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आए हैं ।

5. इस न्यायालय ने दोनों अपीलों में तारीख 30 अक्तूबर, 2015 को पारित एक ही आदेश द्वारा अपीलार्थियों के संबंध में आगामी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी ।

6. भावना ने तारीख 5 फरवरी, 2013 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला नरसिंहपुर में की गई अपनी लिखित शिकायत में कहा था कि निमिष के साथ उसका विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को इंदौर में हुआ था और कहा कि उसके माता-पिता ने 3,50,000/- रुपए नकद, एक सोने की कंठी, कानों का सेट, चांदी की पाजेब, बिछुआ (चुटकी), कीमती साड़ियां और वस्त्र दिए थे । उसने आगे यह कहा कि उसके नातेदारों ने उसे अलग से एक सोने की जंजीर, नथ, बिंदी आदि कई सारे आभूषण और अन्य उपहार दिए थे । उसने अभिकथन किया कि उसकी सास और देवर अभिषेक ने सभी उपहारों की एक सूची बनाई और यह कहते हुए ले लिए : 'भाभी, हम इन्हें बैंक के लॉकर में रखेंगे क्योंकि आपके पास मुंबई में मकान नहीं है और आप इन्हें संभाल नहीं सकोगे' । उसने यह कहा कि वह तारीख 8 जुलाई, 2007 को अपने पति के साथ मुंबई चली गई । उसने इस बारे में कई सारे अभिकथन किए हैं कि कैसे मुंबई में उसके पति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया । फिलहाल उन अभिकथनों की कोई सुसंगतता नहीं है । क्योंकि हमारा सरोकार निमिष से नहीं है । भावना ने यह भी कहा कि उसके पति और सास को दहेज के मुद्दे को लेकर उससे और उसके माता-पिता से शिकायत थीं तथा वे उसे यहां तक कि छुट-पुट बातों को लेकर भी मानसिक रूप से तंग करने

लगे और उसके माता-पिता, भाइयों और बहिन के लिए गलत और असहनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे । उसने कहा कि एक दिन वह अपने बालों पर मेहंदी लगाते समय मैक्सी पहने हुए थी और यह देखकर उसकी सास ने कहा – भावना मैक्सी पहने हुए है इसलिए उसे निःवस्त्र कर दिया जाए और गली में नचाया जाए । उसने अभिकथन किया कि उसकी सास ने विवाह के समय पर दहेज में एक सोने की जंजीर, झुमके, अंगूठी और अन्य सोने के आभूषणों की मांग की थी । उसने यह भी अभिकथन किया कि उसके देवर अभिषेक ने स्वयं अपने विवाह के समय पर उससे और उसके माता-पिता से एक कार और अतिरिक्त दो लाख रुपए की मांग की थी । उनके पास इतना धन नहीं था और एक कार और दो लाख रुपए नहीं दे सके तथा उसके ससुराल वालों ने कहा कि यदि आप धन नहीं ला सकती तो आप अपने माता-पिता के घर रहिए । उसने यह भी कहा कि इंदौर में उसकी सास का मकान एक सशुल्क अतिथि आवास जैसा था जहां कोई न कोई छात्र सदैव रहता था और वहां उसके रहने के लिए कोई कमरा नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि वे उसे भी एक सशुल्क अतिथि की तरह समझते थे और उसे दहेज के लिए अपनी मांगों से शारीरिक मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से तंग करते थे । उसने फिर बताया कि उसे मुंबई में कैसे अपने पति की डायरी पाई जिसमें उसने कई अन्य महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध होने का ब्यौरा लिखा था और जब उसने वर्ष 2008 में दीपावली के समय पर इस बारे में अपनी सास और देवर को बताया, तो उन्होंने कहा कि उसने ऐसी बातें बताकर त्यौहार बर्बाद कर दिया है और वह फिर कभी दीपावली के दिन न आए । उसने कहा कि उसे तारीख 25 फरवरी, 2009 को उसके पति द्वारा मकान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया । उसने यह भी कहा कि उसके द्वारा कई बार अनुरोध करने पर निमिष तारीख 17 जून, 2012 को उसके भाई के विवाह में आया था किंतु फिर से उसे धन का प्रबंध करने के बारे में कहा था । धन का प्रबंध करने में उनकी असमर्थता की बात कहने पर उसने उसके नातेदारों से कहा या तो धन की मांग पूरी करो या उसे इससे मुक्ति दो । उसने कहा कि उसके पिता, माता और भाई को इन मुद्दों को लेकर शारीरिक समस्याएं पैदा हो गईं और यह अनुरोध किया

कि दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करने के लिए निमिष, कुसुम लता, सौरभ और अभिषेक के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए और उसके साथ न्याय किया जाए ।

7. भावना ने पुलिस थाना हीरा नगर के समक्ष तारीख 8 सितंबर, 2013 को किए गए अपने कथन में कहा कि निमिष के साथ उसका विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को इंदौर में नंदन गार्डन में अनुष्ठापित हुआ था और उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सोने और चांदी के आभूषण, वस्त्र, नकदी आदि दिए थे और विवाह के लिए लगभग पांच लाख रुपए खर्च किए थे । उसने कहा कि उसका पति और वह तारीख 7 जुलाई, 2007 को मुंबई चले गए थे । उसने अपने पति के विरुद्ध विभिन्न अभिकथन किए हैं जिनका फिलहाल कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह हमारे समक्ष नहीं आया है । अपने ससुराल वालों के संबंध में उसने कहा कि उसकी सास कुसुम लता और देवर अभिषेक और सौरभ उसे अपने माता-पिता से दहेज में दो लाख रुपए नकद, एक कार और आभूषण लाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करते थे और इस कारण उसके माता-पिता बीमार पड़ गए और उपचार चल रहा है । उसने अभिकथन किया कि उसके सभी ससुराल वाले जबरदस्ती उससे विवाह-विच्छेद कराना चाहते हैं और दांपत्य निवास से आने के पश्चात् उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता । उसने अभिकथन किया कि अभिषेक, जो एक न्यायाधीश है, अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है और वह विधिक कार्यवाहियों में बाधा बन रहा है ।

8. भावना के पिता ओमप्रकाश ने भी पुलिस के समक्ष तारीख 8 सितंबर, 2013 को इसी प्रकार का कथन किया । उसने कहा कि भावना का विवाह तारीख 2 सितंबर, 2007 को इंदौर में अनुष्ठापित हुआ था और उसने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज में कुल पांच लाख रुपए की नकदी, सोने के आभूषण, वस्त्र इत्यादि दिए थे । उसने कहा कि जब कभी भावना उनसे मिलने आती थी, तो वह उसे और सभी पड़ोसियों को बताती थी कि उसका पति निमिष, सास कुसुम लता और देवर अभिषेक और सौरभ उसे कहते रहते हैं कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया था और जब वह अपने पैतृक गृह जाए तो दो लाख रुपए नकद, एक

कार और सोने के आभूषण लेकर आए । उसने कहा कि वे उसकी पुत्री को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तंग कर रहे थे । उसने अभिकथन किया कि करवाचौथ के दिन भावना की सास ने 100 साड़ियों की मांग की थी किंतु उसने इनकार कर दिया था । भावना की माता रेणुबाला ने तारीख 8 सितंबर, 2013 को इसी प्रकार का कथन किया । उनके दो पड़ोसियों सुशीलाबाई और मोहन ने भी भावना के वृतांत का समर्थन करते हुए इसी प्रकार का कथन किया । उनके अनुसार, जब कभी भावना अपने माता-पिता से मिलने आती थी, तो वह उन्हें बताती थी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से यातना दे रहे हैं । दूसरी ओर, शैलेन्द्र और राधे श्याम ने, जो उसके आस-पड़ोस में रहते हैं जहां निमिष के पिता का अपना निवास है, इस आशय का कथन किया कि भावना या उसके परिवार से दहेज के लिए कोई मांग नहीं की गई थी और उसे कभी भी इस आधार पर तंग नहीं किया गया था । पुलिस ने तारीख 20 सितंबर, 2013 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं को दोहराया और अपने अन्वेषण के आधार पर कुछ और नहीं जोड़ा ।

9. कतिपय अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं और उल्लेख किए जा सकते हैं । भावना और निमिष के विवाह के छह या सात माह पश्चात् अभिषेक सिविल न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में आया था । वह उज्जैन में तैनात था और उसके पश्चात् मध्य प्रदेश के नीमच में तैनात था । कुसुम लता अभिषेक के साथ रहती थी । भावना का अन्य देवर सौरभ एक वास्तुकार है और वर्ष 2007 से दिल्ली में कार्यरत था । निमिष ने नरसिंहपुर में पुलिस प्राधिकारियों को तारीख 9 सितंबर, 2012 और 17 नवंबर, 2012 को भावना द्वारा और उसकी प्रेरणा पर अभित्रास करने की शिकायत करते हुए लिखित अभ्यावेदन दिए थे । इससे पूर्व अभिषेक के विरुद्ध मुख्य न्यायमूर्ति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को इस आशय के निंदात्मक अभिकथन करते हुए एक अनाम शिकायत दी गई थी कि वह न्यायिक पद के अयोग्य है । भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो, मुंबई को भी एक शिकायत तात्पर्यित रूप से किसी संयोगिता मिश्रा के

नाम से की गई थी । इसमें भी अभिषेक के विरुद्‌ध अभिकथन किए गए थे ।

10. महत्वपूर्ण रूप से, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर की फाइल पर 2015 के सिविल वाद सं. 153क में निमिष की विवाह-विच्छेद की अर्जी में तारीख 27 अक्तूबर, 2018 को की गई भावना की मुख्य परीक्षा को उपलब्ध कराया गया है । उसमें, उसने यह प्राख्यान किया था कि उसके संपूर्ण स्त्रीधन आभूषण निमिष के पास हैं और बार-बार मांगने के बावजूद वह उसे लौटा नहीं रहा है क्योंकि वह उसके आभूषणों को छीनना चाहता है । इसके अतिरिक्त, उसमें उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने अभिषेक के विरुद्‌ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक शिकायत की थी । तथापि, उसने भ्रष्टाचार निरोध इकाई, मुंबई को कोई ऐसी शिकायत करने की बात से इनकार किया ।

11. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हम आरंभ में ही यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस दलील को खारिज किए जाने की आवश्यकता है कि अपीलार्थियों के विरुद्‌ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए आवेदन, किसी भी दशा में, खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसके संबंध में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और फाइल पर ले लिया गया है । यह सुस्थिर है कि उच्च न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को पुलिस द्‌वारा ऐसे आवेदन के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र फाइल कर दिए जाने पर भी इसे ग्रहण और कार्यवाही करने की शक्ति बनी रहती है । (**जोसफ साल्वराज ए.** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[1] वाला मामला देखें) । इस सिद्‌धांत को **आनंद कुमार मेहता और एक अन्य** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली), गृह विभाग और एक अन्य**[2] वाले मामले में दोहराया गया था । अत: इस मुद्‌दे पर हमारे द्‌वारा और अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है ।

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 59.

[2] (2019) 11 एस. सी. सी. 706.

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति की रूपरेखाएं भली-भांति परिभाषित हैं । **वी. रवि कुमार** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सालेम, तमिलनाडु और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिपुष्टि की कि जहां कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का अवलंब लेते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने की ईप्सा करता है, तो उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में किए गए अभिकथनों की शुद्धता का विनिर्णय करने के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करना अननुज्ञेय है । **मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति की व्याप्ति और सीमा पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । यह मत व्यक्त किया गया था कि अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक यदा-कदा और विरले से विरलतम मामलों में किया जाना चाहिए और ऐसा मानदंड मृत्यु की शास्ति के संदर्भ में विनिर्मित सन्नियम से भ्रमित न हो । यह भी मत व्यक्त किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत, जिसके अभिखंडन की ईप्सा की जाती है, की परीक्षा करते समय न्यायालय उसमें किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता या असलियत या अन्यथा के बारे में जांच नहीं कर सकता किंतु यदि न्यायालय उचित समझे तो अभिखंडित करने संबंधी मानदंडों और विधि द्वारा अधिरोपित आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए और विशिष्ट रूप से **आर. पी. कपूर** बनाम **पंजाब राज्य**[3] और **हरियाणा राज्य और अन्य** बनाम **भजन लाल और अन्य**[4] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत को अभिखंडित करने की अधिकारिता रहेगी ।

---

[1] (2019) 14 एस. सी. सी. 568.

[2] 2021 की दांडिक अपील सं. 330, तारीख 13 अप्रैल, 2021 को विनिश्चित ।

[3] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866.

[4] (1992) 1 (सप्ली.) एस. सी. सी. 335.

13. वैवाहिक विवाद के चलते पति के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी पत्नी द्वारा उनके विरुद्ध आरंभ की गई दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए आवेदन फाइल करने के दृष्टांत न तो कोई अनूठी और न ही हाल में उत्पन्न हुई बात है । इस विषय पर पूर्व-निर्णय भरे पड़े हैं । हम अब विशिष्ट सुसंगतता के कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं । हाल ही में, **काहकाशन कौसर** उर्फ **सोनम और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय को इसी प्रकार की स्थिति पर विचार करना था, जिसमें उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क सहित विभिन्न अपराधों के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने से इनकार कर दिया था । यह उल्लेख करते हुए कि जिस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे का अवधारण किया जाना है वह यह है कि क्या ससुराल वालों के विरुद्ध किए गए अभिकथन साधारण सर्वव्यापी अभिकथन हैं जिन्हें अभिखंडित किया जाना चाहिए, इस न्यायालय ने उन पूर्ववर्ती विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के नातेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी । इस न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि वैवाहिक विवादों के दौरान किए गए साधारण सर्वव्यापी अभिकथन करके मिथ्या फंसाए जाना यदि बेरोक चलता गया, तो इसके परिणामस्वरूप विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा । उस मामले के तथ्यों के आधार पर यह पाया गया था कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किए गए थे और यह अभिनिर्धारित किया गया कि ससुराल वालों के विरुद्ध स्पष्ट अभिकथनों के अभाव में उनके अभियोजन की मंजूरी देने के परिणामस्वरूप विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा । यह भी उल्लेख किया गया कि दांडिक विचारण में पारिणामिक दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप अभियुक्तों पर गहरा कलंक लगेगा और ऐसी कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

---

[1] (2022) 6 एस. सी. सी. 599.

14. **प्रीति गुप्ता और एक अन्य** बनाम **झारखंड राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन फाइल की गई शिकायतों में पति और उसके सभी नजदीकी नातेदारों को आलिप्त करने की प्रवृत्ति भी असामान्य बात नहीं है । यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालयों को इन शिकायतों पर विचार करते समय अत्यंत सावधान और सतर्क रहना चाहिए तथा वैवाहिक मामलों पर विचार करते समय व्यावहारिक वास्तविकताओं पर अवश्य विचार करना चाहिए क्योंकि पति के ऐसे घनिष्ठ नातेदारों द्वारा, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे हों और उस स्थान पर कभी-कभार या विरले ही आते हों जहां शिकायतकर्ता रहती है, तंग करने के बारे में किए गए अभिकथनों से एक पूर्णतया अलग स्वरूप हो जाता है और ऐसे अभिकथनों की संवीक्षा अत्यंत सावधानी और सतर्कता से की जानी होगी ।

15. पूर्व में, **नीलू चोपड़ा और एक अन्य** बनाम **भारती**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि शिकायत दर्ज करने के लिए कानूनी उपबंधों और उनकी भाषा का मात्र उल्लेख करना मामले का 'सब कुछ नहीं है' क्योंकि न्यायालय के ध्यान में जो लाया जाना अपेक्षित है वह है प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध की विशिष्टियां और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा वह अपराध कारित करने में निभाई गई भूमिका । ये मताभिव्यक्तियां भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन एक वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थी ।

16. **महमूद अली और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के विषय में अधिक हाल ही का विनिश्चय है । उस मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि जब कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता

---

[1] (2010) 7 एस. सी. सी. 667.

[2] (2009) 10 एस. सी. सी. 184.

[3] 2023 की दांडिक अपील सं. 2341, तारीख 8 अगस्त, 2023 को विनिश्चित ।

का अवलंब लेते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या दांडिक कार्यवाहियों को आवश्यक रूप से इस आधार पर अभिखंडित कराने के लिए आता है कि ऐसी कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से तुच्छ या कष्टदायक हैं या प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु से संस्थित की गई हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर सावधानी से और थोड़ी अधिक गहराई से विचार करे । यह भी मत व्यक्त किया गया था कि न्यायालय के लिए केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत में किए गए प्रकथनों पर यह अभिनिश्चित करने के लिए विचार करना पर्याप्त नहीं होगा कि क्या अभिकथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक संघटक प्रकट होते हैं या नहीं क्योंकि तुच्छ या कष्टप्रद कार्यवाहियों में न्यायालय का कर्तव्य किए गए प्रकथनों के अतिरिक्त मामले के अभिलेख से प्रकट होने वाली अन्य बहुत सारी विद्यमान परिस्थितियों पर भी विचार करने का हो जाता है और यदि आवश्यकता हो तो सम्यक् सावधानी और सतर्कता से अंतर्निहित अर्थ निकालने की कोशिश करनी चाहिए ।

17. **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने उदाहरण देकर उन मामलों के व्यापक प्रवर्गों को वर्णित किया था जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । विनिश्चय का पैरा 102 निम्नलिखित है :–

> "102. संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से संबंधित संहिता के अध्याय 14 के अंतर्गत संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों के निर्वचन की तथा अनेक विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिनके अंश हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, हम दृष्टांत के रूप में मामलों के निम्नलिखित प्रवर्गों का उल्लेख करते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सुनिश्चित, स्पष्टत: परिभाषित और पर्याप्त रूप से सारणीबद्ध तथा अनन्य दिशा-निर्देश या

विशुद्ध सूत्र अधिकथित करना और ऐसे विभिन्न प्रकार के मामलों की पूरी सूची देना संभव नहीं हो सकता, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है –

1. जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन, उनके व्यक्त महत्व पर विचार करने पर और समग्रत: स्वीकार किए जाने पर भी प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध गठित नहीं करते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला स्थापित नहीं करते ।

2. जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और उससे संलग्न अन्य सामग्री में, यदि कोई है, किए गए अभिकथनों से कोई ऐसा संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है जो संहिता की धारा 156(1) के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण करना न्यायोचित ठहराए, सिवाय संहिता की धारा 155(2) की परिधि के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ।

3. जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अकाट्य अभिकथन और उसके समर्थन में संगृहीत साक्ष्य कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं करते तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला स्थापित नहीं करते ।

4. जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं होता बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध गठित होता है, वहां संहिता की धारा 155 (2) के द्वारा यथा अनुध्यात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण किया जाना अनुज्ञात नहीं है ।

5. जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभाव्य हैं जिनके आधार पर कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस उचित

निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है ।

6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के उपबंधों में से किसी में (जिसके अधीन दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई हो) कार्यवाही संस्थित करने और जारी रखने के बारे में कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन समाविष्ट किया गया हो और/या जहां संहिता में या संबंधित अधिनियम में कोई ऐसा विनिर्दिष्ट उपबंध हो जो व्यथित पक्षकार की व्यथा के लिए कारगर प्रतितोष का उपबंध करता हो ।

7. जहां दांडिक कार्यवाही प्रकटत: असद्भावपूर्ण है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु से विद्वेषपूर्वक और निजी/वैयक्तिक वैर-भाव के कारण उसे बदनाम करने की दृष्टि से संस्थित की जाए ।"

18. प्रस्तुत मामले में पूर्वोल्लिखित कानूनी घोषणाओं को लागू करते हुए हम कतिपय स्पष्ट विसंगतियों और असंगतियों का उल्लेख कर सकते हैं । यद्यपि भावना ने पहले यह अभिकथन किया था कि उसकी सास कुसुम लता और उसका देवर अभिषेक उसके विवाह के पश्चात् उसके सभी आभूषण उन्हें सुरक्षित रखने के बहाने ले गए थे, किंतु उसने 2015 के सिविल वाद सं. 153क में कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसके स्त्रीधन के समस्त आभूषण निमिष के पास हैं और बार-बार मांग करने के बावजूद वह उन्हें उसे वापस नहीं कर रहा है । इसके अतिरिक्त, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने अभिषेक के विरुद्ध उच्च न्यायालय को एक शिकायत की थी । शिकायत में किसी का नाम नहीं था । किंतु भावना ने स्वेच्छापूर्वक माना था कि उसने यह शिकायत की थी । यह पहलू उसकी अपने ससुराल वालों और विशिष्ट रूप से अभिषेक के विरुद्ध उसके विद्वेष को सिद्ध करता है ।

19. फिलहाल सबसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भावना ने स्वीकृत रूप से अपने दांपत्य निवास और अपने ससुराल वालों से फरवरी, 2009 में अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, चाहे यह स्वेच्छापूर्वक किया गया था या अन्यथा, किंतु उसने दहेज के लिए तंग करने के संबंध में वर्ष 2013 तक उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी । आश्चर्यजनक रूप से, तारीख 9 फरवरी, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 में यह अभिलिखित है कि अपराध तारीख 2 जुलाई, 2007 से 5 फरवरी, 2013 तक किया गया था किंतु भावना द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध फरवरी, 2009 में उसके द्वारा अपने दांपत्य निवास से चले जाने के पश्चात् कोई अभिकथन नहीं किए गए थे । महत्वपूर्ण रूप से, भावना का निमिष के साथ विवाह तारीख 2 जुलाई, 2007 को इंदौर में हुआ था और उसके साथ तारीख 8 जुलाई, 2007 को मुंबई चली गई थी । उसके पश्चात् उसका अपने ससुराल वालों से मिलना-जुलना केवल त्यौहारों के दौरान होना प्रतीत होता है और यह बताया गया है कि यह मिलना-जुलना लगभग तीन या चार बार हुआ था । सौरभ, वास्तुकार वर्ष 2007 से दिल्ली में था । भावना द्वारा उसके विरुद्ध कभी भी कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया था । वास्तव में, उसने केवल इस आशय का एक साधारण अभिकथन किया था कि वह भी उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था । उसके द्वारा इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट दृष्टांत नहीं बताया गया था या कैसे उसने उसके साथ दिल्ली से इस प्रकार तंग किया था । इसी प्रकार, अभिषेक उसके विवाह के छह या सात माह पश्चात् न्यायिक अधिकारी बना था तथा उसका भावना और निमिष के साथ मुंबई में रहने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है । उसका भावना के साथ मिलना-जुलना केवल तब होता था जब वह त्यौहारों के दौरान अपनी ससुराल आती थी । आश्चर्यजनक रूप से, भावना ने अभिकथन किया है कि स्वयं अभिषेक के विवाह के समय पर उसने मांग की थी कि भावना और उसके माता-पिता को उसे एक कार और दो लाख रुपए नकद देने चाहिएं । भले ही वह ऐसी अवैधता करने के लिए आनत था,

तो भी वह स्वयं अपने विवाह के समय पर अपनी भाभी से क्यों दहेज के लिए कोई ऐसी मांग करेगा, यह बात बेतुकी और समझ से परे है । इसके अतिरिक्त, भावना ने अभिषेक के विरुद्ध उच्च न्यायालय को त्रुटिपूर्ण शिकायत करने की बात मानी थी, इस तथ्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि जहां तक उसके देवर, अभिषेक का संबंध है, उसके इरादे नेक नहीं थे और वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से प्रतिशोध लेना चाहती थी । भावना द्वारा अपनी सास कुसुम लता के विरुद्ध इस संबंध में किया गया यह अभिकथन कि कैसे उसने उसे उस समय ताने मारे थे जब उसने एक मैक्सी पहन ली थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के निबंधनों के अनुसार क्रूरता का गठन करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है ।

20. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि स्वयं भावना ने यह दावा किया था कि निमिष वर्ष 2012 में उसके भाई के विवाह में आया था किंतु उसके पास वर्ष 2009 के पश्चात् उसकी सास और उसके देवरों द्वारा उसे दहेज के लिए किसी प्रकार से तंग करने के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस अवधि के लिए भी उसके अभिकथन अधिकांशत: साधारण और बहुप्रयोजन प्रकृति के हैं और ऐसा कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरा नहीं है कि कब और कैसे उसके देवरों और सास ने, जो पूरी तरह से अलग-अलग शहरों में रहते थे, उसे दहेज के लिए तंग किया था ।

21. भावना के पक्षकथन को सबसे अधिक धराशायी करने वाला तथ्य यह है कि उसने फरवरी, 2009 में अपने दांपत्य निवास को छोड़ने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और उसके पति द्वारा विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियां संस्थित करने के ठीक पूर्व वर्ष 2013 में दहेज के लिए तंग करने का अभिकथन करते हुए एक शिकायत फाइल की थी ।

22. संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध भावना के अभिकथन, जैसे

कि वे हैं, पूर्णतया अपर्याप्त हैं और प्रथमदृष्ट्या उनके विरुद्ध कोई मामला सिद्ध नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, वे अभिकथन इतने अस्वाभाविक और अनधिसंभाव्य हैं कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं । वस्तुतः, प्रस्तुत मामला पूरी तरह से **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में उपवर्णित प्रवर्गों (1) और (5) के अंतर्गत आता है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही चलाने की अनुज्ञा देने से स्पष्ट अन्याय होगा । उच्च न्यायालय के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला था ।

23. तद्नुसार ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । जहां तक अपीलार्थी कुसुम लता, अभिषेक गौड़ और सौरभ गौड़ का संबंध है, 2013 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 56 और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर की फाइल पर लंबित 2014 के दांडिक मामला सं. 11954 को अभिखंडित किया जाता है । लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निपटारा हो जाएगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.

[2024] 1 उम. नि. प. 23

कमलाकर

बनाम

कर्नाटक राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 1485]

12 अक्तूबर, 2023

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क, धारा 306 और 107 – स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी (मृतका) के साथ घरेलू कार्य को ठीक से करने को लेकर क्रूरता और दुर्व्यवहार करना और उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया जाना – पत्नी द्वारा दो माह के पश्चात् अपने पैतृक गृह में आत्महत्या कर लिया जाना – अभियुक्त को मृतका के साथ क्रूरता करने और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – जहां मामले के तथ्यों से यह दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और मृतका के साथ क्रूरता करने के संबंध में उपधारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और मृतका द्वारा घरेलू कार्य उचित प्रकार से न करने के कारण उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार करने तथा उसे उसके पैतृक गृह में छोड़ देने और फिर वापस न ले जाने के विनिर्दिष्ट स्पष्ट कृत्य के अभ्यारोपण का साक्षियों द्वारा समर्थन किया गया हो, वहां धारा 498क के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है किंतु मृतका और अभियुक्त के बीच वैवाहिक तनातनी तथा बाद में मृतका द्वारा स्वयं को जलाकर अपनी मृत्यु कारित करने के बीच कोई सन्निकट संबंध प्रतीत न होने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य न होने के कारण धारा 306 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका का विवाह वर्ष 1994 में उसकी मृत्यु हो जाने से साढ़े चार वर्ष पहले अपीलार्थी के साथ हुआ था । उनके विवाह के पश्चात् दंपत्ति अपीलार्थी के माता-पिता के साथ अपने दांपत्य निवास में रहते थे । विवाह के दो वर्ष के पश्चात् अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने उसे एक बालक को जन्म न देने को लेकर दुर्व्यवहार और हमला करना आरंभ कर दिया और उसे घरेलू और कृषि कार्य उचित रूप से न करने का दोष देते थे । मृतका जब वह अपने पैतृक गृह गई तो उसने इस बारे में अपने पिता को सूचित किया । घटना से लगभग दो माह पूर्व अपीलार्थी मृतका को लगभग 4-5 दिनों के लिए बंबई ले गया और फिर उसके माता-पिता के घर ले आया । उसके वापस आने के उपरांत, मृतका ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि अभियुक्त ने बंबई में उस पर हमला किया और परिणामस्वरूप उसका पिता अभियुक्तों के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि उसकी पुत्री को अपने घर वापस ले आएं । अभियुक्तों ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया और इत्तिलाकर्ता को बताया कि वे अपीलार्थी का पुनर्विवाह करने जा रहे हैं क्योंकि वे मृतका के आचरण से खुश नहीं हैं । मृतका ने अपने पैतृक गृह में अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली । मृतका के पिता द्वारा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । चूंकि इत्तिलाकर्ता की पुत्री की उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध को जोड़ा गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात् अपीलार्थी के माता-पिता को उनके विरुद्ध साक्ष्य की कमी के कारण दोषमुक्त कर दिया गया । तथापि, पति (अभियुक्त सं. 1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया । उसके पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा सेशन न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की गई ।

उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में दंडादेश को उपांतरित कर दिया और इसे कम करके सात वर्ष के कठोर कारावास से पांच वर्ष का कठोर कारावास कर दिया । तथापि, धारा 498क के अधीन अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के दंडादेश को कायम रखा गया । अभियुक्त द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन कई आधारों पर अपील फाइल की गई कि घटना से पूर्व पिछले दो माह से मृतका अपने माता-पिता के घर रह रही थी और अपीलार्थी के लिए मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण देने का कोई अवसर नहीं था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि क्रूरता के अभिकथन को किसी सारभूत साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया था और यह कि उसे उसी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया था जिसके आधार पर उसके माता-पिता को दोषमुक्त कर दिया गया था । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498क ऐसे पतियों या उनके नातेदारों को, जो स्त्री के साथ क्रूरता करते हैं, तीन वर्ष तक के कारावास और संभावित जुर्माने की शास्तियों से दंडित करती है । "क्रूरता" में ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या गंभीर मानसिक या शारीरिक अपहानि कारित कर सकते हैं, और ऐसे उत्पीड़न का उद्देश्य उसके या उसके परिवार की सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधिविरुद्ध मांग करके प्रपीड़न करना है । प्रस्तुत मामले में, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और इसलिए मृतका के साथ किए गए उत्पीड़न के बारे में उपधारणा की जाएगी । यद्यपि यह खंडनीय उपधारणा है, किंतु अपीलार्थी ने अपने पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी मृतका को उसके माता-पिता के निवास से लगभग एक सप्ताह के लिए बंबई ले गया था । उनके वापस लौटने के ठीक पश्चात् उसे पुन: उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया था और उसने कुछ दिनों के पश्चात् स्वयं अपनी जान ले ली । जहां तक

अपीलार्थी की अपने माता-पिता की दोषमुक्ति के साथ समानता करने की दलील का संबंध है, अपीलार्थी को यह समानता प्रदान नहीं की जा सकती । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियुक्त सं. 2 और 3 अर्थात् अपीलार्थी के माता-पिता को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था । तथापि, अपीलार्थी पर आरोपणीय विनिर्दिष्ट स्पष्ट कृत्य है जिसमें उसने इस आधार पर मृतका पर हमला और दुर्व्यवहार किया था कि वह उचित प्रकार से घरेलू कार्य नहीं कर रही है और उसने मृतका के माता-पिता द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे अपने दांपत्य निवास में वापस ले जाने के लिए भी इनकार कर दिया था । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 5 के साक्ष्य द्वारा इस बात का पूरी तरह समर्थन होता है और विचारण न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने के कोई कारण नहीं हैं । अत: भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्ध को कायम रखा जाता है । (पैरा 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4)

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए दंडित करती है । इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को आरोपित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अवश्य यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने उस आत्महत्या में भूमिका निभाई थी । विनिर्दिष्ट रूप से, अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दिए गए तीन मानदंडों में से एक के अनुरूप होना चाहिए । इससे अभिप्रेत है कि अभियुक्त ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया हो, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके यह सुनिश्चित किया हो कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले, या इस प्रकार कार्य किया हो (या कार्य करने में असफल रहा हो) जो व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का प्रत्यक्षत: परिणाम हो । प्रस्तुत मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में विधि का सावधानीपूर्वक अनुशीलन करने पर मृतका और अपीलार्थी के बीच वैवाहिक तनातनी तथा बाद में स्वयं को जलाकर अपनी मृत्यु कारित करने के बीच कोई सन्निकट संबंध प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थी ने मृतका द्वारा

आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया है । अत: चूंकि प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संघटकों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता । (पैरा 8.2, 8.6 और 8.7)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 626 : **एम. मोहन** बनाम **राज्य** ;	8.4
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 707 : **अमलेंदु पाल** उर्फ **झांटू** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य** ;	8.5
[2002]	[2002] 4 उम. नि. प. 151 = (2001) 9 एस. सी. सी. 618 : **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ।	8.3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1485.

2022 की दांडिक अपील सं. 102 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 7 नवंबर, 2007 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री बासवप्रभु एस. पाटिल, ज्येष्ठ अधिवक्ता और अनिरुद्ध सांगनेरिया
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री निशांत पाटिल, अपर महाधिवक्ता, वी. एन. रघुपति, आयुष पी. शाह, विग्नेश आदित्य एस. और मनेन्द्र पाल गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया ।

न्या. नाथ – यह अपील अभियुक्त द्वारा 2022 की दांडिक अपील सं. 102 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 7 नवंबर, 2007 को

पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

2. **मामले के तथ्य**

2.1 यह मामला मृतका के प्रति उसके दांपत्य निवास में की गई क्रूरता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के पश्चात्वर्ती अभिकथनों के संबंध में है । मृतका, जो इत्तिलाकर्ता की पुत्री है, का विवाह वर्ष 1994 में उसकी मृत्यु हो जाने से साढ़े चार वर्ष पहले अपीलार्थी के साथ हुआ था । उनके विवाह के पश्चात् दंपत्ति अपीलार्थी के माता-पिता के साथ चिंकेरा गांव में अपने दांपत्य निवास में रहते थे । अभियोजन पक्ष का यह अभिकथन है कि विवाह के दो वर्ष के पश्चात् सभी तीनों अभियुक्तों अर्थात् अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने उसे एक बालक को जन्म न देने को लेकर दुर्व्यवहार और हमला करना आरंभ कर दिया और उसे घरेलू और कृषि कार्य उचित रूप से न करने का दोष देते थे । मृतका ने इस बारे में अपने पिता को सूचित किया जब वह अपने पैतृक गृह गई । इत्तिलाकर्ता अर्थात् मृतका के पिता ने अभियुक्तों को समझाया और उनसे अनुरोध किया कि उसकी पुत्री के साथ बुरा बर्ताव न करें ।

2.2 घटना से लगभग दो माह पूर्व अपीलार्थी मृतका को लगभग 4-5 दिनों के लिए बंबई ले गया और फिर उसके माता-पिता के घर ले आया । उसके वापस आने के उपरांत, मृतका ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि अभियुक्त ने बंबई में उस पर हमला किया और परिणामस्वरूप उसका पिता अभियुक्तों के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि उसकी पुत्री को अपने घर वापस ले आएं । अभियुक्तों ने उसके अनुरोध को ठुकरा दिया और इत्तिलाकर्ता को बताया कि वे अपीलार्थी का पुनर्विवाह करने जा रहे हैं क्योंकि वे मृतका के आचरण से खुश नहीं हैं । इत्तिलाकर्ता अपने घर वापस आया और मृतका सहित अपने परिवार को अभियुक्तों के उत्तर के बारे में सूचित किया ।

2.3 तारीख 4 सितंबर, 1994 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में इत्तिलाकर्ता अपनी पत्नी और अन्य बालकों के साथ अपनी कृषि भूमि पर

गया हुआ था । मृतका घर पर अकेली थी । उन्हें लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में सूचित किया गया कि उनकी पुत्री ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया है और स्वयं को जला लिया है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि मृतका ने स्वयं को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा लगातार उसे तंग करने और मानसिक क्रूरता करने के कारण जलाया था ।

2.4 तारीख 5 सितंबर, 1994 को मृतका के पिता ने हल्लीखेद-बी पुलिस थाना हमनाबाद सर्किल में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन 1994 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (दांडिक) सं. 81 दर्ज कराई । चूंकि इत्तिलाकर्ता की पुत्री की उसकी क्षतियों के कारण तारीख 6 सितंबर, 1994 को मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध को जोड़ा गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 28 नवंबर, 1998 को अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए ।

3. अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात् तारीख 11 दिसंबर, 2001 के आदेश द्वारा अभियुक्त सं. 2 और 3 अर्थात् इस अपील में अपीलार्थी के माता-पिता को उनके विरुद्ध साक्ष्य की कमी के कारण दोषमुक्त कर दिया । तथापि, पति (अभियुक्त सं. 1) अर्थात् इस अपील में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया । उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो माह का साधाराण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया । इसके अतिरिक्त, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह

का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने थे ।

4. उसके पश्चात्, अपीलार्थी ने सेशन न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन दांडिक अपील फाइल की । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तारीख 7 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा अपील भागत: मंजूर की । न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखा, जबकि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में दंडादेश को उपांतरित कर दिया और इसे कम करके सात वर्ष के कठोर कारावास से पांच वर्ष का कठोर कारावास कर दिया । तथापि, धारा 498क के अधीन अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के दंडादेश को कायम रखा गया ।

5. अपीलार्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इन कई आधारों पर वर्तमान अपील फाइल की है कि घटना से पूर्व पिछले दो माह से मृतका अपने माता-पिता के घर रह रही थी और अपीलार्थी के लिए मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण देने का कोई अवसर नहीं था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि क्रूरता के अभिकथन को किसी सारभूत साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया था और यह कि अपीलार्थी को उसी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया था जिसके आधार पर उसके माता-पिता को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

6. दोनों पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात् हम पाते हैं कि दो विवाद्यक हैं जो प्रस्तुत मामले में उद्भूत होते हैं :–

(i) क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन आरोप को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ?

7. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का लागू होना ।

7.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 498क ऐसे पतियों या उनके नातेदारों को, जो स्त्री के साथ क्रूरता करते हैं, तीन वर्ष तक के कारावास और संभावित जुर्माने की शास्तियों से दंडित करती है । "क्रूरता" में ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या गंभीर मानसिक या शारीरिक अपहानि कारित कर सकते हैं, और ऐसे उत्पीड़न का उद्देश्य उसके या उसके परिवार की सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधिविरुद्ध मांग करके प्रपीड़न करना है ।

7.2 प्रस्तुत मामले में, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी और इसलिए मृतका के साथ किए गए उत्पीड़न के बारे में उपधारणा की जाएगी । यद्यपि यह खंडनीय उपधारणा है, किंतु अपीलार्थी ने अपने पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी मृतका को उसके माता-पिता के निवास से लगभग एक सप्ताह के लिए बंबई ले गया था । उनके वापस लौटने के ठीक पश्चात् उसे पुन: उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया था और उसने कुछ दिनों के पश्चात् स्वयं अपनी जान ले ली ।

7.3 जहां तक अपीलार्थी की अपने माता-पिता की दोषमुक्ति के साथ समानता करने की दलील का संबंध है, अपीलार्थी को यह समानता प्रदान नहीं की जा सकती । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियुक्त सं. 2 और 3 अर्थात् अपीलार्थी के माता-पिता को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था । तथापि, अपीलार्थी पर आरोपणीय विनिर्दिष्ट स्पष्ट कृत्य है जिसमें उसने इस आधार पर मृतका पर हमला और दुर्व्यवहार किया था कि वह उचित प्रकार से घरेलू कार्य नहीं कर रही है और उसने मृतका के माता-पिता द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे अपने दांपत्य निवास में वापस ले जाने के लिए भी इनकार कर दिया था । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 5 के साक्ष्य द्वारा इस बात का पूरी तरह समर्थन होता है और विचारण न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि उक्त साक्ष्य पर अविश्वास करने के कोई कारण नहीं हैं ।

7.4 अत: भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है ।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 का लागू होना ।

8.1 धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । इस उपबंध को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो निम्नलिखित है :–

> "107. किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –
>
> पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा
>
> दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा
>
> तीसरा – उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साक्ष्य सहायता करता है ।
>
> **स्पष्टीकरण 1** – जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।
>
> **स्पष्टीकरण 2** – जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तदनुसार उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।"

8.2 भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए दंडित करती है । इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को आरोपित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अवश्य यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने उस आत्महत्या में भूमिका निभाई थी । विनिर्दिष्ट रूप से, अभियुक्त का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दिए गए तीन मानदंडों में से एक के अनुरूप होना चाहिए । इससे अभिप्रेत है कि अभियुक्त ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया हो, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र करके यह सुनिश्चित किया हो कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले, या इस प्रकार कार्य किया हो (या कार्य करने में असफल रहा हो) जो व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का प्रत्यक्षत: परिणाम हो ।

8.3 **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने "उकसाना" के विभिन्न अर्थों का विश्लेषण किया । उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "20. 'उकसाना' का अर्थ 'किसी कार्य' को करने के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा देना, उत्तेजित करना, भड़काना और प्रोत्साहित करना है । यद्यपि उकसाने की अपेक्षा को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का इस आशय से प्रयोग किया जाए या जिससे उकसाना गठित हो, उसका आवश्यक और विनिर्दिष्ट परिणाम भी वही हो । तथापि, परिणाम के उद्दीपन की युक्तियुक्त निश्चितता ऐसी होनी चाहिए जिसकी व्याख्या की जा सके । वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कार्यों या लोप द्वारा या आचरण के सतत् अनुक्रम द्वारा ऐसी परिस्थितियां सृजित की हों कि मृतका के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा और इसके आधार पर उकसाने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । वास्तविक परिणामों को जाने बिना क्रोध अथवा संवेग के आवेश में बोले गए किसी शब्द को उकसाना नहीं कहा जा सकता है ।"

---

[1] [2002] 4 उम. नि. प. 151 = (2001) 9 एस. सी. सी. 618.

8.4 **एम. मोहन** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के आवश्यक तत्वों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया था :–

"43. चितरेश कुमार **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार) [(2009) 16 एस. सी. सी. 605 = (2010) 3 एस. सी. सी. (क्रि.) 367] वाले मामले में इस न्यायालय के पास दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करने का अवसर आया था । इस न्यायालय ने 'उकसाना' और 'प्रेरित करना' शब्द के शब्दकोशीय अर्थ पर विचार किया । इस न्यायालय ने राय व्यक्त की कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति का उत्तेजित करने, भड़काने या कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का आशय रहा हो । प्रत्येक व्यक्ति का आत्महत्या करने संबंधी आदर्श (पैटर्न) दूसरों से भिन्न होता है । स्वाभिमान और आत्म-सम्मान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी धारणा होती है । अत: ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए कोई कठोर सिद्धांत अधिकथित करना असंभव है । प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

44. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या साक्ष्य उस व्यक्ति को कोई कार्य करने में सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्वलित होती है । आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त के किसी सकारात्मक कार्य के बिना दोषसिद्धि को कायम नहीं किया जा सकता ।

45. विधान-मंडल का आशय और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामलों के विनिश्चयाधार स्पष्ट हैं कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अपराध कारित करने हेतु एक स्पष्ट आपराधिक मन:स्थिति होनी चाहिए । इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य भी अपेक्षित होता है जिसके कारण मृतक ने कोई विकल्प न देखते हुए

---

[1] (2011) 3 एस. सी. सी. 626.

आत्महत्या की हो और इस कार्य को करने का आशय मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने का रहा हो कि वह आत्महत्या कर ले ।"

8.5 वे आवश्यक संघटक, जो किसी मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन लाने के लिए दिए जाने चाहिएं, उनकी **अमलेंदु पाल** उर्फ **झांटू** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में भी निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की गई थी :–

"12. इस प्रकार, इस न्यायालय ने सतत् रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का दोषी ठहराने से पूर्व न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की अवश्य सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए और उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का भी यह पता लगाने के लिए अवधारण करना चाहिए कि क्या विपदग्रस्त के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण विपदग्रस्त के पास अपने जीवन को समाप्त करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा था । यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के अभिकथित दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्यों का अवश्य सबूत होना चाहिए । अभियुक्त की ओर से घटना के समय के सन्निकट किसी ऐसे सकारात्मक कार्य के बिना, जिसने व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या बाध्य किया था, मात्र उत्पीड़न के अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के निबंधनों के अनुसार दोषसिद्धि संधार्य नहीं है ।

13. किसी मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 की व्याप्ति के भीतर लाने के लिए एक आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के कारित करने में उस व्यक्ति ने जिसने कथित रूप से आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, उकसाने का कार्य करके या आत्महत्या करने को सुकर बनाने के लिए कतिपय कार्य करके अवश्य एक सक्रिय भूमिका निभाई हो । अत: उक्त अपराध से आरोपित व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरण के कार्य को

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 707.

अभियोजन पक्ष द्वारा अवश्य साबित और सिद्ध किया जाना चाहिए इससे पूर्व कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सके ।"

8.6. प्रस्तुत मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संबंध में विधि का सावधानीपूर्वक अनुशीलन करने पर मृतका और अपीलार्थी के बीच वैवाहिक तनातनी तथा बाद में स्वयं को जलाकर अपनी मृत्यु कारित करने के बीच कोई सन्निकट संबंध प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थी ने मृतका द्वारा आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक या प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया है ।

8.7 अत: चूंकि प्रस्तुत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के संघटकों को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता ।

9. परिणामत: अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील भागत: मंजूर की जाती है ।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उक्त अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । तथापि, धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि की अभिपुष्टि की जाती है । हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थी ने पहले ही सात माह का कारावास भुगत लिया है । हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दो वर्ष के दंडादेश को पहले ही भुगत ली गई अवधि के लिए उपांतरित करते हैं ।

11. अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है । जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई है (हैं), का निपटारा हो जाएगा ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.

[2024] 1 उम. नि. प. 37

माणक चंद उर्फ **मणि**

बनाम

हरियाणा राज्य

[2014 की दांडिक अपील सं. 2276]

30 अक्तूबर, 2023

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुंधाशु धूलिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री के साथ उसकी बहिन की ससुराल में बहिन के देवर द्‌वारा बलात्संग करने और दो-तीन बार इसकी पुनरावृत्ति करने का अभिकथन किया जाना – अभियोक्त्री द्‌वारा डेढ माह के पश्चात् अपनी माता को घटना का उल्लेख किया जाना – अभियुक्त के परिवार द्‌वारा अभियुक्त के साथ अभियोक्त्री के विवाह का प्रस्ताव पहले स्वीकार और फिर अस्वीकार करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – विद्‌यालय प्रमाणपत्र के अनुसार घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष और उसकी माता द्‌वारा उसकी आयु 16 वर्ष बताया जाना – विचारण न्यायालय द्‌वारा अभियोक्त्री के अप्राप्तवय होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्‌ध किया जाना – उच्च न्यायालय द्‌वारा पुष्टि – अभियोक्त्री की आयु के बारे में विरोधाभासी साक्ष्य होने, अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए अस्थि-विकास परीक्षण न कराए जाने, चिकित्सीय साक्ष्य में अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक उल्लिखित होने, बलात्संग की अभिकथित पहली घटना के दिन अभियोक्त्री को एक अन्य स्थान पर स्थित विद्‌यायल में उपस्थित होने का साक्ष्य दिए जाने, इन सभी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियोक्त्री के साथ किया गया मैथुन उसकी इच्छा के विरुद्‌ध था या सहमतिजन्य और इसलिए अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 – बलात्संग – अभियोक्त्री का एकमात्र परिसाक्ष्य – दोषसिद्धि – साक्ष्यिक महत्व – अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है किंतु न्यायालयों को ऐसे एकमात्र परिसाक्ष्य की परीक्षा करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए और चूंकि अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों को ऋजु विचारण का अधिकार है इसलिए जहां अभियोक्त्री के कथन से विश्वास प्रेरित न होता हो और संदेह पैदा होता हो, वहां न्यायालय को अवश्य संपुष्टिकारी साक्ष्य की खोज करनी चाहिए ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त के बड़े भाई ने अपने ससुर (शिकायतकर्ता) को उसकी छोटी पुत्री (जो वर्तमान अभियोक्त्री है) को अपनी बहिन, जिसने हाल ही में एक बालिका को जन्म दिया था, की देखभाल करने के लिए उसके घर भेजने का अनुरोध किया । अभियोक्त्री को उसके पिता द्वारा उसकी बहिन के दांपत्य निवास में कुछ समय रहने के लिए भेज दिया गया । एक माह से अधिक के बाद अभियोक्त्री अपने घर वापस आई और अपनी माता को बताया कि जब वह अपनी बहिन के घर में थी तब उसकी बहिन के देवर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् दो से तीन बार इस अपराध को दोहराया । आरंभ में, परिवारों के बीच नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए, मामले को "निपटाया" जा रहा था और दोनों परिवार अभियोक्त्री का विवाह अपीलार्थी के साथ करने के लिए सहमत थे । किंतु अपीलार्थी के परिवार ने बाद में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 506 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया और मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया जहां अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5, जो अभियोक्त्री थी, सहित सात साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री घटना की तारीख को अप्राप्तवय थी । इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विद्यालय के रजिस्टर में अभियोक्त्री की 4 अप्रैल, 1987 के रूप में अभिलिखित जन्म की तारीख का अवलंब

लिया । अभियोक्त्री की माता द्वारा उसकी आयु पहले 15 वर्ष और फिर 16 वर्ष बताई गई । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को कायम रखा गया । व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यद्यपि बलात्संग की प्रथम घटना अभिकथित रूप से तारीख 12 सितंबर, 2000 की है, तो भी अभियोक्त्री ने किसी को भी तुरंत इसके बारे में नहीं बताया था । उसने दो या तीन अलग-अलग अवसरों पर पुन: बलात्संग करने का अभिकथन किया है, यद्यपि कोई तारीख और समय नहीं बताया है । उसने इसके बारे में डेढ़ माह के पश्चात् केवल अपनी माता को बताया था । इसके पश्चात् किसी और द्वारा नहीं अपितु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य (अभि. सा. 2 अर्थात् राम सहाय द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए विद्यालय रजिस्टर में) में यह आया है कि अभियोक्त्री तारीख 12 सितंबर, 2000 को डबवाली स्थित स्कूल में अपनी कक्षा में हाजिर हुई थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी । हमें यह उल्लेख करना होगा कि उसने उसी दिन गांव सांवत खेड़ा में उसके साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन किया है, जहां वह सुसंगत समय पर अपनी बहिन के साथ उसके दांपत्य निवास में ठहरी हुई थी । यह असंभव नहीं तो अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है । अन्य पहलू स्वयं अभियोजन पक्ष की यह स्वीकृत स्थिति है कि चूंकि विवाह के आरंभिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था इसलिए अंततोगत्वा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई थी । ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष के वृत्तांत पर संदेह पैदा करते हैं । (पैरा 6)

यहां दो पहलू हैं जिन पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को उसकी अपेक्षा जो किया गया है, अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए था । पहला है अभियोक्त्री की आयु । मामले में अभियोक्त्री की आयु का अत्यधिक महत्वपूर्ण सरोकार है । अभियोक्त्री को एक अप्राप्तवय (सोलह वर्ष से कम आयु) होने के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया एकमात्र साक्ष्य राजकीय

बालिका उच्च विद्यालय के विद्यालय रजिस्टर का है, जो विद्यालय के लिपिक राम सहाय (अभि. सा. 2) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । निस्संदेह, विद्यालय के रजिस्टर में जन्म की तारीख 4 अप्रैल, 1987 है जो अभियोक्त्री को घटना के समय पर सोलह वर्ष से कम आयु की होना बताती है । किंतु राम सहाय (अभि. सा. 2) के साक्ष्य में यह भी आया है कि यह जन्म की तारीख अभियोक्त्री के माता-पिता के कथन के आधार पर अभिलिखित नहीं की गई थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताई गई थी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर आधारित थी जहां जन्म की तारीख 4 अप्रैल, 1987 के रूप में अभिलिखित की गई थी । तिस पर भी, यह स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जिसके आधार पर जन्म की तारीख अभिलिखित की गई थी, कभी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था । तो भी, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ने विद्यालय के रजिस्टर की सत्यता पर विश्वास किया । यह वही विद्यालय का रजिस्टर है जिसमें तारीख 12 सितंबर, 2000 को विद्यालय में अभियोक्त्री की मौजूदगी दर्शाई गई है । यह वही तारीख भी है जब अभियोक्त्री के साथ सांवत खेड़ा गांव में अपीलार्थी के मकान में अभिकथित रूप से पहली बार बलात्संग किया गया था, जबकि विद्यालय डबवाली मंडी नामक एक अन्य स्थान पर स्थित है । जब प्रतिरक्षा पक्ष ने अभियोक्त्री के विद्यालय में होने और उसी समय पर सांवत खेड़ा गांव में होने की बात पर स्पष्ट विरोधाभास को उठाया था, तो विचारण न्यायालय ने उसी विद्यालय के रजिस्टर के साक्ष्य को विश्वसनीय न होने के कारण त्यक्त कर दिया था । कम से कम यह कहना होगा कि यह साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं है चूंकि विद्यालय का यही रजिस्टर अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए एकमात्र आधार है । इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा विद्यालय रजिस्टर के रूप में अभियोक्त्री की आयु की बाबत प्रस्तुत किया गया सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी, विशेष रूप से जब अभियोक्त्री की आयु के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी साक्ष्य थे । अभियुक्त को दोषसिद्ध करना न तो सुरक्षित था और न ही उचित, विशिष्ट रूप से जब अभियोक्त्री की आयु मामले में ऐसा

महत्वपूर्ण पहलू था । दूसरी बात यह है कि हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि चूंकि वर्तमान मामले में आयु एक महत्वपूर्ण पहलू था, इसलिए अभियोजन पक्ष को अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए अस्थि-विकास परीक्षण कराया जाना चाहिए था । वर्तमान मामले में यह नहीं कराया गया है । दूसरी ओर, अभियोक्त्री के नैदानिक परीक्षण के अनुसार, जो कि अभि. सा. 1 डा. कुलविन्दर कौर द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2000 को किया गया था और जिसे इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैरा में भी निर्दिष्ट किया गया है, हम पाते हैं कि अभियोक्त्री के माध्यमिक यौन लक्षण भली-भांति विकसित थे । डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अभियोक्त्री एक "सुगठित वयस्क महिला" है । एक अन्य स्थान पर इसमें उल्लिखित है "सुविकसित जघन बाल" और "बाह्य जननांग पूरी तरह विकसित और सामान्य थे" । फिर इसमें अभियोक्त्री की माता द्वारा उसे बताए अनुसार उसकी आयु 16 वर्ष के रूप में अभिलिखित है । डाक्टर ने आयु के बारे में अपनी राय नहीं दी थी, किंतु उसी रिपोर्ट में आयु सोलह वर्ष के रूप में अभिलिखित है । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री की आयु के बारे में किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो किया जाना चाहिए था वह अस्थि-विकास परीक्षण था । स्पष्ट रूप से यह परीक्षण नहीं कराया गया है । इसके अलावा, साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियोक्त्री की माता ने यह भी कहा था कि उसकी पुत्री की आयु सोलह वर्ष है । (पैरा 8 और 9)

एक अन्य पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए । अभियोक्त्री और अभियुक्त की सापेक्ष आयु रही होगी । अभियुक्त सुसंगत समय पर 20 वर्ष से कम आयु का था, या लगभग 20 वर्ष की आयु थी, क्योंकि धारा 313 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने के समय पर, जो अभिकथित घटना के एक माह के बाद अभिलिखित किया गया था, उसकी आयु 20 वर्ष के रूप में वर्णित है । तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन रहा है कि आरंभ में अभियोक्त्री का अपीलार्थी के साथ विवाह के प्रस्ताव को अपीलार्थी के परिवार द्वारा स्वीकार किया गया था और जब अपीलार्थी द्वारा विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो अंततः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । ये सभी बातें

इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि जिसे बलात्संग के रूप में अभिकथित किया गया था, वह बलात्संग नहीं था अपितु एक सहमतिजन्य कार्य था । केवल एक बात जो सहमतिजन्य पहलू को अतात्विक बना सकती थी और इसे एक 'बलात्संग' का मामला बना सकती थी, वह थी अभियोक्त्री की आयु । तथापि, चिकित्सा साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि उसकी आयु सोलह वर्ष से अधिक है । अभियोजन पक्ष द्वारा जन्म की तारीख को 4 अप्रैल, 1987 के रूप में सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया एकमात्र साक्ष्य अर्थात् विद्यालय रजिस्टर को निश्चायक रूप से साबित नहीं किया गया है । इन तथ्यों में और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के महत्व के आधार पर इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई निश्चायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित नहीं किया है कि अभियोक्त्री की आयु अभिकथित अपराध कारित होने के समय पर सोलह वर्ष से कम थी और इसलिए फायदा अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था । दूसरी बात यह कि स्वयं बलात्संग के तथ्य के बारे में यह न्यायालय आश्वस्त नहीं हैं कि इस मामले में बलात्संग का अपराध बनता है, क्योंकि इससे भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन परिभाषित अनुसार बलात्संग के संघटकों की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि न्यायालय ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाता है जिससे यह सुझाव मिल सके कि अपीलार्थी ने भले ही अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया भी हो, तो वह उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना था । (पैरा 10 और 11)

बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री के साक्ष्य का महत्व किसी क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य जितना होता है । यह भी सही है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । तिस पर भी, जब दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, तो न्यायालयों को भी इस एकमात्र परिसाक्ष्य की परीक्षा करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए । अभियोक्त्री तथा अभियुक्त दोनों को ऋजु विचारण का अधिकार है और इसलिए जब अभियोक्त्री के कथन से विश्वास प्रेरित नहीं होता है और

संदेह उत्पन्न होता है, तो न्यायालय को अवश्य संपुष्टिकारी साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए । (पैरा 5)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2008]	(2008) 15 एस. सी. सी. 133 : **राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	5
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 92 : **सदाशिव रामराव हडबे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ;	5
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 384 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह** ;	5
[1988]	(1988) सप्ली. एस. सी. सी. 604 : **बिराड़ मल सिंघवी** बनाम **आनंद पुरोहित** ।	9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 2276.

2001 की दांडिक अपील सं. 1051 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2014 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री जय किशोर सिंह, मोहित राज और हेमंत शर्मा
प्रत्यर्थी की ओर से	समर विजय सिंह, संजय कुमार त्यागी, केशव मित्तल, सबर्णी सोम और अमन देव शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने दिया ।

न्या. धूलिया – इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने में व्यतिक्रम करने के अनुबंधनों सहित दंडादिष्ट किया गया है । अपील में विचारण न्यायालय के तारीख 3 सितंबर, 2001 के आदेश को पंजाब

और हरियाणा उच्च न्यायालय द्‌वारा तारीख 19 फरवरी, 2014 के निर्णय के अनुसार कायम रखा गया है ।

2. ज्ञान चंद (शिकायतकर्ता), जो अपीलार्थी के बड़े भाई पप्पू का ससुर है, द्‌वारा तारीख 23 अक्तूबर, 2000 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । इसमें कहा गया था कि तारीख 2 सितंबर, 2000 को पप्पू ने शिकायतकर्ता को उसकी छोटी पुत्री (जो वर्तमान अभियोक्त्री है) को अपनी बहिन, जिसने हाल ही में एक बालिका को जन्म दिया था, की देखभाल करने के लिए उसके घर भेजने का अनुरोध किया । यह अभिकथन किया गया है कि अभियोक्त्री की आयु सुसंगत समय पर 15 वर्ष थी । अभियोक्त्री को उसके पिता द्‌वारा उसकी बहिन के दांपत्य निवास में कुछ समय रहने के लिए भेजा गया । एक माह से अधिक के बाद अभियोक्त्री अपने घर वापस आई और अपनी माता को बताया कि जब वह अपनी बहिन के घर में थी तब वर्तमान अपीलार्थी माणक चंद **उर्फ** मणि, जो पप्पू का छोटा भाई है, ने उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् दो से तीन बार इस अपराध को दोहराया । आरंभ में, परिवारों के बीच नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए मामले को "निपटाया" जा रहा था और दोनों परिवार अभियोक्त्री का विवाह अपीलार्थी माणक चंद **उर्फ** मणि के साथ करने के लिए सहमत थे । किंतु यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी के परिवार ने बाद में तारीख 23 अक्तूबर, 2000 को इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस थाना शहर डबवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 506 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । संक्षेप में अभियोजन का यही पक्षकथन है ।

3. अन्वेषण के पश्चात् तारीख 2 नवंबर, 2000 को आरोप पत्र फाइल किया गया और मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया जहां अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्‌ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 5, जो अभियोक्त्री थी, सहित सात साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री घटना की तारीख को अप्राप्तवय थी । इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने विद्‌यालय के रजिस्टर में अभियोक्त्री की 4 अप्रैल, 1987 के रूप में अभिलिखित

जन्म की तारीख का अवलंब लिया । अभि. सा. 5 अर्थात् अभियोक्त्री ने तारीख 17 अप्रैल, 2001 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि उसके "जीजा" (ब्रदर-इन-ला) द्वारा उसे सहायता करने के लिए उनके घर भेजने का अनुरोध करने पर वह अपनी बहिन के साथ रहने के लिए गई थी । तारीख 12 सितंबर, 2000 को जब उसकी बहिन घर पर नहीं थी और अभियोक्त्री अकेली थी, तब अपीलार्थी उसके कमरे में आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, उसे चाकू दिखाया और मारने की धमकी दी कि यदि उसने उसकी कामवासना पूरी नहीं की तो जान से और फिर उसके साथ बलात्संग किया । उसने यह भी कथन किया कि उस घटना के पश्चात् अपीलार्थी ने दो या तीन अलग-अलग अवसरों पर अभियोक्त्री के साथ वही कृत्य कारित किया । वह फिर अपनी माता के घर वापस आई और अपनी माता सीता देवी/सीतो बाई को घटना के बारे में बताया, जो कि स्वीकृत रूप से बलात्संग की घटना से एक माह से अधिक के पश्चात् की बात है । उसका पिता ज्ञान चंद (अभि. सा. 6) ने भी उसके वृत्तांत का समर्थन किया । उसने कहा कि यह जानकारी प्राप्त होने पर वह अपने दामाद पप्पू के घर गया और उसे वह संपूर्ण घटना बताई जो उसे उसकी पुत्री द्वारा बताई गई थी । उसने फिर अपीलार्थी के माता-पिता के समक्ष अभियोक्त्री का विवाह अपीलार्थी माणक चंद **उर्फ** मणि के साथ करने का प्रस्ताव रखा किंतु चूंकि उसे कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया इसलिए उसने तारीख 23 अक्तूबर, 2000 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

अभि. सा. 1 डा. कुलविन्दर कौर द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2000 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया गया । अभि. सा. 1 ने कहा कि अभियोक्त्री की आयु, जैसी कि उसे अभियोक्त्री की माता द्वारा बताई गई थी, 16 वर्ष थी और अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण का ब्योरा निम्नलिखित है :–

> "**साधारण परीक्षण :** सुगठित वयस्क महिला, पूर्णतः सचेत, साधारण रूप से विकसित । वक्षस्थल, गरदन, चेहरे, उदर और जांघ पर बाह्य क्षति का कोई चिह्न नहीं था ।

स्थानीय परीक्षण : उसके पूरी तरह विकसित जघन बाल थे ; बाह्य जननांग पूरी तरह विकसित और सामान्य थे । बाह्य क्षति का कोई चिह्न नहीं था ।

योनिक परीक्षण के अनुसार : लघु भगोष्ठ अतिवर्धित था, योनिच्छद फटा हुआ था और दो अंगुलियां जा रही थी । भग में और आस-पास तीव्र सूजन का कोई चिह्न नहीं था । गर्भास्य गर्भहीन, दृढ़ और चंचल तथा फोर्निक्स फोक्स मुक्त था । उसके योनिक स्राव की फुरेरी नहीं ली गई थी क्योंकि रोगी का पांच दिन पहले ऋतुस्राव हुआ था और हमले की घटना डेढ़ से दो माह पहले की थी । प्रदर्श पीबी चिकित्सा विधिक रिपोर्ट की सत्य प्रति है । प्रथमत:, अभियोक्त्री की आयु उसकी माता की सूचना के आधार पर 15 वर्ष अभिलिखित की गई थी जिसे बाद में सुधार करके 16 वर्ष किया गया । यह सुधार भी अभियोक्त्री की माता की सूचना के आधार पर किया गया था ।

रोगी के चिकित्सीय परीक्षण के समय पर यह प्रतीत हुआ था कि उसके विरुद्ध किसी बल का प्रयोग नहीं किया गया था । मैं रोगी के जघन बालों और जननांग इत्यादि के विकास के आधार पर उसकी आयु के बारे में राय व्यक्त नहीं कर सकती । रोगी मैथुन की अभ्यस्त थी क्योंकि उसका लघु भगोष्ठ अतिवर्धित था और योनिच्छद में दो अंगुलियां प्रवेश कर रही थी ।"

4. इस प्रक्रम पर, हमें उल्लेख करना होगा कि सुसंगत समय पर अर्थात् वर्ष 2000 में जब कथित रूप से अभिकथित बलात्संग का अपराध कारित किया गया था, तब सहमति संबंधी आयु सोलह वर्ष और इसके ऊपर थी । वर्ष 2013 में किए गए संशोधन द्वारा ही इसे बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था । विद्यालय के रजिस्टर में, जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, अभि. सा. 5 की जन्म की तारीख 4 अप्रैल, 1987 दिखाई गई है जिससे घटना के समय पर अभियोक्त्री की आयु केवल साढ़े तेरह वर्ष बनती है । तथापि, उसके चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार और डाक्टर की रिपोर्ट में अभियोक्त्री की सोलह वर्ष आयु है । इसके अतिरिक्त, स्वयं अभियोक्त्री की माता का वृत्तांत यह है कि अभियोक्त्री की आयु सोलह वर्ष थी ।

5. बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री के साक्ष्य का महत्व किसी क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य जितना होता है । यह भी सही है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । तिस पर भी, जब दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, तो न्यायालयों को भी इस एकमात्र परिसाक्ष्य की परीक्षा करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, जैसा कि **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह**[1] वाले मामले में चेताया गया है :–

> "यदि अभियोक्त्री के साक्ष्य से विश्वास प्रेरित होता है, तो उसका उसके कथन की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि की ईप्सा किए बिना अवलंब लिया जा सकता है । यदि किसी कारण से न्यायालय उसके परिसाक्ष्य पर निर्विवाद अवलंब लेने में कठिनाई पाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जिससे उसके परिसाक्ष्य पर विश्वास हो सके और ऐसा साक्ष्य किसी सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित संपुष्टि से कम हो सकता है । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को लैंगिक उत्पीड़न के मामलों पर विचार करते समय अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत और संवेदनशील रहना चाहिए ।"

सदाशिव रामराव हडबे बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी बात को दोहराया गया था :–

> "यह सही है कि बलात्संग के मामले में अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि यह परिसाक्ष्य न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास प्रेरित करने में समर्थ हो । यदि अभियोक्त्री द्वारा दिए गए वृत्तांत का किसी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं होता है या संपूर्ण परिवर्ती परिस्थितियां अत्यधिक अनधिसंभाव्य हैं और अभियोक्त्री द्वारा उपस्थापित किया गया मामला झूठा है, तो न्यायालय

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 384.

[2] (2006) 10 एस. सी. सी. 92.

अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही नहीं करेगा ।"

अभियोक्त्री तथा अभियुक्त दोनों को ऋजु विचारण का अधिकार है और इसलिए जब अभियोक्त्री के कथन से विश्वास प्रेरित नहीं होता है और संदेह उत्पन्न होता है, तो न्यायालय को अवश्य संपुष्टिकारी साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए । **गुरमीत सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेने के उपरांत इस न्यायालय ने **राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

"10. पूर्वोक्त निर्णयों में यह मूलभूत सिद्धांत अधिकथित किया गया है कि सामान्य तौर पर किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए, इतना ही नहीं क्योंकि उसके कथन का मूल्यांकन किसी क्षतिग्रस्त साक्षी के समान किया जाना चाहिए और यदि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है । निस्संदेह, पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों का अत्यधिक महत्व होना चाहिए और हम सादर उनसे सहमत हैं, किंतु साथ ही साथ उन्हें न्यायालय के समक्ष आने वाले लैंगिक हमले के हर मामले के तथ्यों को सार्वभौमिक और यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

11. इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बलात्संग से विपदग्रस्त को अत्यधिक कष्ट और अपमान कारित होता है किंतु साथ ही साथ बलात्संग के मिथ्या अभिकथन से अभियुक्त को भी उतना ही कष्ट, अपमान और हानि कारित हो सकती है । अभियुक्त को भी अवश्य मिथ्या फंसाए जाने की संभाव्यता के प्रति संरक्षित किया जाना चाहिए, विशिष्ट रूप से जहां कई-सारे अभियुक्त अंतर्वलित हों । यह भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि क्षतिग्रस्त साक्षी उस समय मौजूद था जब घटना घटित हुई थी और सामान्य तौर पर ऐसा कोई साक्षी वास्तविक हमलावरों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, किंतु यह मानने के लिए कोई उपधारणा या अन्य आधार नहीं है कि ऐसे

---

[1] (2008) 15 एस. सी. सी. 133.

किसी साक्षी का कथन सदैव सही या किसी अतिशयोक्ति या अतिरंजना के बिना हो ।"

6. क्या वर्तमान मामले में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य से विश्वास प्रेरित होता है ? हमें खेद है कि इससे विश्वास प्रेरित नहीं होता है । हम पुनः एक बार तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं । यद्यपि बलात्संग की प्रथम घटना अभिकथित रूप से तारीख 12 सितंबर, 2000 की है, तो भी अभियोक्त्री ने किसी को भी तुरंत इसके बारे में नहीं बताया था । उसने दो या तीन अलग-अलग अवसरों पर पुनः बलात्संग करने का अभिकथन किया है, यद्यपि कोई तारीख और समय नहीं बताया है । उसने इसके बारे में डेढ़ माह के पश्चात् केवल अपनी माता को बताया था । इसके पश्चात् किसी और द्वारा नहीं अपितु अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य (अभि. सा. 2 अर्थात् राम सहाय द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए विद्यालय रजिस्टर में) में यह आया है कि अभियोक्त्री तारीख 12 सितंबर, 2000 को डबवाली स्थित स्कूल में अपनी कक्षा में हाजिर हुई थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी । हमें यह उल्लेख करना होगा कि उसने उसी दिन गांव सांवत खेड़ा में उसके साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन किया है, जहां वह सुसंगत समय पर अपनी बहिन के साथ उसके दांपत्य निवास में ठहरी हुई थी । यह असंभव नहीं तो अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है । अन्य पहलू स्वयं अभियोजन पक्ष की यह स्वीकृत स्थिति है कि चूंकि विवाह के आरंभिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था इसलिए अंततोगत्वा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई थी । ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष के वृत्तांत पर संदेह पैदा करते हैं ।

7. अभियोजन पक्ष ने इसके पश्चात् डा. कुलविन्दर कौर द्वारा अभि. सा. 1 के रूप में दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का भी अवलंब लिया है जिसमें उल्लिखित है कि अभियोक्त्री का योनिच्छद फटा हुआ था और इसलिए उसके साथ बलात्संग किया गया था । इसके विपरीत, जब हम उसी चिकित्सा रिपोर्ट की विस्तार से परीक्षा करते हैं, तो पूरी तरह भिन्न तस्वीर उभरकर आती है । तथापि, विचारण न्यायालय ने अभियोक्त्री की जन्म की तारीख के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अवलंब लिया था, जो स्कूल के रजिस्टर में तारीख 4 अप्रैल,

1987 के रूप में अभिलिखित थी और इसलिए अभिकथित अपराध के समय पर उसकी आयु केवल साढ़े तेरह वर्ष थी और इस प्रकार विचारण न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि अभियोक्त्री मैथुन के लिए एक सहमत पक्षकार थी, तो भी उसकी सहमति अतात्विक होगी चूंकि उसकी आयु सोलह वर्ष से कम थी और इसलिए बलात्संग का अपराध साबित होता है । तथापि, अपील में उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री के सहमत पक्षकार होने की उपधारणा को त्यक्त कर दिया था और बलात्संग के संबंध में पूरी तरह से अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया और अपील खारिज कर दी । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा आयु के बारे में या बलात्संग के बारे में भी साक्ष्य की उचित रूप से परीक्षा नहीं की गई थी । न्यायालयों को प्रत्येक साक्ष्य की खुले मस्तिष्क से निष्पक्ष रूप से परीक्षा करनी चाहिए क्योंकि अभियुक्त के बारे में दोषी साबित होने तक निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है । हमारे दांडिक विधिशास्त्र की हमारी प्रतिपक्षात्मक व्यवस्था में सदैव ब्लैकस्टोन का विनिश्चयाधार मार्गदर्शक सिद्धांत होगा जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि एक निर्दोष को दंडित करने की बजाय दस दोषी व्यक्तियों को छोड़ना बेहतर है ।

8. यहां दो पहलू हैं जिन पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को उसकी अपेक्षा जो किया गया है, अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए था । पहला है अभियोक्त्री की आयु । मामले में अभियोक्त्री की आयु का अत्यधिक महत्वपूर्ण सरोकार है । अभियोक्त्री को एक अप्राप्तवय (सोलह वर्ष से कम आयु) होने के रूप में अभिनिर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया एकमात्र साक्ष्य राजकीय बालिका उच्च विद्यालय के विद्यालय रजिस्टर का है, जो विद्यालय के लिपिक राम सहाय (अभि. सा. 2) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । निस्संदेह, विद्यालय के रजिस्टर में जन्म की तारीख 4 अप्रैल, 1987 है जो अभियोक्त्री को घटना के समय पर सोलह वर्ष से कम आयु की होना बताती है । किंतु राम सहाय (अभि. सा. 2) के साक्ष्य में यह भी आया है कि यह जन्म की तारीख अभियोक्त्री के माता-पिता के कथन के आधार पर अभिलिखित नहीं की गई थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताई गई थी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह

है कि यह उस राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर आधारित थी जहां जन्म की तारीख 4 अप्रैल, 1987 के रूप में अभिलिखित की गई थी । तिस पर भी, यह स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जिसके आधार पर जन्म की तारीख अभिलिखित की गई थी, कभी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था । तो भी, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ने विद्यालय के रजिस्टर की सत्यता पर विश्वास किया । यह वही विद्यालय का रजिस्टर है जिसमें तारीख 12 सितंबर, 2000 को विद्यालय में अभियोक्त्री की मौजूदगी दर्शाई गई है । यह वही तारीख भी है जब अभियोक्त्री के साथ सांवत खेड़ा गांव में अपीलार्थी के मकान में अभिकथित रूप से पहली बार बलात्संग किया गया था, जबकि विद्यालय डबवाली मंडी नामक एक अन्य स्थान पर स्थित है । जब प्रतिरक्षा पक्ष ने अभियोक्त्री के विद्यालय में होने और उसी समय पर सांवत खेड़ा गांव में होने की बात पर स्पष्ट विरोधाभास को उठाया था, तो विचारण न्यायालय ने उसी विद्यालय के रजिस्टर के साक्ष्य को विश्वसनीय न होने के कारण त्यक्त कर दिया था । कम से कम यह कहना होगा कि यह साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं है चूंकि विद्यालय का यही रजिस्टर अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए एकमात्र आधार है ।

9. **बिराड़ मल सिंघवी** बनाम **आनंद पुरोहित**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि किसी विद्यालय के रजिस्टर में जन्म की तारीख का कोई साक्ष्यिक महत्व इसकी प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिसने जन्म की तारीख दी थी, के परिसाक्ष्य के बिना नहीं होगा :–

> "14. ...... विद्यालय के रजिस्टर में वर्णित जन्म की तारीख का तब तक कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है जब तक उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं की जाती है जिसने प्रविष्टि की थी या जिसने जन्म की तारीख दी थी । प्रवेश पत्र या विद्यालय के रजिस्टर में अंतर्विष्ट प्रविष्टि को माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी या संबंधित व्यक्ति की जन्म की तारीख के बारे में विशेष ज्ञान रखने

[1] (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 604.

> वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया दर्शित किया जाना चाहिए । यदि जन्म की तारीख से संबंधित विद्यालय के रजिस्टर में प्रविष्टि माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है, तो उस प्रविष्टि का साक्ष्यिक महत्व होगा किंतु यदि यह किसी अजनबी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है जिसके पास जन्म की तारीख का ज्ञान होने का कोई विशेष साधन नहीं था, तो ऐसी प्रविष्टि का कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं होगा ।"

हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा विद्यालय रजिस्टर के रूप में अभियोक्त्री की आयु की बाबत प्रस्तुत किया गया सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी, विशेष रूप से जब अभियोक्त्री की आयु के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी साक्ष्य थे । अभियुक्त को दोषसिद्ध करना न तो सुरक्षित था और न ही उचित, विशिष्ट रूप से जब अभियोक्त्री की आयु मामले में ऐसा महत्वपूर्ण पहलू था । दूसरी बात यह है कि हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि चूंकि वर्तमान मामले में आयु एक महत्वपूर्ण पहलू था, इसलिए अभियोजन पक्ष को अभियोक्त्री की आयु का अवधारण करने के लिए अस्थि-विकास परीक्षण कराया जाना चाहिए था । वर्तमान मामले में यह नहीं कराया गया है । दूसरी ओर, अभियोक्त्री के नैदानिक परीक्षण के अनुसार, जो कि अभि. सा. 1 डा. कुलविन्दर कौर द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2000 को किया गया था और जिसे इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैरा में भी निर्दिष्ट किया गया है, हम पाते हैं कि अभियोक्त्री के माध्यमिक यौन लक्षण भली-भांति विकसित थे । डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अभियोक्त्री एक "सुगठित वयस्क महिला" है । एक अन्य स्थान पर इसमें उल्लिखित है "सुविकसित जघन बाल" और "बाह्य जननांग पूरी तरह विकसित और सामान्य थे" । फिर इसमें अभियोक्त्री की माता द्वारा उसे बताए अनुसार उसकी आयु 16 वर्ष के रूप में अभिलिखित है । इस रिपोर्ट में अभिलिखित है कि उसके वक्षस्थल, गरदन, चेहरे, उदर और जांघ पर बाह्य क्षति के कोई चिह्न नहीं थे । रिपोर्ट में फिर, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी आयु के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है :–

"रोगी के चिकित्सा परीक्षण के समय पर उस पर कोई बल प्रयोग किया गया प्रतीत नहीं होता है । मैं रोगी के जघन बालों और जननांग इत्यादि के विकास के आधार पर उसकी आयु के बारे में राय व्यक्त नहीं कर सकती । रोगी मैथुन की अभ्यस्थ थी क्योंकि उसका लघु भगोष्ठ अतिवर्धित था और योनिच्छद में दो अंगुलियां जा रही थीं ।"

डाक्टर ने आयु के बारे में अपनी राय नहीं दी थी, किंतु उसी रिपोर्ट में आयु सोलह वर्ष के रूप में अभिलिखित है । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री की आयु के बारे में किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो किया जाना चाहिए था वह अस्थि-विकास परीक्षण था । स्पष्ट रूप से यह परीक्षण नहीं कराया गया है । इसके अलावा, साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियोक्त्री की माता ने यह भी कहा था कि उसकी पुत्री की आयु सोलह वर्ष है ।

10. हमें एक अन्य पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए । यह अभियोक्त्री और अभियुक्त की सापेक्ष आयु रही होगी । अभियुक्त सुसंगत समय पर 20 वर्ष से कम आयु का था, या लगभग 20 वर्ष की आयु थी, क्योंकि धारा 313 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने के समय पर, जो अभिकथित घटना के एक माह के बाद अभिलिखित किया गया था, उसकी आयु 20 वर्ष के रूप में वर्णित है । तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन रहा है कि आरंभ में अभियोक्त्री का अपीलार्थी के साथ विवाह के प्रस्ताव को अपीलार्थी के परिवार द्वारा स्वीकार किया गया था और जब अपीलार्थी द्वारा विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो अंतत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । ये सभी बातें इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि जिसे बलात्संग के रूप में अभिकथित किया गया था, वह बलात्संग नहीं था अपितु एक सहमतिजन्य कार्य था । केवल एक बात जो सहमतिजन्य पहलू को अतात्विक बना सकती थी और इसे एक 'बलात्संग' का मामला बना सकती थी, वह थी अभियोक्त्री की आयु । तथापि, चिकित्सा साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि उसकी आयु सोलह वर्ष से अधिक है । अभियोजन पक्ष द्वारा जन्म की तारीख को 4 अप्रैल, 1987 के रूप में

सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया एकमात्र साक्ष्य अर्थात् विद्यालय रजिस्टर को निश्चायक रूप से साबित नहीं किया गया है ।

11. इन तथ्यों में और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के महत्व के आधार पर हमारी सुविचारित राय है कि अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई निश्चायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित नहीं किया है कि अभियोक्त्री की आयु अभिकथित अपराध कारित होने के समय पर सोलह वर्ष से कम थी और इसलिए फायदा अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था । दूसरी बात यह कि स्वयं बलात्संग के तथ्य के बारे में हम आश्वस्त नहीं हैं कि इस मामले में बलात्संग का अपराध बनता है, क्योंकि इससे भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन परिभाषित अनुसार बलात्संग के संघटकों की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाते हैं जिससे यह सुझाव मिल सके कि अपीलार्थी ने भले ही अभियोक्त्री के साथ मैथुन किया भी हो, तो वह उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना था ।

12. परिणामत:, हम इस अपील को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय के तारीख 29 फरवरी, 2014 के आदेश तथा विचारण न्यायालय के तारीख 3 सितंबर, 2001 के आदेश को अपास्त करते हैं । तदनुसार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी को, जो जमानत पर है, अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । उसके जमानत बंधपत्रों को उन्मोचित किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

गतांक से आगे........

442. इसके पहले कि किसी वाद में आदेश 1, नियम 8 के अधीन अभियोजन चलाया जाए या प्रतिरक्षा की जाए, यह आवश्यक है कि ऐसे अनेक व्यक्ति होने चाहिए, जिनका वाद में समान हित अंतर्वलित हो । इसके पहले कि किसी व्यक्ति को अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की तरफ से किसी वाद को अभियोजित या प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए, न्यायालय से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आज्ञापक होगा । आदेश 1, नियम 8 की उपधारा 2 के अधीन यह अपेक्षित है कि वाद संस्थित कराए जाने की सूचना समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को उसी प्रकार से दी जानी चाहिए, जैसाकि निर्देशित किया गया है या सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा दी जानी चाहिए । कोई व्यक्ति जिसकी तरफ से या जिसके लाभार्थ वाद संस्थित कराया गया है या वाद में प्रतिरक्षा की जा रही है, वाद में पक्ष के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । किसी वाद में दावे का कोई भी भाग उपधारा 4 के अधीन परित्यक्त नहीं किया जा सकता और वाद वापस नहीं लिया जा सकता और न ही उस वाद में समझौता करार या संतुष्टि अभिलिखित की जा सकती है, जब तक कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना न दे दी गई हो । आदेश 1, नियम 8 में समाविष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे किसी वाद में पारित की गई डिक्री समस्त व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है, जिनकी तरफ से या जिनके लाभार्थ वाद संस्थित कराया गया है या प्रतिरक्षा की गई है ।

कुमारावेलू चेतियार बनाम **टी. पी. रामास्वामी अय्यर**[1] वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्धारित किया :–

> "स्पष्टीकरण VI उन मामलों तक सीमित नहीं है, जो आदेश 1, नियम 8 द्वारा आच्छादित होते हैं बल्कि ऐसे किसी भी मुकदमे में विस्तारित होता है, जिसमें पक्ष, इस नियम से बिल्कुल अलग, स्वयं के अतिरिक्त अन्य हितबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार होते हैं ।"

उपरोक्त सिद्धांत का अनुसरण **नारायण प्रभु वेंकटेश्वरा प्रभु** बनाम

[1] ए. आई. आर. 1933 प्रिवी कौंसिल 183.

नारायण प्रभु कृष्णा प्रभु[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा पारित विनिश्चय में किया गया । इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति के विभाजन के लिए फाइल किए गए किसी वाद में इस बाबत दावा कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की है, करने वाला प्रत्येक पक्ष, अपने अधिकार का दृढ़तापूर्वक दावा करता है और ऐसे हक के बाबत मुकदमेबाजी करते हैं, जो समान दावे करने वाले अन्य लोगों के लिए सामान्य है । इसलिए :

> "20. ... संपत्ति के विभाजन के वाद में इस बाबत दावा कि संपत्ति संयुक्त प्रकृति की है, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का दृढ़तापूर्वक दावा करता है और ऐसे हक के अंतर्गत मुकदमेबाजी करता है, जो समान दावे करने वाले अन्य लोगों के लिए सामान्य है । यदि ऐसे किसी विवाद्यक पर किसी अन्य वाद में मुकदमेबाजी की जाती है और उस मुकदमे में निर्णय पारित किया जाता है, तो हम ऐसा कोई कारण नहीं पाते कि समान दावा करने वाले अन्य लोगों के बाबत यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वे किसी ऐसे अधिकार का दावा कर रहे हैं, जो 'अपने और दूसरों के लिए समान' है । उनमें से प्रत्येक के बाबत स्पष्टीकरण VI के कारणवश अवधारणा की जा सकती है कि उसने उन सभी का प्रतिनिधित्व किया है, जिनके दावों की प्रकृति और हित सामान्य या समान हैं । यदि हम अन्यथा अभिनिर्धारित करते हैं, तो इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ होगा कि ऐसे मामलों में दो असंगत डिक्रियां पारित हो जाएंगी । यह निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ एक परीक्षण कि क्या किसी विशिष्ट मामले में पूर्व आदेश (res judicata) का सिद्धांत लागू होता है या नहीं, इस बाबत यह अभिनिर्धारित किया जाना होगा कि यदि इस सिद्धांत को लागू नहीं किया गया, तो क्या दो असंगत डिक्रियां विद्यमानता में आएंगी । हम समझते हैं यहां पर ऐसा ही मामला उपस्थित होगा ।"

443. **गुरुशिदप्पा गुरुबसप्पा भुसानूर** बनाम **गुरुशिदप्पा चेनाविरप्पा चेतनी**[2] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश

---

[1] (1977) 2 एस. सी. सी. 181.

[2] ए. आई. आर. 1937 बम्बई 238.

(न्यायमूर्ति रंगनेकर) ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "आदेश 1, नियम 8 इस बाबत सर्वांगीण है कि जो इसमें उपबंधित किया गया है और जो इससे स्पष्ट है, यह है कि जहां एक ही वाद में बहुत से पक्ष हैं तो वाद आदेश 1, नियम 8 के उपबंधों के अधीन संस्थित कराया जा सकता है । यह तभी संभव है, जब वाद स्पष्टीकरण VI के अर्थान्तर्गत प्रतिनिधिक वाद हो, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि यह वाद आदेश 1, नियम 8 के अधीन आच्छादित हो और इसलिए इस वाद को इस आदेश के उपबंधों के अधीन लाए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह इस देश में बहुत शुरूआती समय में अभिनिर्धारित किया जा चुका है ...
>
> इसलिए, स्पष्टीकरण VI उन मामलों तक सीमित नहीं है, जो आदेश 1, नियम 8 द्वारा आच्छादित होते हैं, बल्कि इस स्पष्टीकरण में ऐसी कोई भी मुकदमेबाजी सम्मिलित होगी, जिसमें पक्ष नियम से बिल्कुल अलग स्वयं के अलावा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं ।"

अत: हम श्री नफाडे की दलीलों पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ इस सिद्धांत पर विचार करते हुए अग्रसर होते हैं कि आदेश 1, नियम 8 के उपबंध 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण VI की प्रयोज्यता को नियंत्रित नहीं करते । वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए पूर्व आदेश (res judicata) के सिद्धांतों की प्रयोज्यता का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है । वह स्थिति, जो धारा 11 में समाविष्ट सिद्धांतों की कसौटी पर विचारार्थ उद्भूत होती है, निम्नलिखित है :–

> (i) प्रथम बिंदु जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, यह है कि क्या पश्चात्वर्ती वाद के पक्ष वही है, जो पूर्ववर्ती वाद के पक्ष थे या क्या वे एक ही नाम से मुकदमेबाजी कर रहे थे । पूर्ववर्ती वाद महंत रघुबर दास द्वारा स्वयं अयोध्या स्थित जन्मस्थान के महंत की हैसियत से संस्थित कराया गया था । वाद रघुबर दास द्वारा निर्मोही अखाड़ा के महंत की हैसियत से संस्थित नहीं कराया गया था । अत: यह सुस्पष्ट है कि 1885 के वाद में निर्मोही

अखाड़ा का नाम अनुपस्थित है । इसलिए धारा 11 के स्पष्टीकरण VI की प्रयोज्यता के लिए प्राथमिक अपेक्षा आकर्षित नहीं होती । 1885 का वाद महंत रघुबर दास द्वारा उनकी व्यक्तिगत हैसियत में संस्थित कराया गया था । यह वाद उनके निर्मोही अखाड़ा के महंत की हैसियत में या हिंदुओं की तरफ से संयुक्त रूप से संस्थित नहीं कराया गया था;

(ii) 1885 के वाद में न तो देवता, जो वाद संख्या 5 में प्रथम और द्वितीय वादी हैं और न ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड, जो वाद संख्या 4 में वादी है, पक्ष थे । महंत रघुबर दास ने आरंभिकत: केवल सेक्रेटरी आफ स्टेट फार काउंसिल इन इंडिया को पक्ष बनाते हुए पूर्ववर्ती वाद संस्थित कराया था । तत्पश्चात् मोहम्मद असगर को उसकी मुतवल्ली की हैसियत में पक्ष बनाया गया था । पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के पक्ष भिन्न थे;

(iii) पूर्ववर्ती वाद में ईप्सित अनुतोष राम चबूतरा पर मंदिर के निर्माण की अनुज्ञा के प्रयोजनार्थ था । वर्तमान कार्यवाहियों में जो अनुतोष ईप्सित है, वह अन्य बातों के साथ-साथ विवादित संपत्ति की प्रकृति के संबंध में न्यायनिर्णयन का अनुतोष है । अर्थात् क्या वह स्थान एक मस्जिद है, जो जनता को समर्पित है या वह स्थान हिंदुओं का उपासना स्थल है; और

(iv) 1885 के वाद में केवल 17 x 21 फीट की माप वाले जन्मस्थान के चबूतरे, जिसके बाबत यह दावा किया गया था कि वह वादी के कब्जे में है, पर विचार किया गया था । वाद की विषयवस्तु दर्शित करने वाला मानचित्र कार्यवाहियों के साथ संलग्न है । इसके विपरीत, वाद संख्या 4 और 5 में वादग्रस्त संपत्ति में भीतरी और बाहरी, दोनों बरामदे समाविष्ट हैं । वाद संख्या 5 में जिस अनुतोष का दावा किया गया है, वह निम्नलिखित है –

> "इस बाबत घोषणा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि का संपूर्ण परिसर, जैसाकि संलग्नकों I, II और III में वर्णित और चित्रित है, वादी देवताओं से संबंधित है ।"

वादपत्र के पैरा 2 में संलग्नकों I, II और III को वर्णित किया गया है :–

"भवन परिसरों के दो स्थल मानचित्र और संलग्न क्षेत्र, जिसको श्रीराम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, जिनको शिवशंकर लाल प्लीडर द्वारा तैयार किया गया था .... इस वादपत्र के साथ उनकी तारीख 25 मई, 1950 की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जा रहे हैं और संलग्नक I, II और III के रूप में अलग-अलग उसके भाग बनाए जा रहे हैं ।"

डा. एम. इस्माइल फारुकी बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात् अब यह विवाद मात्र भीतरी और बाहरी बरामदों, जिनको वाद संख्या 5 के वादपत्र में संलग्नक-I में वर्णित किया गया है, तक सीमित रह गया है । उच्च न्यायालय ने इस विवाद का न्यायनिर्णयन इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किया । वाद संख्या 4 और 5 में वादग्रस्त संपत्ति 17 x 21 फीट की माप वाले चबूतरे से बृहत्तर प्रकृति की है, जो 1885 के पूर्ववर्ती वाद की विषयवस्तु थी, निःसंदेह रूप से चबूतरा भी वादग्रस्त संपत्ति का भाग था ।

444. **श्रीमती वी. राजेश्वरी** बनाम **टी. सी. सर्वणाबवा**[2] वाले मामले में अपीलार्थी ने एक वाद वर्ष 1984 में 1817 वर्ग फीट की माप वाली संपत्ति के हक की घोषणा और कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए संस्थित कराया था । इसके पूर्व वर्ष 1965 में उसके पूर्वजों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध संपत्ति पर स्थित भवन के प्रथम तल पर स्थित 240 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले भाग के बाबत हक की घोषणा और कब्जे के लिए एक वाद संस्थित कराया था । उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा संस्थित कराए गए वाद में हक और कब्जे का विवाद्यक निर्णीत हो गया था और पश्चात्वर्ती वाद पूर्व आदेश (res judicata) द्वारा वर्जित था । उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को पलटते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :–

"अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हैं, स्वीकृततः पूर्व आदेश (res judicata) का अभिवाक् विचारण

---

[1] (1994) 6 एस. सी. सी. 360.

[2] (2004) 1 एस. सी. सी. 551.

न्यायालय और प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष अभिवचनों द्वारा नहीं उठाया गया था और उस पर विचार नहीं किया गया था । वादी ने प्रथम अपीली न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पूर्ववर्ती वाद, जिसमें उसके हक-हिताधिकारी पक्ष थे, के निर्णय और डिक्री को अभिलेख पर लाए जाने की ईप्सा की थी । उसने यह दलील दी थी कि वह न केवल दस्तावेजों की श्रृंखला द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के बाबत उसके हक को साबित करने में सफल रहा है, बल्कि पूर्ववर्ती निर्णय, जो उसकी वादग्रस्त संपत्ति के एक भाग से संबंधित था, द्वारा भी उसके पूर्वजों के हक को मान्य ठहराया गया था और जिससे उसका मामला और अधिक मजबूत हो गया था । उस मामले में प्रत्यर्थी को दस्तावेजों की जानकारी थी, फिर भी उसने पूर्व आदेश (res judicata) के अभिवाक् का आश्रय नहीं लिया । उच्च न्यायालय को इस बाबत अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए था कि मामले में विवाद्यक क्या है और पूर्ववर्ती वाद में किन विवाद्यकों पर सुनवाई हुई थी और क्या निर्णय पारित किया गया था । अब यह तथ्य विचारार्थ शेष रह जाता है कि क्या पूर्ववर्ती वाद संपूर्ण संपत्ति, जो वर्तमान में वाद में अंतर्वलित है, के छोटे से भाग तक सीमित था और संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट भाग के संबंध में पारित किया गया विनिश्चय किसी भी स्थिति में संपूर्ण संपत्ति, जो वर्तमान में मुकदमेबाजी की विषयवस्तु है, के बाबत पूर्व आदेश (res judicata) गठित नहीं कर सकता था ।”

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

445. श्री नफाडे ने **के. एथिराजन** बनाम **लक्ष्मी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब इस प्रतिपादना के समर्थन में लिया कि धारा 11 के अधीन पूर्व आदेश (res judicata) का सिद्धांत तब आकर्षित होता है जब पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती वादों के पक्ष समान हों और उनके मध्य समान विवाद्यक प्रत्यक्षत: और सारभूत रूप से अंतर्वलित हों और यद्यपि पूर्ववर्ती वाद में संपत्ति का केवल एक भाग अंतर्वलित था, जबकि

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 578.

पश्चात्वर्ती वाद में संपूर्ण संपत्ति विवाद की विषयवस्तु हो । पूर्व न्याय के अभिवाक्, जिसके बाबत श्री नफाडे द्‌वारा दलील दी गई, को स्वीकार किए जाने में निम्नलिखित कठिनाई है :-

(i) वर्ष 1885 में महंत रघुबर दास द्‌वारा फाइल किया गया पूर्ववर्ती वाद प्रतिनिधिक हैसियत में फाइल किया गया वाद नहीं था । महंत रघुबर दास ने स्वयं के बाबत जन्मस्थान के महंत होने का दावा किया था । उन्होंने निर्मोही अखाड़ा के महंत के रूप में कोई अभिवाक् नहीं किया था । उनका दावा व्यक्तिगत था;

(ii) न तो वाद संख्या 4 में प्रतिवादी और न ही वाद संख्या 5 में वादी देवता पूर्ववर्ती कार्यवाहियों के पक्ष थे । 1885 का वाद हिंदुओं की तरफ से प्रतिनिधिक हैसियत में संस्थित नहीं कराया गया था और न ही इस बाबत कोई अभिवचन किया गया था । महंत रघुबर दास ने उनके द्‌वारा फाइल किए गए वाद में शिबायती अधिकारों के बाबत कोई दावा नहीं किया था और न ही उनके द्‌वारा फाइल किए गए वाद के न्यायनिर्णयन में शिबायती प्रकृति के किसी दावे पर विचार किया गया था । इसके विपरीत वाद संख्या 3 में किए गए दावे और निर्मोही अखाड़ा की तरफ से फाइल किए गए वाद संख्या 5 में प्रतिरक्षा में उठाए गए प्रश्न में पोषणीयता का प्रश्न शिबायती अधिकारों से ही सृजित होता है;

(iii) विचारण न्यायालय ने 1885 के वाद को खारिज करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि चबूतरे का कब्जा और स्वामित्व हिंदुओं में निहित था । तथापि, यह वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मंदिर निर्माण के लिए अनुज्ञा प्रदान किए जाने से विधि और व्यवस्था का गंभीर रूप से भंग अंतर्वलित हो जाएगा । इस आधार पर वाद को खारिज किए जाने वाले आदेश की पुष्टि जिला न्यायाधीश द्‌वारा अपील में कर दी गई थी । तथापि, चबूतरा के कब्जे और स्वामित्व के संबंध में निष्कर्ष को निरर्थक बताया गया और तद्‌नुसार इस निष्कर्ष को समाप्त किए जाने के लिए निर्देशित किया गया । न्यायिक आयुक्त ने वाद खारिज किए जाने वाले आदेश की पुष्टि कर दी थी । यद्‌यपि न्यायिक आयुक्त ने

यह अभिनिर्धारित किया था कि हिंदुओं का निकटवर्ती मस्जिद परिसर के भीतर कतिपय स्थानों तक प्रवेश का सीमित अधिकार था, फिर भी उन्होंने यह मताभिव्यक्ति की कि इस बात को साबित किए जाने के लिए अभिलेख पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि वादी (महंत रघुबर दास) प्रश्नगत भूमि का कर्ताधर्ता है । यह निष्कर्ष ऐसे वाद में निकाला गया, जिसमें न तो वादी देवता और न ही निर्मोही अखाड़ा पक्ष थे, इसलिए, यह निष्कर्ष उनके विरुद्ध पूर्व आदेश (res judicata) की भांति क्रियान्वित नहीं हो सकता;

(iv) पूर्व आदेश (res judicata) का सिद्धांत किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवारित किए जाने के प्रयोजनार्थ ईप्सित है, जो समान वादकारण पर आधारित किसी विवाद के संबंध में बार-बार वाद फाइल करता है । 1885 के वाद का वादकारण, जैसाकि पहले भी विचार किया गया है, पूर्णतः सुभिन्न था; और

(v) 1885 के वाद में दिया गया विनिश्चय व्यक्ति बंधी प्रकृति का विनिश्चय था, जो उस वाद में वादी द्वारा किए गए दावे पर आधारित था । न्यायिक आयुक्त द्वारा दिए गए विनिश्चय में की गई कोई भी मताभिव्यक्ति न तो देवताओं (वाद संख्या 5 में वादी), जो न तो पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में पक्ष थे, पर बाध्यकारी होगी और न ही हिंदुओं पर । इसके अतिरिक्त वाद संख्या 4 में मुस्लिमों द्वारा फाइल किए गए 1885 के वाद, जो हक का दावा था, में कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया गया था ।

446. इस दलील में कोई भी गुणागुण नहीं है कि रचनात्मक पूर्व आदेश (constructive res judicata) का सिद्धांत पश्चात्वर्ती वादों को वर्जित कर देगा । पश्चात्वर्ती वाद के पक्ष भिन्न थे । पूर्ववर्ती वाद में किया गया दावा भिन्न था । वास्तव में उस वाद में किए गए दावे का आधार वह नहीं था, जो पश्चात्वर्ती वादों की विषयवस्तु था । इसी प्रकार से विवाद्यक पर विबंधन के सिद्धांत (doctrine of issue estoppel) या अभिलेख द्वारा विबंधन (estoppel by record) पर आधारित निवेदन में भी कोई गुणागुण नहीं है । परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणोंवश विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री नफाडे द्वारा किए गए निवेदनों, जिनके द्वारा

वाद संख्या 5 की पोषणीयता पर पूर्व आदेश (res judicata) के आधार पर एतराज प्रस्तुत किए गए, में कोई गुणागुण नहीं है ।

ढ.9 पुरातत्व रिपोर्ट

447. सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड* द्वारा संस्थित कराए गए वाद और देवताओं द्वारा संस्थित कराए गए वाद**, दोनों में एक विवाद्यक विरचित किया गया था कि क्या मस्जिद का विवादित ढांचा किसी मंदिर, जो इस स्थल पर विद्यमान था, को ध्वस्त किए जाने के पश्चात् निर्मित किया गया था ।

448. उच्च न्यायालय ने तारीख 1 अगस्त, 2002 को प्रस्तावित किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन कराया जाए । उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया कि उत्खनन के पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विवादित स्थल का सर्वेक्षण जमीन को भेदने वाले रडार या भू-रेडियोलॉजी प्रणाली का प्रयोग करते हुए करेगा । उच्च न्यायालय द्वारा इन प्रस्तावित निर्देशों के विरुद्ध फाइल किए गए एतराज को सुनने के पश्चात् तारीख 23 अक्तूबर, 2002 को अस्वीकृत कर दिया गया था । तत्पश्चात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक निगमित निकाय द्वारा जमीन को भेदने वाले रडार द्वारा सर्वेक्षण कराया, जिसने तारीख 17 फरवरी, 2003 को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में राम चबूतरा वाले क्षेत्र के सदृश्य 'गर्भगृह के मुख्य चबूतरे के उत्तर से दक्षिण की तरफ विसंगत संरेखण पाए गए' । इन विसंगतियों ने निम्नलिखित स्थिति की तरफ संकेत किया :–

> "...विवादित परिसर के व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करने वाले चित्रों और आकाश से दिखाई देने वाले गड्ढों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'विसंगत संरेखण' किसी दीवार की नींव को दर्शित

---

* 1989 के मूल वाद संख्या 4 विवाद्यक 1(ख) इस प्रकार है : 'क्या यह भवन किसी अभिकथित हिंदू मंदिर के स्थल पर, उसको गिराकर, निर्मित किया गया था, जैसाकि प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा अभिकथित किया गया है ? यदि ऐसा है, तो इसके प्रभाव ?'

** 1989 के मूल वाद संख्या 4 विवाद्यक 1(ख) इस प्रकार है : 'क्या यह भवन किसी अभिकथित हिंदू मंदिर के स्थल पर, उसको गिराकर, निर्मित किया गया था, जैसाकि प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा अभिकथित किया गया है ? यदि ऐसा है, तो इसके प्रभाव ?'

करते हैं । राम चबूतरा वाले क्षेत्र में उन संरेखणों के तिर्यक प्रतिमान और विभिन्न स्तरीकृत ईकाइयां (प्रकट होती हैं) जहां से वे यह संकेत देती हैं कि वे एक दूसरे के समसामयिक न होकर क्रमिक निर्माण अवधियों से संबंधित हैं ।"

इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राम चबूतरा वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पत्थरों का क्रम 'किसी प्रकार के फर्श की संरचना का सूचक, संभवत: पत्थर की पटियां, हो सकता है, यदि वह प्राचीन स्रोत का है' । इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी उपदर्शित है :–

"तृतीय प्रकार की संरचनाएं जमीन के नीचे दबी हुई संरचनाओं के स्थल की संपूर्ण पूर्वी चाहरदीवारी को आच्छादित करती है । इनमें कुछ भीतरी बनावट या संरचना के साथ जमीन में दबे हुए स्तूप समाविष्ट हैं, जो ढही हुई सामग्री के सूचक हैं । इसी प्रकार की विसंगतताएं भू-भागीय ढलानों के ठीक पहले दक्षिणी-पश्चिम क्षेत्र में भी पाई गई है ।"

निष्कर्षत: जमीन को भेदने वाले रडार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अनेक विसंगतताएं परावर्तित होती हैं, जो 0.5 से 5.5 मीटर की गहराई में स्थित है, 'जो प्राचीन और समसामयिक संरचनाओं से सहबद्ध हो सकती हैं, जैसेकि खंभे, नींव, दीवारें, पत्थर या किसी ठोस पदार्थ के टुकड़े, स्थल के बड़े भाग में विस्तारित फर्श ।' तथापि, इस सर्वेक्षण से यह उपदर्शित हुआ कि इन विसंगतताओं की वास्तविक प्रकृति पुरातत्वीय उत्खनन के आधार पर की जा सकती है । उच्च न्यायालय ने यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल पर निम्नलिखित सीमा तक उत्खनन संचालित कराए जाने के लिए निर्देशित किया :–

"1950 के वाद संख्या 2 (1989 के वाद संख्या 1) में प्रस्तुत की गई आयुक्त रिपोर्ट में दर्शित क्षेत्र, जिसमें लगभग 100 x 100 का क्षेत्र आच्छादित है, जिसे योजना मानचित्र संख्या 1 में दर्शित किया गया है और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और तत्पश्चात् उत्तरी भाग, जो उक्त स्थल के उठे हुए चबूतरे के अंत तक और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व तक 50 फीट की सीमा तक विस्तारित है ।"

449. पुरातत्वविदों को निर्देशित किया गया था कि वे उस स्थान, जहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित थी और मूर्ति के चारों तरफ 10 फीट के विस्तार वाले स्थान तक के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न न करें । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह अपेक्षा भी की गई थी कि वे स्थल पर उपासना पर रोक न लगाए । उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित करते हुए तारीख 26 मार्च, 2003 को स्थल पर किए गए उत्खनन की प्रकृति को अभिलिखित किए जाने और उत्खनन के दौरान पाई गई कलाकृतियों को पक्षों और उनके काउंसेलों की उपस्थिति में सीलबंद किए जाने के लिए भी निर्देश जारी किए थे । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल को निर्देशित किया गया कि वे उन गड्ढों, जिनमें कलाकृतियां पाई गईं, की गहराई का अभिलेख तैयार करें और साथ ही इस बात का भी अभिलेख तैयार करें कि भूमि की किस स्तर की परत तक का उत्खनन किया गया । उच्च न्यायालय ने उत्खनन के दौरान निकाले गए निष्कर्षों के फोटोग्राफ लिए जाने के लिए भी अनुज्ञा प्रदान की गई थी । उच्च न्यायालय ने इस समस्त प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता लाए जाने और पक्षों का विश्वास बनाए रखे जाने के प्रयोजनार्थ इस बात को सुनिश्चित किया कि 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के कार्यों और मजदूरों को कार्य पर लगाए जाने के संबंध में' दोनों ही समुदायों से पर्याप्त संख्या में प्रत्यावेदन लिया जाना सुनिश्चित किया जाए । उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया के दौरान उत्खनन के संबंध में पक्षों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न आक्षेपों पर विचार किया । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तारीख 22 अगस्त, 2003 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसके विरुद्ध सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड और अन्य पक्षों ने एतराज फाइल किए । उच्च न्यायालय द्वारा इन एतराजों पर विचार किया गया था ।

450. वर्तमान विवाद में पुरातत्व साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक दलीलें दी गई हैं । ये दलीलें विभिन्न विवाद्यकों से संबंधित हैं, जैसेकि रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष, उन निष्कर्षों से निकाले गए अनुमान, अनुमानात्मक विज्ञान के रूप में पुरातत्व और साथ ही विवादों जैसेकि वर्तमान विवाद में पुरातत्व साक्ष्य का महत्व । न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ इन विषयों को संबोधित करना चाहिए : (i) रिपोर्ट के निष्कर्ष और अपनाई गई कार्यप्रणाली; (ii) रिपोर्ट में अभिलिखित निष्कर्षों के विरुद्ध

किए गए एतराज; (iii) वर्तमान प्रक्रम पर विशेषज्ञ साक्ष्य के बाबत न्यायिक सम्मान की स्थिति को सम्मिलित करते हुए जांच की परिधि; (iv) पुरातत्व साक्ष्य को शुद्धतः अनुमानिक और वस्तुनिष्ठ प्रकृति का मानते हुए चुनौती; (v) प्रमाण का मानक; और (vi) रिपोर्ट को वापस भेजा जाना और प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ा जाना । अंततः वर्तमान विवाद में हक के विनिर्धारण में पुरातात्विक साक्ष्य का संभावित मूल्य सुसंगत जांच है, जिसका उल्लेख निर्णय के अनुक्रम में किया जाएगा ।

451. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रिपोर्ट के प्रारंभ में स्थिरीकृत किए गए उद्देश्यों और अपनाई गई कार्यप्रणाली को उपदर्शित किया गया है । वह तरीका जिसमें गड्ढों का उत्खनन किए जाने की योजना बनाई गई थी, का उल्लेख नीचे किया गया है :–

> "उत्खनन की योजना बनाते समय यह निर्णय लिया गया कि ऐसे स्थानों पर, जहां सीमित स्थान उपलब्ध है, गड्ढों की उत्खनन के लिए नवीनतम तकनीक अपनाई जाए और इसलिए 10 x 10 वर्गमीटर के विन्यास वाली सामान्य प्रथा के बजाय 4.25 x 4.25 वर्गमीटर वाले चार छोटे गड्ढे खोदे जाएं, जिनको 0.50 मीटर का चौतरफा स्थान छोड़ते हुए पृथक् किया जाए । (10 x 10 वर्गमीटर माप वाले गड्ढे खोदे जाने की) प्रथा को उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम, प्रत्येक दिशा में 5 मीटर की दूरी पर खूंटे स्थिरीकृत किए जाने के द्वारा 4 x 4 मीटर का क्षेत्र काटते हुए चारों तरफ 0.5 मीटर के स्थान के लिए रास्ता छोड़ते हुए परिवर्तित किया गया था, जिस कारणवश एक दूसरे के समीप स्थित गड्ढों में पुरातत्वविदों और श्रमिकों के सुविधाजनक आवागमन के लिए दोनों कटे हुए स्थानों के मध्य प्रभावी रूप से 10 मीटर का स्थान शेष रह गया । इन तथ्यों पर विचार करते हुए आधुनिक भराई और मलबे के कारण 1 मीटर चौड़ा स्थान विशेष रूप से उपबंधित किया गया ताकि अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में मिट्टी के दबाव के कारण गड्ढा ढह न जाए ।"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने संपूर्ण विवादित क्षेत्र में गड्ढे खोदे, सिवाय उस स्थान के जहां देवता को विराजमान किया गया है और वैज्ञानिक अध्ययन के नमूने एकत्रित किए :–

"प्लास्टर (चिपकने वाली मिट्टी), फर्श, हड्डियां, लकड़ी का कोयला और पुरा-वानस्पतिक के नमूनों को वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के लिए एकत्रित किया गया । संपूर्ण विवादित क्षेत्र में सभी तरफ खाइयां भी बिछा दी गईं थीं, सिवाय उस क्षेत्र के जहां अस्थायी संरचना (अस्थायी मंदिर) स्थित है, जहां रामलला अपने घेरे में विराजमान हैं और रामलला से 10 फीट की दूरी पर उत्खनन का कार्य, जैसाकि उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कि जमीन को भेदने वाले रडार द्वारा किए गए सर्वेक्षण द्वारा इंगित विसंगतताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा स्पष्ट किया गया, चल रहा था ।"

उत्खनन का कार्य और उससे निकाले गए निष्कर्षों को स्थिरीकृत और वीडियो फोटोग्राफी द्वारा अभिलेखबद्ध किया गया । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पांच माह की अवधि के दौरान 90 गड्ढों का उत्खनन किया और उत्खनन की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी उत्खनन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने अपने कार्य को पक्षों और उनके काउंसेलों की उपस्थिति में संपादित किया । उत्खनित सामग्री जिसमें प्राचीन कालीन वस्तुएं, दिलचस्पी की वस्तुएं, चमकीले मिट्टी के बर्तन, खपरे और हड्डियां सम्मिलित थीं, को गड्ढों से प्राप्त किया गया था और उनको पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सीलबंद कर दिया गया था और उनको फैज़ाबाद खंड के आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए कोष कक्ष (strong room) में जमा कर दिया गया था ।

पूर्वी क्षेत्र

452. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने आरंभिकतः उत्खनन का कार्य पूर्वी क्षेत्र में किया, जहां एक द्वार के अवशेषों के साथ अहाते की दीवार का पता चला, जिसमें पूर्ववर्ती कालों के फर्श और दीवारें समाविष्ट हैं । चबूतरे का केंद्रीय भाग, जिसे राम चबूतरा कहा जाता है, का पता इस क्षेत्र में चला, जिसका निर्माण पांच चरणों में किया गया था । मुख्य लक्षणों, जिनको भारतीय पुरातत्व दल द्वारा प्रकाश में लाया गया, का वर्णन नीचे किया गया है :–

"इस क्षेत्र में प्रकाश में लाए गए मुख्य लक्षणों में अहाते की दीवार के मध्य में 2.12 मीटर वाले भाग के साथ पुनर्प्रयुक्त ईंट-पत्थरों की चौदह पंक्तियां और कैल्क्रीट पत्थर की शिलाएं सम्मिलित हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह प्रवेश का मार्ग है, जिसके शीर्ष संगमरमर की पट्टियां द्वारा निर्मित है और फर्श की सतह, जिनमें चूना और सीमेंट सम्मिलित है और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के संगमरमर की पट्टियों द्वारा निर्मित है । कुछ लंबे चूल्हे और एक मुगलकालीन भट्टी भी पाई गई । (पीआई/3)"

दक्षिणी क्षेत्र

उठे हुए चबूतरे के दक्षिण की तरफ उत्खनित 23 गड्ढे खोदे गए थे । उत्खनन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती अवधि के लगभग 50 स्तंभ आधार प्राप्त हुए, जो दो बिंदुओं पर प्रकट होते हैं, स्तंभ आधारों के नीचे पूर्ववर्ती स्तंभ आधारों के अवशेष भी पाए गए । इस क्षेत्र में उत्खनन के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि इस क्षेत्र के बाहरी भाग में ईंटों का एक वृत्ताकार मंदिर स्थित है जिसके अंदरुनी हिस्से पूर्व दिशा में प्रवेश के लिए आयताकार प्रवेश द्वार के साथ चौकोर हैं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत किया गया है :–

"विवादित ढांचे की उत्तरी और पश्चिमी दीवारों के भाग और उनकी नींव और दक्षिणी और पश्चिमी दिशाओं की दीवारों की नींव, जो कैल्क्रीट पत्थर की शिलाओं द्वारा निर्मित है, को अनावृत्त किया गया और उनको पश्चिम में पूर्ववर्ती अवधि की 1.77 मीटर चौड़ी ईंटों द्वारा निर्मित दीवार के ऊपर टिकी हुई अवस्था में पाया गया, जिसके नीचे के भाग में पत्थर की अलंकृत शिलाएं और ठोस पत्थर की नींव पाई गई और 50 से अधिक स्तंभ आधार लगे हुए पाए गए, जिनको नियमित अंतराल में चूने से पुती ईंट की दीवार के साथ एक द्वार से संबद्ध किया गया है । विवादित ढांचे की दीवार के केंद्र को रोड़ा द्वारा भरा गया है । स्तंभ आधारों में वर्गाकार या वृत्ताकार बनावट में रोड़ा की कुछ परते समाविष्ट हैं, जिनके ऊपर 2 से 5 ठोस पत्थर की शिलाएं रखी हुई हैं, संभवत: उन पत्थर की शिलाओं के नीचे की भांति, जैसीकि उत्तरी क्षेत्र में पाई गई, यद्यपि

इस क्षेत्र में केवल एक अलंकृत बलुआ पत्थर की शिला पाई गई । पुनः, ऊपर उल्लिखित ईंट की दीवार के नीचे के अन्य ईंट की दीवार अधिसूचित की गई, जिसके शीर्ष पर अलंकृत पत्थर की शिलाओं का प्रयोग पाया गया । इसी दीवार में नीचे ई-8 और एफ-9 गड्ढों में ईंट की संरचनाएं अधिसूचित की गई, यद्यपि उनकी संपूर्ण संरचना प्रकाश में नहीं आ सकी । एफ-8 और एफ-9 गड्ढों में स्तंभ आधारों के नीचे दो बिंदुओं पर पूर्ववर्ती स्तंभ आधार भी पाए गए, जो द्वितीय तल से संबद्ध थे अर्थात् उस तल के नीचे से, जिसके साथ अधिकांश अन्य स्तंभ आधार संबद्ध थे । ऊपर उल्लिखित ईंटों की दीवार दक्षिणी दिशा में बुरी तरह से क्षतिग्रत पाई गई, संभवतः इस कारणवश की उसकी ईंटे निकाल ली गई थीं । यह दीवार उठे हुए फर्श की उत्तरी दिशा में विस्तारित पाई गई । ईंटों द्वारा निर्मित एक उपासना स्थल, जिसका बाहरी आकार वृत्ताकार और भीतरी आकार वर्गाकार है और जिसके पूर्व में प्रवेश के लिए वृत्ताकार प्रवेश द्वार है और जिसकी उत्तरी दिशा में ऊपर उल्लिखित दीवारों के स्तर पर ढलान पाई गई । इस क्षेत्र में दक्षिणी दिशा की गड्ढों की तरफ गहरी ढलान के कारण यह संभव नहीं था कि वहां पर उत्खनन किया जा सके । प्राकृतिक मिट्टी 10.84 मीटर की गहराई में जी-7 में पहुंच गई थी, जिसकी पुष्टि 13.20 मीटर की गहराई तक पुनः उत्खनन किए जाने पर हुई । (पीआई/5)"

पश्चिमी क्षेत्र

कुछ स्थानों पर ईंट के दीवारों के अवशेष, जो लगभग 50 परतों में हैं, देखे गए ।

उत्तरी क्षेत्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने उल्लेख किया :–

"दक्षिणी क्षेत्र में विशाल ईंटों की दीवार देखी गई, जो इस क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है और इस दीवार के आधार के नीचे एक अन्य दीवार भी पाई गई, जैसीकि पहले दक्षिणी क्षेत्र में भी पाई गई थीं । ऊपर के तीन तल और सबसे ऊपर के तल के

साथ संलग्न स्तंभ आधार अनावृत्त हुए । (पी. आई./10) इस क्षेत्र में स्तंभ आधारों की रोचक विशेषता यह है कि इन आधारों को कैल्क्रीट पत्थर की शिलाओं के ऊपर बलुआ पत्थर की वृत्ताकार शिलाओं, जिनको पत्थर के चार सीधे टुकड़ों द्वारा घेरा गया है और आधार पर खंभों को सहारा दिए जाने के प्रयोजनार्थ, ताकि किसी भी प्रकार की गति को रोका जा सके, चारों तरफ स्थापित किया गया है और इस प्रकार स्थापित किए जाने के द्वारा उचित प्रकार से परिष्कृति दी है । यह पत्थर की शिलाएं तल के ऊपर अत्यधिक न्यून मात्रा में प्रदर्शित होती है ।"

उभरा हुआ चबूतरा

विवादित ढांचे के ध्वंस के पश्चात् और उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 5 मार्च, 2003 को पारित आदेश के निबंधनों के अनुसार उत्खनन कार्य भागत: नब्बे गड्ढों में संपादित किया गया था । दक्षिणी क्षेत्र में चार गड्ढों के भाग उभरे हुए चबूतरे के नीचे थे । यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने ईंट की संरचनाएं, तल और तलों के नीचे स्तंभ आधार पाए और उभरे हुए चबूतरे पर विवादित ढांचे की दीवारें भी पाईं ।

453. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अध्याय 3 में अन्य बातों के साथ-साथ 'स्तरीय शैल-विज्ञान (stratigraphy) और कालक्रम (chronology)' पर विचार किया गया है । इस रिपोर्ट में यह उपदर्शित किया गया है कि उत्खनन के द्वारा 10.80 मीटर की गहराई तक अंतर्वलित सतत सांस्कृतिक क्रम के बारे में जानकारी मिलती है । इस सतत सांस्कृतिक क्रम को नव सांस्कृतिक अवधियों (जिनको नीचे स्पष्ट किया गया है) में 'मिट्टी के बर्तनों के क्रम, संरचनात्मक अवशेषों और आंकड़ों पर आधारित खोज के मिश्रित और पुष्टिकारक साक्ष्यों' के आधार पर विभाजित किया जा सकता है । इस रिपोर्ट के आधार पर यह उपदर्शित होता है कि उत्खनन वाले क्षेत्र में संरचनात्मक क्रियाकलाप कुषाण काल से आरंभ हो गए थे और गुप्त काल और उसके बाद तक आरंभ रहे :–

"उत्खननों से यह पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है कि (विवादित)

स्थल क्रमिक संरचनात्मक क्रियाकलापों, जो इस स्थल पर कुषाण काल के मध्य में आरंभ हुए, का साक्षी रहा है । ईंट और पत्थर की संरचनाएं, जो कुषाण काल और तत्पश्चात् गुप्तकाल और गुप्तकाल के पश्चात्वर्ती अवधियों में निर्मित किए गए थे, ने इस टीले को ऊंचाई प्रदान की थी । बाद में लोगों ने पहले से विद्यमान मलबे के ऊपर पुन: संरचनात्मक निर्माण किए जाने के प्रयोजनार्थ टीले की परिधि से उत्खनित मिट्टी को टीले, जो अत्यधिक पहले की सांस्कृतिक अवधियों से संबंधित था, पर जमा कर दिया । यह शेष संरचनात्मक चरणों के लिए भी सत्य है ।"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती अवधियों (अवधि । से ।।।) से प्राप्त चारकोल के नमूनों के सी-14 विनिर्धारण द्वितीय सहस्राब्दि बी.सी. की अंतिम शताब्दियों से आरंभ होने वाली तारीखें उपलब्ध कराते हैं ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जैसाकि ऊपर अभिकथित किया गया है, नौ सांस्कृतिक अवधियों की धरोहरों की विद्यमानता के बाबत निष्कर्ष अभिलिखित हैं :–

(i) अवधि – ।

उत्तरी काले पालिस वाले बर्तन की सतह

यह अवधि छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है जिसके दौरान इस स्थल पर बसने वाले प्राचीनतम लोग उत्तरी भारत में प्रयुक्त होने वाले काली पालीस वाले बर्तनों और उसी से सहबद्ध अन्य बर्तनों (धूसर रंग के बर्तनों, फिसलन वाले काले रंग के बर्तनों और लाल रंग के बर्तनों) का प्रयोग करते थे, जो उस कालावधि के निदान चीनी मिट्टी के बर्तन है । इस अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई, सिवाय जली हुई मिट्टी पर सरकंडों के निशानों के :–

"(i) अवधि – । (उत्तरी काले पालिस वाले बर्तन की सतह)

... मिट्टी के बर्तन के अतिरिक्त इस स्तर पर टूटे हुए वज्रन, मन्नत मांगने वाले जलाशय, कान की बालियां, नक्षत्र-मंडल,

हेपस्काच*, चक्र पर बनाया गया पहिया, टूटी हुई पशु मूर्ति (समस्त टेराकोटा द्वारा निर्मित), लोहे की चाकू (टूटी हुई), कांच की गोलियां, हड्डी की नोक इत्यादि प्राप्त हुए । तथापि, इस स्तर से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुई वह हरे कांच द्वारा निर्मित गोल खांचा** है, जिसके अग्र भाग पर भीतर धंसे हुए भाग में अशोका काल की ब्राह्मी भाषा में लेख 'सिद्धे' दृश्यमान होता है जबकि समतल में इसके विपरीत दृश्यमान होता है । (आर. जी. संख्या 778)"

(ii) अवधि-II

सुंगा सतह

सुंगा स्तर 'लगभग द्वितीय – प्रथम शताब्दी बी. सी.' से संबंधित है । इस अवधि के दौरान यह स्थल पत्थर और ईंट के द्वारा प्रथम संरचनात्मक क्रियाकलापों का साक्षी बना । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह अभिकथित है :–

> "... इस अवधि में यह घटित हुआ था कि यह स्थल पत्थर और ईंट द्वारा प्रथम संरचनात्मक क्रियाकलाप, जैसाकि जे. 3 में उल्लेख किया गया है, का साक्षी बना । इस स्तर का प्रतिनिधित्व मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियों, चूड़ियां, गोला, पहियां और ब्राह्मी लिपि (आ.जी. संख्या 701) में केवल 'श्री वर्ण के साथ एक टूटी हुई मुद्रा, एक काठ लगी हुई चक्की और पत्थर में ढक्कन का भाग, एक कांच की गोली, एक बालों में लगाने वाली पिन और हड्डी पर एक नक्काशी को समाविष्ट करने वाली टेराकोटा की वस्तुएं द्वारा किया गया है ।"

(iii) अवधि III

कुषाण सतह

इस अवधि, जो लगभग प्रथम-तृतीय शताब्दी ए. डी. से संबंधित है,

---

* बच्चों का खेल जिसमें प्रत्येक बच्चा बारी-बारी से जमीन पर अंकित वर्गों में से किसी एक वर्ग में फेंके गए मार्कर को पुनः प्राप्त करने के लिए कूदता है ।

** घड़ी के चेहरे या अन्य उपकरण के कांच या प्लास्टिक कवर को पकड़कर रखने वाली एक नालीदार अंगूठी ।

ने मिट्टी के बर्तनों के बड़ी मात्रा में भंडार का निष्कर्ष का परिणाम दिया है । उत्खनन में निकाले गए निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :–

> "तथापि, जी-7 गड्ढे में एक सीमित क्षेत्र में पशुओं और मनुष्यों की मूर्तियां, चूड़ी का टुकड़ा, मन्नत मांगने वाले जलाशय का भाग, जो सभी टेराकोटा द्वारा निर्मित हैं, हड्डी द्वारा निर्मित बालों में लगाई जाने वाली पिन, कांच की गोली और सुरमा लगाने वाली ताम्बे की छड़ प्राप्त हुए । यद्यपि गड्ढा-15 में नियमित रूप से पाए गए स्तरीकृत जमा का प्रयोग कार्यक्षेत्र में नहीं किया गया, फिर भी पूर्वी भाग में नियमित बयान के अभिलेख स्थल पर लगभग समस्त संरचनात्मक क्रियाकलाप प्राप्त हुए । एक भारी ईंट निर्माण, जो उत्खनित सतह से 22 क्रम ऊपर चल रहा है, को जे-5 - जे-6 के तल पर देखा गया, जो इसी अवधि से संबंधित है । कुषाण काल ने निश्चित रूप से बड़े आयामों वाली संरचनाओं के निर्माण, जो उनकी सार्वजनिक हैसियत को सत्यापित करते हैं, को बढ़ावा दिया । इसके अतिरिक्त इसी गड्ढे ने पत्थर की संरचना, जिसकी प्रकृति अधिक स्पष्ट नहीं है, के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया ।"

(iv) अवधि – IV

गुप्त सतह

यह अवधि चौथी-छठी शताब्दी ए. डी. से संबंधित है, जो टेराकोटा मूर्तियों और कांसे के सिक्के की उपस्थिति द्वारा प्रमाणित है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है :–

> "लगभग दो मीटर चौड़ी जमा, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्ववर्ती अवधि के अवशेषों के ऊपर जी-7 में सतह 7 और 8 द्वारा किया गया, जे. 5 – जे. 6 में सतह 9 और 10 द्वारा किया गया और एफ-8 में सतह 7 और 8 द्वारा किया गया, गुप्तकाल से संबंधित है (लगभग चौथी-छठी शताब्दी ए. डी.) और जिनकी उपस्थिति को अवधि की विशिष्ट और निश्चित रूप से अधिकांशत: टेराकोटा मूर्तियों, कांसे के सिक्के (3.75 मीटर, सतह 8, जी-7, आर.जी. संख्या 1030), जिसके अग्र भाग पर सम्राट और ऊपरी रजिस्टर पर गरुड़ मानक और पृष्ठ भाग के निचले मानक पर आदर्श वाक्य 'श्री चंद्र (गुप्त)' का चित्र अंकित है, द्वारा प्रमाणित किया गया ।"

(v) अवधि – (V)

गुप्तकाल के पश्चात् का काल – राजपूत सतह

यह अवधि सातवीं से दसवीं शताब्दी ए. डी. से संबंधित है । उपरोक्त अवधि से संबंधित उत्खनन के परिणामस्वरूप एक वृत्ताकार पूरक पूजा स्थल का पता चला है, जो इस अवधि के अंतिम समयावधि से संबंधित है :–

> "यह अवधि चाकू के धार वाले कटोरे और अन्य प्रकार के कटोरों, जो सातवीं से दसवीं शताब्दी ए. डी. की अवधि से संबंधित हैं, की उपस्थिति द्वारा चिह्नित है । यह अवधि भी गड्ढ़ा ई-8 और एफ-8 में अनेक अवस्थाओं में संरचनात्मक क्रियाकलाप की साक्षी बनी । इस अवधि की अंतिम सतह से संबंधित एक वृत्ताकार पूरक पूजा स्थल इ8 - एफ8 (आकृति 24 और 24ए) में अनावृत्त हुई । मिट्टी के बर्तनों के जमावड़े के मध्य उस अवधि में मुर्गी पालन के मुकाबले कुषाण सतह की प्रकृति वाले कार्य अधिक पाए गए ।"

(vi) अवधि – VI

मध्य युगीन – सल्तनत सतह

यह अवधि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ए. डी. से संबंधित है । उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :–

> "पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर फर्श पर बिछाई जाने वाली रोड़ी द्वारा निर्मित एक मोटा फर्श प्रकट हुआ, जो एक चौड़ी और विशाल दिखने वाली उत्तर दक्षिण उन्मुख ईंट की दीवार (संख्या 17) से संलग्न है और पूर्व की ओर झुकाव (जिसको गड्ढ़ा डी-7 और ई-2 – ई-1, एफ-1 और जेएफ में पाया गया) द्वारा चिह्नित है । यह उस अवधि (लगभग ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ए. डी.) का प्रमुख संरचनात्मक क्रियाकलाप था । समान अभिविन्यास में एक अन्य दीवार जी-2 और जेड-1 में 180 सेंमी. की गहराई में पाई गई, जो जी-2 में 6-ए सतह द्वारा सीलबंद है । एक लाल रोड़ी वाला फर्श पाया गया, जो अलग-अलग मोटाई के साथ गड्ढ़ा ई-8, एफ-8, जी-7, जे-5 और

जे-6 को आच्छादित करने वाले टीले के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है । समान सतह पर गड्ढ़ा जी-5 में पत्थर की शिलाओं की बनावट पाई गई, जो बड़े आयाम की हो सकती है ।"

(vii) अवधि – VII

मध्ययुगीन सतह

यह अवधि बारहवीं शताब्दी ए. डी. के अंत से सोलहवीं शताब्दी ए. डी. के अंत तक की अवधि को आच्छादित करती है और तीन उप-अवधियों-क, ख और ग में संरचनात्मक क्रियाकलापों को समाविष्ट करती है ।

उप-अवधि 'क' में किए गए उत्खनन से यह दर्शित होता है :–

"... **उप-अवधि 'क'** में उत्तर-दक्षिण दिशा में एक विशाल दीवार (संख्या 16) का निर्माण किया गया था, जिसके आधार का गड्ढ़ा पूर्ववर्ती अवधि वाले लाल रोड़ी वाले फर्श को भेदता है । इस अवधि में एक नए प्रकार का निर्माण पाया गया, यद्यपि वह सीमित क्षेत्र में विद्यमान है । टीले की ऊंचाई को आस-पास की भूमि से उत्खनित सामग्री द्वारा बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, ताकि महीन मिट्टी और ईंटों के मिश्रण के साथ मिश्रित चूने का फर्श निर्मित किया जा सके, जिसके ऊपर स्तंभ आधारित संरचना का निर्माण किया गया (गड्ढ़ा एफ-9, एफ-8 और जी-7 में स्तंभ आधार के साक्ष्य उपलब्ध हैं) ।"

उप-अवधि 'ख' के बाबत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उपदर्शित है :–

"ईंटों द्वारा निर्मित बड़े फुटपाथ (पीआई 67) को भेदते हुए 1.05 मीटर के व्यास वाला एक वृत्ताकार गड्ढ़ा विशेष रूप से निर्मित किया गया, जिसका पश्चिम की तरफ आयताकार प्रक्षेपण 0.46 x 0.32 मीटर का है । यह उल्लेख किया जाना रुचिकर होगा कि यदि केंद्रीय भाग की संगणना दीवार 16 या दीवार 17 और उत्तर से दक्षिण के स्तंभ आधारों के संरेखन (सिधाई) की देशांतरीय लंबाई की मौजूदा लंबाई के आधार पर की जाती है, तो केंद्रीय भाग

फुटपाथ के मध्य में आता है । इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह महत्व का स्थान है । इसके अतिरिक्त वृत्ताकार गड्ढ़ा विवादित ढांचे के केंद्रीय भाग के समक्ष स्थित है, जिसके ऊपर 'रामलला' प्रतिष्ठापित हैं । ईंट, जिनकी माप 50 x 50 x 8 से 10 सेंमी., 50 x 47 x 8 सेंमी. और 40 x 40 x 6 सेंमी. की है, का प्रयोग फुटपाथ के निर्माण में विशेष रूप से निर्मित फर्श की पट्टियों के रूप में किया गया था ।"

उप-अवधि 'ख' के बाबत निकाले गए उपरोक्त निष्कर्षों में वृत्ताकार गड्ढे की विद्यमानता अभिलिखित है, इस गड्ढे के केंद्रीय भाग में उपस्थिति यह उपदर्शित करती है कि यह महत्व का स्थान है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिकथित किया गया है कि केंद्रीय गड्ढ़ा विवादित ढांचे के केंद्रीय भाग के समक्ष स्थित है, जिसके ऊपर देवता प्रतिष्ठापित हैं ।

उप-अवधि 'ग' में खंभों या स्तंभों के समर्थन में नींव की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित हैं :–

"खंभों या स्तंभों को सहारा देने के लिए इस नींव की गाद डूबी हुई अवस्था में थी, जो 4-5 सेंमी. मोटे फर्श द्वारा आच्छादित थी और जो दृश्यमान खंभों के लिए वर्गाकार बलुआ पत्थर के आधारों के एक जाल के स्वरूप में थी, जिनमें से कुछ शेष हैं । अधिकांश स्तंभ आधारों के चारों तरफ फर्श स्तंभ आधारों सहित टूटी हुई और अत्यधिक अस्त-व्यस्त दशा में पाई गई ।"

(viii) अवधि – VIII

मुगल सतह

रिपोर्ट में यह उपदर्शित है :–

"पूर्ववर्ती अवधि (अवधि VII-ग) के फर्श को विवादित ढांचे (मस्जिद) के काले पत्थरों की नींव (जो अधिकांशत: कैल्क्रीट पत्थरों द्वारा निर्मित है) द्वारा भेदित पाया गया । तथापि, अवधि 7-क की उत्तर-दक्षिण दीवार काले पत्थरों की दीवार को नींव के रूप में सहारा दिए हुए है । नींव के भीतर और उसके ठीक सामने वाले

भाग में धरती से टकराती हुई सतह के ठीक सामने का एक भाग, जो बाद में भूरे रंग के कंकड़ों की गाद और खाकी गाद की पतली सतह से टकराता है, जिसमें नदी की वे सीपियां समाविष्ट हैं, जो जलकर सफेद हो गईं । कुल गाद की मोटाई 20-25 सेंमी. है, जो पूर्व की तरफ कुछ दूरी तक तहबंद फर्श सृजित करते हुए ढांचे के भीतर और बाहर मुगल अवधि के प्रथम तल के लिए छत के रूप में कार्य करती है ।"

(ix) **अवधि – IX**

मुगल सतह के अंतकाल और पश्चात् की सतह

इस अवधि में पूर्व दिशा में दो फर्श, जो एक दूसरे के पश्चात् निर्मित किए गए, एक अन्य चबूतरा निर्मित किया गया, एक खुली छत और तत्पश्चात् अहाते की दो दीवारें, जो एक दूसरे के पश्चात् निर्मित की गईं । इसके अतिरिक्त :–

"इस अवधि में (विवादित ढांचे में) पहले से विद्यमान चबूतरे के पूर्व में खुली छत के आकार वाला चबूतरा जोड़ा गया, पूर्ववर्ती अवधियों की गाद का उत्खनन किया गया और उसको हटाया गया, जिसमें VII-ग अवधि वाला तल पूर्वी क्षेत्र से पृथक् होकर नष्ट हो गया था । इसके कुछ समय पश्चात् प्रथम तल पर स्थित छत से एक दीवार संलग्न की गई और साथ में फर्श के केंद्र में एक लघु सीढ़ी निर्मित की गई और तत्पश्चात् ढांचे के भीतर एक अन्य तल जोड़ा गया, जो वर्तमान में संलग्न फर्श के बाहर स्थित है और विभाजन वाली दीवार से सटा हुआ है । कुछ समय पश्चात् संपूर्ण परिसर में बिना किसी नींव के एक आहाते का निर्माण किया गया, जिसमें दो द्वार थे, बड़ा द्वार उत्तर दिशा में और छोटा द्वार पूर्व दिशा में था । इसी अवधि के आस-पास किसी समय बिंदु पर विवादित ढांचे के उत्तर और दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया जाने लगा, जिस कारणवश ऊपरी तल पृथक् हो गए और सतह-I द्वारा सीलबंद हो गए थे ।"

454. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का अध्याय IV ढांचों (संरचनाओं) से संबंधित है । इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण खंड

“विवादित ढांचे के नीचे विशाल संरचना” नामक शीर्षक वाला खंड है । इस भाग के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> “उत्खनन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ स्तंभ आधारों की सत्रह पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में पांच स्तम्भ आधार थे । स्थान की कमी और प्राकृतिक अवरोधों के कारण ऊपर उठा कर निर्मित किए गए चबूतरे पर अस्थाई निर्माण द्वारा अधिभोग के अधीन लिए गए केन्द्रीय स्थान वाले भाग में स्तंभ आधारों का पता नहीं लगाया जा सका । उत्खनित पचास आधार स्तंभों में से केवल बारह आधार स्तम्भ पूर्णतया दृश्यमान हो सके, पैंतीस आधार स्तम्भ भागतः दृश्यमान हुए और तीन आधार स्तंभों की खोज केवल खण्डों में की जा सकी। पूर्ववर्ती उत्खनन के दौरान कुछ आधार स्तंभों का पता चला था और जिसके पश्चात् भूमि की विभिन्न सतहों के साथ उनके सम्बन्ध और उनकी भार सहने की क्षमता के बाबत विवाद उत्पन्न हो गया था । किन्तु इस विवाद का समाधान वर्तमान उत्खनन से उन आधारों, जिनमें कैल्क्रीट और पत्थर की शिलाएं समाविष्ट हैं और जिनको ईंट के रोड़े की नींव पर उचित तरीके से व्यवस्थित और स्थापित किया गया है और विवादित ढांचे के पहले मौजूद ढांचे के शीर्ष तल के साथ उनके जुड़ाव सहित पंक्ति में उनकी व्यवस्था के मूल स्वरूप के अनावृत्त हो जाने के कारण हो गया है ।
>
> पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए निर्मित ईंट की दीवार (दीवार संख्या 16) के साथ स्तंभ आधारों की सत्रह पंक्तियों का निर्माण किया गया था । प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ आधार की दीवार से दूरी 3.60 से 3.86 मीटर तक है । स्तंभ आधारों की सत्रह पंक्तियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की दूरी के आधार पर तीन अलग-अलग समूहों, जिनमें भिन्नता है, में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा की दूरी में प्रत्येक स्तंभ आधार के केंद्र से केंद्र की भिन्नता 2.90 मीटर से 3.30 मीटर तक है । उत्तर और दक्षिण दिशा में स्तम्भ आधारों की छः पंक्तियां एक दूसरे से सामान दूरी, जो 3 से 3.30 मीटर तक है, पर हैं । केंद्र में स्थित पांच पंक्तियां, जिनमें पच्चीस स्तम्भ आधार

समाविष्ट हैं, विभिन्न समीकरण दर्शित करती हैं – केन्द्रीय पंक्ति के दोनों तरफ दो पंक्तियां लगभग 5.25 मीटर की दूरी पर हैं जबकि इन तीनों पंक्तियों के दोनों तरफ दो अन्य पंक्तियां 4.20-4.25 मीटर की दूरी पर हैं । इन बातों के आधार पर यह निष्कर्ष सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है कि स्तम्भ वाली संरचना का केन्द्रीय भाग महत्वपूर्ण है और वास्तु योजना में उसको विशेष महत्व दिया गया था ।

दक्षिणी क्षेत्र में एक स्तंभ आधार के ऊपर अलंकृत बलुआ पत्थर पाया गया जबकि उत्तरी क्षेत्र में अनेक स्तम्भ आधार पाए गए जिनके शीर्ष पर सादे बलुआ पत्थर की शिलाएं स्थित हैं जिनको ईंट के रोड़े की नींव पर स्थापित किया गया था और जिनके ऊपर कैल्क्रीट की शिलाएं विद्‌यमान हैं (पी एल 36) । अनेक मामलों में चारों तरफ से पत्थर से घिरा हुआ बलुआ पत्थर का खंड पाया गया, जिस पर कोई आकृति नहीं पाई गई और ऐसा संभवतः इसलिए किया गया होगा ताकि उस खंड के ऊपर स्थापित स्तम्भ के स्थानान्तरण से बचा जा सके (पी आई 37-38) । पत्थर के घेरे के शीर्ष भाग के मध्य वाले भाग आगे की तरफ निकले हुए हैं । उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, जहां पत्थर के खंड नहीं पाए जाते, वहां स्तम्भ आधारों की ईंट के रोड़े वाली नींव के कैल्क्रीट खण्डों के ऊपर बलुआ पत्थर की पटियां पाई जाती हैं । <u>दक्षिणी क्षेत्र में गड्ढा संख्या एफ-7 में पाए गए स्तम्भ आधार संख्या 32 पर अलंकृत अष्टकोणीय बलुआ पत्थर का खंड, जिसके चारों कोनों पर पुष्प की आकृतियां बनी हुई हैं स्थल (पी आई 39) पर पाया गया विलक्षण उदाहरण है जो निश्चित रूप से बारहवीं शताब्दी ए. डी. से संबंधित है चूंकि यह सारनाथ स्थित कुमारादेवी के धर्माचक्राजिनाविहारा में पाए जाने वाले अलंकृत अष्टकोणीय बलुआ पत्थर का खण्डों, जो बारहवीं शताब्दी के आरंभिक काल से संबंधित हैं, के समरूप है</u> ।”

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में लगभग 47 स्तम्भ आधारों का विश्लेषण समाविष्ट हैं ।

वृत्ताकार पूजा स्थल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में पूर्व दिशा का सामना करते हुए एक पूजा स्थल, जो उत्खनन के परिणामस्वरूप अनावृत हुआ, का विश्लेषण समाविष्ट है । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि :–

> "**गड्ढा संख्या इ-8 और एफ-8 के मध्य गाद हटाए जाने के पश्चात् पूर्व दिशा का सामना करते हुए ईंटों द्वारा निर्मित आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक पूजा स्थल**, संरचना 5 (पी एल एस 59-60, आकृति 17, 24 और 24-क) अनावृत्त हुआ । यह पूर्व की दिशा में आयताकार बहिर्भाग के साथ एक वृत्ताकार संरचना है जिसका पिछला भाग गाद हटाए जाने के पहले ही दृश्यमान था । वृत्ताकार भाग के उत्तरी भाग के नीचे की ईंटों द्वारा निर्मित आठ पंक्तियां, जो ईंटों के रोड़े द्वारा निर्मित नींव पर स्थित है, सुरक्षित हैं जबकि दक्षिण दिशा वाला आधा भाग पश्चात्वर्ती चरण के निर्माण क्रियाकलाप, जिसके रोड़ों ने इस संरचना को इसके उपयोग्य स्तर तक नुकसान पहुंचाया, के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है । यह संरचना भीतर की तरफ से वर्गाकार है और इस संरचना की उत्तरी दीवार के माध्यम से इस दीवार के अंत तक बनाई गई योजना पर एक 0.04 मीटर चौड़ी और 0.53 मीटर लम्बी ढलान या निर्गम मार्ग अनावृत्त हुआ जिसके निचले हिस्से में वी आकार में 5.0 से. मी. मोटी ईंट काट कर लगाई गई है, जो टूटी हुई अवस्था में पाई गई और जो गोलाकार बाहरी सतह से 3.5 से. मी. बाहर निकली हुई है और जिसको जाहिर तौर पर देवता, जो वर्तमान में पूजा स्थल में विद्यमान नहीं हैं, पर जलाभिषेक के पश्चात् जल को बाहर निकालने के लिए एक परनाले के रूप में प्रयोग किया जाता था । इस संरचना का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा से एक आयताकार बहिर्भाग के रूप में है जिसमें ईंट के बारह पंक्तियां हैं जो वृत्ताकार संरचना से जुडी हुई हैं और जिसके द्वार की दहलीज पर 70×27×17 से. मी. का कैल्क्रीट अवरोध लगा हुआ है । इस पूजा स्थल के निर्माण में 28 x 21 x 5.5 से. मी. और 22 × 18 × 5 से. मी. वाली दो आकारों की ईंटों का प्रयोग किया गया था । प्रवेश

> द्वार के आयताकार बहिर्गत भाग की लम्बाई 1.32 मीटर है और यह पूर्व की दिशा में 32.5 से. मी. तक बाहर निकला हुआ है।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'निश्चित रूप से देवता, जो वर्तमान में पूजा स्थल में विद्यमान नहीं हैं', के जलाभिषेक के पश्चात्' जल की निकासी के लिए परनाला विद्यमान था । ईंट द्वारा निर्मित पूजा स्थल, जो उत्खनन के परिणामस्वरूप अनावृत्त हुआ, अभिकथित रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा श्रावस्ती और रीवा में किए गए उत्खनन के निष्कर्षों के समरूप हैं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुलनात्मक विश्लेषण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है वृत्ताकार पूजा स्थल लगभग दसवीं शताब्दी ए. डी. के कालखंड का हो सकता है ।

परिणामों का सारांश

455. परिणामों का सारांश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अध्याय X में समाविष्ट है । उत्खनन के परिणामों को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तनों का प्रयोग करने वाले मनुष्य ऐसे प्रथम मनुष्य थे जिन्होंने अयोध्या स्थित विवादित स्थल को प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व सर्वप्रथम अपने अधिभोगाधीन किया था । यद्यपि उस सीमित क्षेत्र, जिसकी जांच की गई, में किसी संरचनात्मक क्रियाकलाप का पता नहीं चला, फिर भी भौतिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व देवियों की टेराकोटा मूर्तियों, जिनकी आदिम मुखाकृतियां हैं, टेराकोटा और कांच के मोती, पहिए और मन्नत जलाशयों के टुकड़े आदि द्वारा किया गया है । सिरेमिक उद्योग के पास अनुसंधान के प्रयोजनार्थ भूरे, काले फिसलनदार और लाल बर्तनों के अलावा उस विशिष्ट अवधि से संबंधित पाई गईं विशेष वस्तुओं, जो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन (एनबीपीडब्ल्यू) हैं, का मुख्य संग्रह है । इस सतह की एक अन्य महत्वपूर्ण खोज अशोकन ब्राह्मी में मुद्रालेख के साथ गोल हस्ताक्षर है । इस महत्वपूर्ण साज सामान और 14वीं शताब्दी की तारीखों के आधार

पर उस अवधि को लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जा सकता है ।

इस स्थल पर सांस्कृतिक अधिभोग के क्रम में सुंगसाम्राज्य (द्वितीय-प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व) अगले स्थान पर आता है । इस सतह के सांस्कृतिक उत्पत्ति स्थान का प्रतिनिधित्व टेराकोटा द्वारा निर्मित विशिष्ट मातृ देवी, मानव और पशु मूर्तियां, मोती, हेयरपिन उत्कीर्णक इत्यादि करते हैं । मिट्टी के बर्तनों के संग्रह में काले फिसलनदार लाल और भूरे रंग के बर्तन इत्यादि सम्मिल्लित हैं । इस सतह पर प्राप्त हुई पत्थर और ईंट की संरचना विवादित स्थल पर संरचनात्मक गतिविधि के आरम्भ का प्रतीक है ।

कुषाण अवधि (प्रथम से तृतीय शताब्दी ए. डी.) के पश्चात् सुंग वंश का शासन आरम्भ हुआ। टेराकोटा द्वारा निर्मित मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां, मन्नत टैंकों के टुकड़े, मनके, सुरमे की छड़, बालों में लगाई जाने वाली पिन, कंगन के टुकड़े और लाल बर्तनों वाला सिरेमिक उद्योग इस स्थल पर ठेठ कुषाण अधिपत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण विशाल आकार वाले ढांचों का निर्माण है, जैसा कि बाईस कतारों में खड़े विशाल ढांचों द्वारा स्पष्ट होता है ।

गुप्त वंश के प्रादुर्भाव (चौथी से छठी शताब्दी ए. डी. में) के पश्चात् भवन निर्माण क्रियाकलापों में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, यद्यपि इस अवधि को इसके शास्त्रीय कलात्मक तत्वों के लिए जाना जाता है । तथापि, इस पहलू का प्रतिनिधित्व विशिष्ट टेराकोटा मूर्तियों और दिव्यचरित्र श्री चंद्र (गुप्त) की छवि के साथ एक तांबे के सिक्के और चित्रात्मक बर्तनों द्वारा होता है ।

गुप्त-राजपूत काल की पश्चात्वर्ती अवधि (सातवीं से दसवीं शताब्दी) के दौरान भी यह स्थल मुख्य रूप से पक्की ईंटों द्वारा निर्मित संरचनात्मक क्रियाकलाप का साक्षी बना । तथापि, उजागर संरचनाओं के मध्य ईंटों द्वारा निर्मित एक गोलाकार पूजा स्थल स्थित है, जिसने अपनी कार्यात्मक उपयोगिता के बारे में प्रथम बार बताया । इस पूजा स्थल की योजना को शीघ्रतापूर्वक दोहराते हुए

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बाह्य रूप से गोलाकार है जबकि भीतर से वर्गाकार है और इसका प्रवेश द्वार पश्चिम में स्थित है । यद्यपि यह ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है, किन्तु इसकी उत्तरी दीवार में आज भी परनाले अर्थात् जल निकासी के मार्ग का प्रावधान है जो गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों में पहले से ज्ञात समकालीन मंदिरों की विशिष्ट विशेषता होती है ।

इसके पश्चात् आरंभिक मध्यकालीन अवधि (ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी ए. डी.) के दौरान एक विशाल ढांचा, जो लगभग 50 ... उत्तर-दक्षिण अभिविन्यास का था, का निर्माण किया गया था, जिसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ ही समय तक अस्तित्व में रहा होगा, चूंकि उत्खनन के दौरान अनावृत्त 50 स्तम्भ-आधारों में से केवल चार आधार-स्तम्भ इस स्तर से संबंधित हैं, जिस पर रोड़ी के फर्श भी निर्मित हैं । उपरोक्त ढांचे के अवशेषों के ऊपर कम से कम तीन संरचनात्मक चरणों में एक विशाल ढांचे का निर्माण किया गया था और इस विशाल ढांचे के साथ क्रमबद्धता में तीन तल संलग्न थे । पूर्ववर्ती विशाल ढांचा, जो कुछ समय तक ही अस्तित्व में रहा और जिसके वास्तुशिल्प संबंधी भागों के साथ ... और अन्य सजावटी रूपांकनों का पुनर्प्रयोग विशाल स्तंभों वाले कक्ष (या दो कक्षों) की स्मारकीय संरचना में किया गया था और जो रिहायशी संरचनाओं से भिन्न है और सार्वजनिक प्रयोग वाले किसी निर्माण, जो अवधि VII (मध्ययुगीन-सल्तनतकाल-बारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी ए. डी.) के दौरान लम्बी अवधि तक विद्यमानता में रहा, के बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराता है । आरंभिक सत्रहवीं शताब्दी के दौरान इस निर्माण के शीर्ष पर विवादित ढांचे का निर्माण किया गया था जो प्रत्यक्षतः इसी के ऊपर टिका हुआ है । किसी विशाल और स्मारक संबंधी ढांचे की विद्यमानता के भी पर्याप्त सबूत मिले हैं, जो विवादित ढांचे के ठीक नीचे क्रमशः उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में न्यूनतम आयाम 50 × 30 मीटर आयाम के हैं । वर्तमान उत्खनन के दौरान कैल्क्रीट की शिलाओं के नीचे ईंट की रोड़ी वाले लगभग 50 आधार-स्तम्भ जिनके शीर्ष पर बलुआ पत्थर की शिलाएं स्थित

हैं, पाए गए । वर्तमान उत्खनन के दौरान उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अनावृत्त हुए आधार-स्तंभों से पूर्ववर्ती निर्माण की विशाल दीवार, जिससे वे आधार-स्तम्भ सम्बद्ध हैं, की लम्बाई मूलतः 60 मीटर (जिसमें से 50 मीटर की लंबाई की दीवार वर्तमान में उपलब्ध है) रही होगी, के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है । विवादित ढांचे के केन्द्रीय बड़े कक्ष का केंद्र पूर्ववर्ती अवधि की विशाल दीवार की लम्बाई के केन्द्रीय बिंदु के ठीक ऊपर स्थित है, जिसका उत्खनन अस्थाई निर्माण (अस्थाई मंदिर) वाले स्थल पर रामलला की उपस्थिति के कारण नहीं किया जा सका । यह क्षेत्र ऊंचाई पर बने हुए चबूतरे पर लगभग 15x15 मीटर का है । इस केन्द्रीय बिंदु के पूर्व की तरफ एक गोलाकार संरचना, जिसका बहिर्गत भाग पश्चिम की तरफ है, ईंटों द्वारा निर्मित बड़े आकार के फर्श पर स्थित है और जो उस स्थान को दर्शाता है जहां पर किसी महत्वपूर्ण वस्तु को रखा जाता था । विभिन्न गड्ढों से प्राप्त टेराकोटा के दिए और वे दिए, जिन्हें गड्ढा जी-2 में अवधि VII की सतह पर बड़ी मात्रा में पाया गया, ढांचागत चरण के साथ सहबद्ध हैं ।

अवधि VII के अंतिम चरण में चमकीले बर्तनों के टुकड़े अनावृत्त हुए और वे अगली अवधियों की सतहों तक अनावृत्त होते रहे जहां उनके साथ चमकीले पत्थर भी अनावृत्त होना आरम्भ हो गए, जिनको अधिसंभाव्य रूप से विवादित ढांचे के मूल निर्माण के समय प्रयोग किया गया था । इसी प्रकार से सेलाडॉन और चीनी मिट्टी के बर्तन का मामला है जो अत्यधिक अल्प मात्रा में प्राप्त हुए और जो द्वितीयक संदर्भ से संबंधित हैं। विभिन्न अवधियों की विभिन्न सतहों से जानवरों की हड्डियां भी अनावृत्त हुईं, किन्तु (मनुष्यों के) कंकालों के अवशेष उत्तरी और दक्षिणी गड्ढों में पाए गए और वे अवधि IX से संबंधित हैं, चूंकि कब्रों के गड्ढे पश्चात् निर्मित विवादित ढांचों के नीचे की मिट्टी को भेदते हुए समसामयिक निक्षेपण में पाए गए और जिनको शीर्ष पर मिट्टी के जमाव द्वारा भली-भांति बंद कर दिया गया था ।

इसी दौरान इस बात पर ध्यान दिया गया कि सुंग से गुप्त अवधियों तक अनावृत्त विभिन्न ढांचों की प्रकृति और कार्यात्मक

उपयोगिता के बारे में ज्ञात नहीं हो सका चूंकि उनको साबित किए जाने के बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि केवल अवधि IV (गुप्त सतह) के दौरान और उसके पश्चात् और अवधि IX (मुगलकाल के तुरंत पश्चात् और तत्पश्चात् काल) तक आबादी संबंधी नियमित गाद संबंधित सतहों से गायब हो गए थे और संरचनात्मक चरण या तो संरचनात्मक अवशेषों से सम्बद्ध होते हैं या उस सामग्री से, जिसे संरचना वाले क्षेत्र से संलग्न क्षेत्र से निकाला जाता है और संरचना वाले क्षेत्र में निर्माण के प्रयोजनार्थ समतल किए जाने के लिए भरा जाता है । इसके परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती अवधियों, विशेष रूप से अवधि 1 (एन बी पी डब्ल्यू सतह) और अवधि III (कुषाण सतह) से संबंधित बर्तनों, टेराकोटा और अन्य वस्तुओं के स्वरूप में सामग्री में से अधिकांश सामग्री को पश्चात्वर्ती अवधियों की गाद में पाया गया, जो इन अवधियों की समसामयिक सामग्री के साथ मिश्रित थी । अतः विवादित स्थल के नीचे का क्षेत्र लम्बे समय तक अवधि VIII (मुगल सतह) तक, जब विवादित ढांचे का निर्माण किया गया, जनसामान्य के प्रयोग का स्थान बना रहा और जिसके चारों तरफ आबादी थी, जैसा कि उत्खनन में पाए गए बर्तनों समेत समसामयिक पुरातात्विक सामग्री में से स्पष्ट है । इसी तथ्य का सत्यापन आगे भी आवासीय ढांचों की स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति जैसे कि अवधि IV (गुप्त सतह) और उसके आगे की अवधि से संबंधित मकानों के परिसरों, सोखता गड्ढे, मर्तबान, गोलाकार कुएं, नालियां, कुएं, चूल्हे, भट्टे और भट्टियां इत्यादि और विशेष रूप से अवधि VI (आरंभिक मध्युगीन-राजपूत सतह) और अवधि VII (मध्युगीन सल्तनत सतह) द्वारा किया गया है, ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

इस रिपोर्ट में अभिलिखित निष्कर्षों की तारीखों के सम्बन्ध में यह उपदर्शित किया गया है कि पूर्ववर्ती मानवीय क्रियाकलाप तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं :–

"पूर्ववर्ती अवशेष तेरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं, जिनकी पुष्टि दोनों अधिक संगत सी-14 से होती हैं, जो उत्तरी काले

पॉलिश वाले बर्तनों (एन बी पी डब्ल्यू) वाली सतह (अवधि-I) अर्थात् 910 = 100 ईसा पूर्व और 880 = 100 ईसा पूर्व हैं। ये तारीखें गड्ढा जी-7 से प्राप्त हुई हैं। ऊपर की सतह में जमा गाद में एन बी पी डब्ल्यू और उसके साथ सहबद्ध मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति के आधार पर चार अन्य तारीखों का भी विनिर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा 780 = 80 ईसा पूर्व, 710 = 90 ईसा पूर्व, 530 = 70 ईसा पूर्व और 320 = 80 ईसा पूर्व के रूप में किया गया है। एन बी पी डब्ल्यू, जिनके बारे में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि वे 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य के हैं, के साथ सहबद्ध उपरोक्त तारीखों के प्रकाश में इस अवधि को 1000 ईसा पूर्व पीछे तक ले जाया जा सकता है और यदि कोई एकमात्र तारीख उपलब्ध हो तो भी तीन शताब्दियों पूर्व की एन बी पी डब्ल्यू वाली अवधि के साथ सहबद्ध नहीं किया जा सकता, इस स्थल पर वैज्ञानिक डेटिंग क्रियाकलाप के आधार पर मानवीय क्रियाकलाप तेहरहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं, जो इस स्थल पर अधिभोग की निकटतम अवधि के एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं।"

अंततः, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित बातों को उपदर्शित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला :–

"अब, सम्पूर्णता में दृष्टिकोण अपनाते हुए और विवादित ढांचे के ठीक नीचे किसी विशाल संरचना के पुरातात्विक साक्ष्य और पत्थर और सजावटी ईंट और दैवीय युगल की विकृत मूर्ति और नक्काशीदार वास्तुशिल्प वाले मेहराबों की प्राप्ति के साथ दसवीं शताब्दी और उसके पश्चात् से विवादित ढांचे के निर्माण तक संरचनात्मक चरणों में निरंतरता के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पर्णसमूह के प्रतिमानों, अमलका, अर्धवृत्ताकार स्तंभ सहित कपोत्पलि द्वारजाम्ब, काली परतदार चट्टान के स्तंभ का टूटा हुआ अष्टकोणीय शाफ्ट, कमल की आकृति, गोलाकार पूजा स्थल जिसके उत्तर में परनाला स्थित है, विशाल संरचना के साथ सहबद्ध पचास स्तम्भ आधार उन अवशेषों के सूचक हैं, जिनके विशिष्ट लक्षण हैं और जो उत्तर भारत के मंदिरों के साथ सहबद्ध पाए जाते

हैं ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

456. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के विरुद्ध अनेक एतराज फाइल किए गए हैं, जिन पर विचार किया जाएगा । यह रिपोर्ट उपदर्शित करती है कि गुप्तकाल की पश्चात्वर्ती अवधि, जो सातवीं से आठवीं शताब्दी ए. डी. से आरंभ होती है, विवादित स्थल पर महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्रियाकलाप की साक्षी बनी । इस रिपोर्ट में यह अभिकथित किया गया है कि इस क्रियाकलाप ने ईंटों द्वारा निर्मित वृत्ताकार पूजा स्थल की वृत्ताकार बाह्य संरचना की विद्यमानता और उसमें पूर्व दिशा से प्रवेश को एक साथ अनावृत्त कर दिया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूजा स्थल की उत्तरी दीवार में एक परनाला अर्थात् पानी का निकास द्वार समाविष्ट है, जिसके बाबत उनका यह मत है कि यह गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों का एक विशेष लक्षण है । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी ए. डी. से संबंधित उत्खनन ने 50 मीटर x 30 मीटर के माप वाली 'एक विशाल संरचना' की विद्यमानता को प्रकट किया है । ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी ए. डी. की आरंभिक मध्ययुगीन अवधि के दौरान इस क्रियाकलाप से लगभग पचास स्तंभ आधारों की विद्यमानता प्रकट होती है । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त संरचना के अवशेषों पर एक विशाल संरचना विद्यमान थी, जिसका निर्माण कम से कम तीन संरचनात्मक चरणों में किया गया था और उसके साथ तीन क्रमिक तल भी संलग्न है । सजावटी रूपांकनों को सम्मिलित करते हुए प्राचीन संरचना की वास्तुशिल्प संबंधी विशेषता को सार्वजनिक प्रयोग के लिए निर्माण के साक्ष्य उपदर्शित करते हुए विशाल स्तंभों वाली दीवार के साथ एक 'स्मारकीय संरचना' के निर्माण में पुनरीक्षित किया गया था । रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि सोलहवीं शताब्दी के आरंभ के दौरान विवादित ढांचे का निर्माण निश्चित रूप से प्रत्यक्षत: पूर्ववर्ती संरचना के ऊपर टिका हुआ पाया गया और विवादित ढांचे के केंद्रीय कक्ष का केंद्रीय बिंदु अभिकथित रूप से पूर्ववर्ती अवधि की विशाल दीवार की लंबाई के केंद्रीय बिंदु के ऊपर स्थित है ।

457. न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने निर्णय पारित करने के अनुक्रम

के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट का कोई अवलंब नहीं लिया । विद्वान् न्यायाधीश ने इस बाबत निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया :–

> "2003 की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों, जिनको ऊपर पहले ही उद्धृत किया गया है, इस संबंध में निम्नलिखित दो कारणोंवश अधिक सहायता प्रदान नहीं करते । प्रथमतः, यह निष्कर्ष कि 'दसवीं शताब्दी और उसके आगे की अवधि के बाबत और विवादित ढांचे के निर्माण तक संरचनात्मक चरणों में साक्ष्य की निरंतरता बनी हुई है', जो अभिवचनों, गज़ेटियरों और ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ प्रत्यक्षतः टकराव में है । किसी भी पक्ष द्वारा न तो इस बाबत कोई अभिवचन किया गया है और न ही किसी गज़ेटियर या अधिकांश इतिहास की पुस्तकों में इस बात का कोई उल्लेख किया गया है कि प्रथम शताब्दी बी. सी. (या कुछ लोगों के अनुसार तृतीय या चतुर्थ शताब्दी ए. डी.) में विक्रमादित्य द्वारा मंदिरों के निर्माण के पश्चात् और वर्ष 1528 ए. डी. के आसपास प्रश्नगत मस्जिद के निर्माण तक कोई निर्माण क्रियाकलाप विवादित परिसर या उसके आसपास किया गया था । द्वितीयतः, यदि कुछ मंदिरों को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था, तो मंदिर की अधिरचना सामग्री (superstructure material) भूमि के भीतर नहीं जा सकती थी । उसका या तो पुनर्प्रयोग होना चाहिए था या उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए था । किसी भी हिंदू पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने इस स्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया ।"

प्रथम कारण, जिसका अवलंब न्यायमूर्ति एस. यू. खान द्वारा लिया गया, यह था कि किसी भी पक्ष द्वारा यह अभिवचन नहीं किया गया कि प्रथम शताब्दी बी. सी. (अथवा तृतीय या चतुर्थ शताब्दी ए. डी.) में मंदिर के निर्माण के पश्चात् और सोलहवीं शताब्दी में मस्जिद के निर्माण तक विवादित स्थल पर कोई निर्माण किया गया । वाद संख्या 5 में वादियों का पक्षकथन यह है कि मस्जिद की विवादित संरचना का निर्माण मंदिर को ध्वस्त किए जाने के पश्चात् किया गया था और मस्जिद को ध्वस्त मंदिर के स्थल पर निर्मित किया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार किए गए उत्खनन का प्रयोजन

न्यायालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण का लाभ प्राप्त करने के समर्थ बनाना था । उत्खनन के आधार पर न्यायालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से अवगत कराया जाना था । पक्षों को उनके अभिवचनों में चूक के लिए आरोपित करना इस कारणवश अनुचित होगा कि पुरातत्वीय साक्ष्य, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन के परिणामस्वरूप प्रस्तुत की गई थी । उच्च न्यायालय द्वारा विचारण के अनुक्रम के दौरान उत्खनन के लिए आदेश पारित किया जाना आवश्यक था ताकि उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जा सके । न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने ऐसा नहीं किया । द्वितीय कारण, जिसके लिए विद्वान् न्यायाधीश को आरोपित किया गया, यह है कि वे मामले में अनुमानों के आधार पर अग्रसर हुए । न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने अभिनिर्धारित किया कि यह बोधगम्य नहीं है कि बाबर या औरंगजेब ने भगवान राम के सटीक जन्मस्थान को अभिनिश्चित करने के पहले अनुसंधान सुनिश्चित किया था और तत्पश्चात् उन्होंने उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया । उत्खनन का प्रयोजन न्यायालय को यह विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ समर्थ बनाना था कि विवादित स्थल पर उत्खनन से यह निष्कर्ष निकलेगा कि क्या शताब्दियों पूर्व इस स्थल पर संरचनात्मक क्रियाकलाप विद्यमान थे और यदि ऐसा था, तो क्या उसका कोई भाग धार्मिक प्रकृति का था । न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वृत्ताकार पूजा स्थल और सार्वजनिक रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना के निर्माण, जिसकी नींव पर विवादित ढांचा टिका हुआ था और वर्तमान विवाद में उसके संभावित मूल्य, दोनों निष्कर्षों का मूल्यांकन करने में चूक की ।

458. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अपना निर्णय पारित करने के अनुक्रम के दौरान यह मताभिव्यक्ति की कि उत्खननों से कतिपय निर्विवाद तथ्य उद्भूत होते हैं । इन निर्विवाद तथ्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जो निम्नलिखित हैं :-

> "(i) विवादित स्थल पर सुंग और कुषाण अवधि के अनेक संरचनात्मक और निर्माण क्रियाकलाप विद्यमान थे ।

(ii) फर्श, स्तंभ आधार और दीवारों की सटीक संख्या का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया । यद्यपि उसके विरुद्ध आपत्ति की गई, किंतु विवादित ढांचे के नीचे अनेक तलों, दीवारों और स्तंभ आधारों की विद्यमानता निर्विवाद है ।

(iii) विवादित ढांचे के नीचे दबी हुई संरचना को कनाती मस्जिद या ईदगाह के रूप में स्पष्ट किए जाने की ईप्सा की गई । इस बाबत कोई सुझाव नहीं दिया गया कि विवादित भवन के नीचे स्थित संरचना गैर धार्मिक प्रकृति की संरचना थी ।

(iv) कुछ निर्माण या कलाकृतियां जैनियों या बौद्धों से संबद्ध किए जाने की भी ईप्सा की गई, किंतु यहां पर भी यह पक्षकथन नहीं किया गया कि वे प्रकृति में इस्लामिक थी या गैर धार्मिक ।

(v) यद्यपि व्यवसायिक तरीके इत्यादि में रिपोर्ट के कुछ भाग में स्वतंत्रता की कमी के अभिकथनों का समर्थन तथाकथित गलत या अशुद्ध निर्वचन या लोप या विरोधाभास और विसंगतियों द्वारा किए जाने की ईप्सा की गई, किंतु फिर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के किसी भी व्यक्ति या समूह को नामित नहीं किया गया या उसके बारे में यह दर्शित नहीं किया गया कि उसमें कर्तव्यनिष्ठा, स्वतंत्रता [सिवाय उस मामले के जिसमें मुस्लिम पक्ष के दो नामिती अर्थात् डा. जया मैनन (वादी साक्षी 29) और डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) थे] की किसी भी प्रकार से कमी है, ने गड्ढ़ा जी-2 में स्तंभ आधारों के सृजन के बाबत रिपोर्ट तारीख 21 मई, 2003 और 7 जून, 2003 की शिकायतों द्वारा प्रस्तुत की ।"

आरंभिकतः, सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड का पक्षकथन यह था कि विवादित भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया था, जहां पर किसी हिंदू धार्मिक ढांचे की विद्यमानता नहीं थी और इस बाबत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का कोई सुझाव नहीं था कि ढांचा ऐसे स्थान पर था, जिसके बारे में हिंदुओं की यह आस्था है कि वह भगवान राम का जन्मस्थान है । न्यायमूर्ति अग्रवाल ने उल्लेख किया कि जब उत्खनन का कार्य आगे बढ़ा, तो वाद संख्या 4 के वादियों के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन

दर्शित हुआ और एक नया पक्षकथन स्थापित किए जाने की ईप्सा की गई कि विवादित ढांचे के नीचे स्थित संरचना, जैसाकि उत्खनन में दर्शित हो रहा है, इस्लामिक प्रकृति की है अर्थात् या तो वह 'ईदगाह' है या 'कनाती मस्जिद' । न्यायमूर्ति अग्रवाल ने उल्लेख किया कि मुस्लिम पक्षों के दृष्टिकोण में आए हुए इस परिवर्तन से यह संभाव्यता पूर्णतया पृथक् हो गई कि वह संरचना, जो विवादित ढांचे के नीचे पाई गई, ऐसी प्रकृति की संरचना है, जो धार्मिक नहीं है । तत्पश्चात् जांच का दायरा इस बाबत संकुचित होता गया कि क्या वह संरचना इस्लामिक प्रकृति की है या गैर-इस्लामिक प्रकृति की । विद्वान् न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि :–

> "3905. रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि तल संख्या 4, जो स्तंभ आधारों की नींव को सहारा देता है, एक मंदिर के तल का आधार है । यह ईदगाह या कनाती मस्जिद का तल नहीं हो सकता क्योंकि ईदगाह में स्तंभ नहीं होते ताकि नमाज अदा किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यूनतम स्थान में अधिकतम लोगों को स्थान दिया जा सके ।"

459. न्यायमूर्ति अग्रवाल ने उल्लेख किया कि संलग्न वास्तुशिल्प विशेषताओं के साथ वृत्ताकार पूजा स्थल की विद्यमानता से शैव संप्रदाय के पूजा स्थल की उपस्थिति उपदर्शित होती है और यह कोई मुस्लिम कब्र नहीं थी । उन्होंने मताभिव्यक्ति की कि एक तरफ इस संरचना का आकार किसी कब्र को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक लघु था और दूसरी तरफ किसी भी कब्र में परनाला नहीं होता बल्कि परनाला शिव मंदिर के गर्भगृह का अभिन्न लक्षण होता है, जो शिवलिंगम पर चढ़ाए गए जल की निकासी सुनिश्चित करता है । न्यायमूर्ति अग्रवाल ने इस संदर्भ में साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् यह मताभिव्यक्ति की कि वादी साक्षी 29, 31 और 32, जो वाद संख्या 4 में वादियों के साक्षी थे, ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लक्षण जिनको उत्खनित पूजा स्थल में पाया गया, गैर इस्लामिक प्रकृति के थे । वादी साक्षी 29, 31 और 32 का साक्ष्य, जहां तक वे सुसंगत हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं :–

(क) डा. जया मेनन (वादी साक्षी 29)

"घाट (बर्तन) की आकृति इस स्तंभ पर दृश्यमान है । यह सत्य है कि घाट को 'कलश' के रूप में भी जाना जाता है । सामान्यतः, स्तंभ पर इस प्रकार का 'घाट' मस्जिद में नहीं मिलता ।

यह कहना सही है कि हाथी, कछुए और मगरमच्छ की मूर्तियां, जो सभी टेराकोटा द्वारा निर्मित हैं, उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थीं । ये मूर्तियां एक से अधिक गड्ढों में प्राप्त हुईं । मैं जानती हूं कि मगरमच्छ हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा का आसन/वाहन है । मैं सहमत हूं कि कछुआ पवित्र नदी यमुना का वाहन है ।"

(ख) डा. अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31)

"जैसाकि मैंने उल्लेख किया है कि मुस्लिम मूर्ति की उपासना में विश्वास नहीं करते, इसलिए टेराकोटा द्वारा निर्मित मूर्तियों को मुस्लिम संस्कृति के साथ सहबद्ध किए जाने का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता । जहां तक मैं जानता हूं और मेरी जानकारी का प्रश्न है टेराकोटा द्वारा निर्मित मूर्तियों का प्रश्न मुस्लिम संस्कृति के साथ सहबद्ध किए जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

यह सत्य है कि इस प्रकार की पशुओं की मूर्तियों को मस्जिद में रखे जाने की इजाजत नहीं होती ।

मकर प्रणाल हिंदू मंदिरों की वास्तुकला के अनेक भागों में से एक है । मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि क्या मकर प्रणाल मस्जिद के साथ किसी भी प्रकार से सहबद्ध होता है या नहीं । मैंने ऐसी किसी भी मस्जिद को नहीं देखा, जिसमें मकर प्रणाल स्थित हो ।

(ग) डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32)

मैंने 'कलश' शब्द के बारे में सुना है । कलश मस्जिद में नहीं पाया जाता ....।

मेरे अनुसार दीवार संख्या 16 को विवादित ढांचे के

निर्माण के पूर्व दीवार की भांति प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार से दीवार संख्या 16 किसी अन्य निर्माण की दीवार थी, जो विवादित ढांचे के निर्माण के पहले से विद्‌यमान था ।

तथापि, यह सत्य है कि दीवार संख्या 17 दीवार संख्या 16 के पहले निर्मित की गई थी ।

मैं मगरमच्छ के बारे में जानता हूं । यह मंदिरों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है । इसको 'मकरमुख' कहा जाता है । मैंने किसी भी मस्जिद में मकरमुख नहीं देखा ... ।"

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने मताभिव्यक्ति की

"3979. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो उत्खनन में सम्मिलित विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, में स्तरित शैल विज्ञान (stratigraphy), कलाकृतियों, अवधिकरण और साथ ही ढांचों और दीवारों को सम्मिलित करते हुए समस्त विवरण समाविष्ट हैं । रिपोर्ट में उल्लिखित स्तंभ-आधार किसी संदेह के परे विशाल ढांचे की विद्‌यमानता को साबित करते हैं । इसके अतिरिक्त वृत्ताकार पूजा स्थल, दीवारों में हिंदू मूर्तियों के साथ पत्थरों की शिलाएं और अधिक विशिष्टतया दीवार संख्या 5 (विवादित ढांचे की दीवार) में मकर-प्रणाल, दिव्य युगल और मंदिर की अन्य सामग्री इत्यादि की विद्‌यमानता निश्चायक रूप से विवादित ढांचे के नीचे हिंदू धार्मिक ढांचे की विद्‌यमानता के सबूत हैं । साक्षियों द्‌वारा इस बात को सामान्यत: स्वीकार किया गया है कि उत्खनन का कार्य पक्षों, विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में पुरातत्वशास्त्र के स्थिरीकृत मानकों के अनुसार संचालित किया गया और उत्खनन के दौरान प्रत्येक गड्‌ढे, संरचना, कलाकृतियों की त्रिआयामी रिकार्डिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी समस्त संबद्‌ध पक्षों की उपस्थिति में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्‌वारा कराई गई । दिन प्रतिदिन के रजिस्टर, पर्यवेक्षकों की डायरी और कलाकृतियों के रजिस्टर का रखरखाव नियमित रूप से किया गया ।

3980. कुछ अन्य एतराज हैं, जिनको हम इस कारणवश अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते कि मुस्लिम पक्षों के विशेषज्ञों ने अंततः यह महसूस किया कि विवादित भवन के नीचे विद्यमान ढांचे के बाबत उनके कथनों के आधार पर एक नया मामला उद्भूत हो गया है । तथापि, एक नया पक्षकथन, जो वादी के मामले से संबद्ध नहीं है और जिसको अभिवचनों में सम्मिलित नहीं किया गया, अननुज्ञेय है ।"

उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपों में एक आक्षेप यह था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट इस बात का विनिर्दिष्ट रूप से उत्तर नहीं देती कि क्या ऐसा कोई ढांचा पूर्व में विद्यमान था, जिसको मस्जिद के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था और क्या पूर्व में विद्यमान ढांचा एक मंदिर था । उच्च न्यायालय ने इस एतराज का उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया :–

"3990. हमारे विचार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वयं को इस बाबत सुस्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित करने से न्यायतः रोका कि क्या जब किसी अन्य भवन के ऊपर किसी भवन का निर्माण किया जाता है, तो इस कारणवश ध्वंस किया गया था या नहीं और वह भी सैकड़ों वर्ष पूर्व । अनेक अवसरों पर यह अभिनिश्चित करना कठिन होता है कि किन परिस्थितियों में भवन का निर्माण किया गया और क्या पूर्ववर्ती भवन स्वयं या प्राकृतिक कारणोंवश या कुछ लोगों के कारणवश, जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ढह गया था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस बाबत पर्याप्त संकेत दिए गए हैं कि विवादित भवन की अपनी कोई नींव नहीं थी बल्कि उसका निर्माण पहले से विद्यमान दीवारों पर किया गया था । यदि कोई भवन पश्चात्वर्ती भवन के निर्माण के पूर्व विद्यमान नहीं था, तो भवन निर्माता नए ढांचे के निर्माण के प्रयोजनार्थ, पूर्व में स्थित भवन की नींव का प्रयोग, उसकी मजबूती और नए ढांचे का भार सहन करने की क्षमता के बाबत जानकारी प्राप्त किए बिना, समर्थ नहीं हो सकता था । विवादित भवन का तल पूर्ववर्ती भवन के तल के ठीक ऊपर था । अनेक स्तंभ आधारों की विद्यमानता से पूर्व में पर्याप्त रूप से बड़े ढांचे की विद्यमानता

दर्शित होती है, यदि वह विवादित ढांचे से बड़ी न होती, तो कम से कम उससे छोटी भी न होती ।"

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह मताभिव्यक्ति की :–

"4055. इस न्यायालय द्वारा अंततः युक्तिसंगत रूप से संपूर्ण चर्चा और ऊपर उल्लिखित सामग्री के आधार जो अनुमान लगाया जा सकता है, वह यह है – (i) विवादित ढांचे का निर्माण अछूती, रिक्त, निर्जन और खुली भूमि पर किया गया था । (ii) विवादित स्थल पर पहले से एक ढांचा विद्यमान था, जो यदि अधिक विशाल नहीं था, तो भी विवादित ढांचे के कम से कम तुलनीय या बड़ा तो था ही । (iii) विवादित ढांचे के निर्माता को पहले से विद्यमान ढांचे, उसकी मजबूती, क्षमता, दीवारों के आकार इत्यादि के बारे में जानकारी थी और इसलिए उसको बिना किसी अधिक सुधार के पूर्ववर्ती ढांचे की दीवारों इत्यादि का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी । (iv) पूर्ववर्ती ढांचा धार्मिक प्रकृति का था और वह गैर इस्लामिक प्रकृति का भी था । (v) पूर्ववर्ती ढांचे की सामग्री जैसेकि पत्थर, स्तंभ, ईंटे इत्यादि का प्रयोग विवादित ढांचे के निर्माण के लिए किया गया था । (vi) यदि हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि बरामद की गई कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिनका प्रयोग अन्य धर्मों में भी किया जा सकता है, तो भी उत्खनन के दौरान प्राप्त कलाकृतियां अधिकांशतः गैर इस्लामिक हैं अर्थात् हिंदू धार्मिक स्थानों से संबंधित हैं । समसामयिक रूप से ऐसी कोई भी कलाकृति इत्यादि, जिसका प्रयोग केवल इस्लामिक धार्मिक स्थानों में किया जा सकता हो, नहीं पाई गई ।"

कसौटी के पत्थर के खंभों पर मूर्तियां

460. उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित भवन में स्तंभों पर मूर्तियों का साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे । राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा तारीख 10 जनवरी, 1990 के आदेश के मतावलंबन में तैयार किए गए फोटोग्राफ को समाविष्ट करने वाले एलबम के तीन समुच्चय प्रस्तुत किए गए थे । डा. राकेश तिवारी (ओ. पी. डब्ल्यू.-14), जो राज्य पुरातत्व

विभाग के निदेशक थे, ने इन फोटोग्राफ का सत्यापन किया था । प्रथम एलबम में 204 रंगीन फोटोग्राफ समाविष्ट थे, जिनको कागज संख्या 200 सी/1-204 के रूप में चिह्नित किया गया । द्वितीय एलबम में 111 काले और सफेद फोटोग्राफ समाविष्ट हैं, जिनको कागज संख्या 201 सी/1-111 के रूप में चिह्नित किया गया है । उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में फोटोग्राफ को परिशिष्ट 5(ए) से 5(डीडी) के रूप में संलग्न किया है । इन फोटोग्राफ में काले कसौटी के स्तंभों का चित्रण समाविष्ट है । वाद संख्या 4 में वादी की तरफ से अनेक साक्षियों ने इन फोटोग्राफ के संबंध में उनके साक्ष्य के अनुक्रम के दौरान शपथपूर्वक कथन किए । फारुख अहमद (वादी साक्षी 3) द्वारा किए गए शपथपूर्वक कथन के सुसंगत उद्धरणों को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निर्णय में प्रत्युत्पादित किया गया है । उसके परिसाक्ष्य के उद्धरणों को नीचे उद्धृत किया गया है :–

फारुक अहमद (वादी साक्षी 3)

> "मूर्तियां, जो तत्समय विद्यमान नहीं थीं, फोटोग्राफ संख्या 57 में दृश्यमान है । यह फोटोग्राफ विवादित संपत्ति के हैं किंतु यह संभव है कि उसको परिवर्तित कर दिया गया हो क्योंकि उस समय स्तंभों पर मूर्तियां नहीं थीं । फोटोग्राफ संख्या 58 के ऊपरी भाग पर भी एक मूर्ति दृश्यमान है । द्वार पर एक काले रंग का स्तंभ था, जिस पर कोई मूर्ति विद्यमान नहीं थी और यह संभव है कि उसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया हो ... मैं फोटोग्राफ को देखने के पश्चात् ही कह रहा हूं कि यह संभव है कि स्तंभ को परिवर्तित कर दिया गया हो । इन स्तंभों के ऊपरी भाग पर मूर्तियां दृश्यमान हैं और उनको देखने के पश्चात् ही मैं कह रहा हूं कि इन स्तंभों को परिवर्तित कर दिया गया है ।"
>
> "पैरा संख्या 62 में ग्रिल के निकट स्थित संरचना जैसा एक स्तंभ विद्यमान है, जिस पर मूर्तियां दृश्यमान हैं । विवादित संपत्ति के उत्तरी द्वार पर यह स्तंभ ... फोटोग्राफ संख्या 64 में भी सफेद रंग में दृश्यमान है और मूर्तियां भी दृश्यमान हैं ... फोटोग्राफ संख्या 65 मुख्य द्वार का फोटोग्राफ है । तथापि, इसके स्तंभों पर मूर्तियां

समाविष्ट हैं, जो परिवर्तन के परिणामस्वरूप विद्‌यमान हैं । फोटोग्राफ संख्या 66 भी पूर्वी दिशा का फोटोग्राफ है किंतु इसमें मूर्तियां समाविष्ट हैं, जो परिवर्तन के परिणामस्वरूप विद्‌यमान हैं ।"

"फोटोग्राफ संख्या 72 में काले रंग के स्तंभ समाविष्ट हैं, किंतु इसके ऊपरी और नीचे के भागों में मूर्तियां दृश्यमान हैं...फोटोग्राफ संख्या 71 के दोनों स्तंभों की स्थिति भी ऐसी ही है । यही स्थिति फोटोग्राफ संख्या 73 में दर्शित स्तंभ की भी है । इसमें भी मूर्तियां समाविष्ट हैं । फोटोग्राफ संख्या 74 भी इसी प्रकार का फोटोग्राफ है, जिसमें स्तंभों के ऊपर मूर्तियां दृश्यमान हैं । इस स्तंभ को, जिसे वहां पर स्थापित किया गया था, चारों तरफ से पूर्णतया दर्शित किया गया है । "

"फोटोग्राफ संख्या 101 भी उसी स्थान का फोटोग्राफ है किंतु उसमें अनेक परिवर्तन किए गए हैं । ये मूर्तियां भी विद्‌यमान हैं और कलश भी विद्‌यमान है ।"

"यह सत्य है कि इस एलबम में समाविष्ट समस्त फोटोग्राफ मेरे काउंसिल की उपस्थिति में लिए गए थे । ये समस्त फोटोग्राफ विवादित भूमि और संपत्ति के हैं ।"

ऐसे भी साक्षी हैं, जिन्होंने मुकदमा लड़ने वाले हिन्दू पक्षों की तरफ से शपथपूर्वक कथन किए हैं । उन्होंने स्तम्भों के फोटोग्राफ में दर्शित मूर्तियों के बारे में भी कथन किए हैं । इन मूर्तियों में उन देवताओं और देवियों के चित्रण सम्मिलित हैं, जिनकी उपासना हिन्दुओं द्‌वारा की जाती हैं, जैसे कि हनुमान, नरसिंह, गणेश और दुर्गा । इन साक्षियों ने मोर, गरूड़ और कमल की छवियों के बारे में भी शपथपूर्वक कथन किए हैं । वे साक्षी, जिन्होंने हिन्दू पक्षों की ओर से कथन किए, प्रतिवादी साक्षी-3/5 - 1-2, 17/1, बी/1-1, 17/1, 20/1 और 12/1 हैं ।

इन फोटोग्राफ के साथ यह तथ्य भी संलग्न है कि उत्खनन के अनुक्रम के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्‌वारा 62 मनुष्यों और 131 पशुओं की मूर्तियां प्राप्त की गईं थीं । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने उल्लेख किया कि इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि उत्खनन के दौरान कोई भी इस्लामिक धार्मिक कलाकृति नहीं पाई गई, जबकि हिन्दू धर्म

की उत्पत्ति से संबंधित अनेक कलाकृतियां प्रचुर मात्रा में पाई गईं । इन कलाकृतियों में, जैसा कि विद्वान् न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किया गया, फूलों (पट्टी सं. 51 और 62); कोबरा का फन (पट्टी सं. 129) और मानवीय आकृति में देवताओं और देवियों से संबंधित अन्य मूर्तियां (पट्टी सं. 104-112, 114-116, 118-123 और 125-126) सम्मिलित हैं । वे साक्षी जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन किया, डा. आर. नागस्वामी (ओ. पी. डब्ल्यू. 17), अरुण कुमार (ओ. पी. डब्ल्यू. 18) और राकेश दत्त त्रिवेदी (ओ. पी. डब्ल्यू. 19) थे ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध फाइल किए गए एतराज

461. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध निम्नलिखित एतराजों को सूत्रबद्ध करते हुए अपने निवेदन प्रस्तुत किए:–

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट सुस्पष्ट त्रुटियों और आंतिरक असंगतताओं से ग्रसित है;

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 को दृष्टि में रखते हुए पुरातत्व विदों की मात्र एक राय है; और

(iii) पुरातत्व विज्ञान अनुमानों पर आधारित विज्ञान है जो प्रस्तुत रिपोर्ट को साक्ष्य की कमजोर श्रेणी के अंतर्गत ले जाता है ।

सुश्री अरोड़ा ने तृतीय निवेदन को विस्तृत करते हुए दलील दी कि पुरातत्व विज्ञान सामाजिक विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञान से सर्वथा भिन्न होता है । उनके निवेदन के अनुसार पुरातत्व विज्ञान, जैसाकि उसको प्राकृतिक विज्ञान, जो सत्यापन योग्य परिकल्पना पर आधारित होता है, से विभेदित किया जाता है, असंदिग्ध और सटीक विज्ञान नहीं है । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि पुरातत्व विज्ञान उन अनुमानों के निकाले जाने पर आधारित होता है, जिनके संदर्भ में उत्खनन के अनुक्रम के दौरान वस्तुएं प्राप्त होती हैं और जिनके आधार पर सत्यापन योग्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते ।

सुश्री अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त आक्षेप भी प्रस्तुत किए :–

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्षी तलब नहीं किया गया;

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा इस बाबत कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया कि क्या (विवादित स्थल पर) कोई मंदिर पहले से विद्यमान था, जिसको मस्जिद के निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया था;

(iii) संक्षेप में परिणाम, जिसको रिपोर्ट के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया गया, के लिए किसी विशिष्ट लेखक को श्रेय नहीं दिया गया, जैसे कि अध्याय व्यक्तिगत रूप से होते हैं; और

(iv) इस रिपोर्ट में यह उपदर्शित नहीं किया गया कि क्या उत्खनन के क्रियाकलाप किए जाने के लिए दल के जिम्मेदार सदस्यों की कोई बैठकें आयोजित की गई थीं । यदि वे बैठकें आयोजित की गई थीं, तो उन बैठकों के टिप्पण प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे ।

इसके पश्चात्, वाद सं. 4 में वादियों की तरफ से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल डा. राजीव धवन ने (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की) रिपोर्ट को चुनौती दिए जाने की परिधि पर अपने निवेदनों के अनुक्रम के दौरान दलील दी कि यह जांच का निरर्थक आधार है कि क्या (उत्खनन के) परिणामों के सार पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि यह मात्र रिपोर्ट की प्रमाणिकता और लेखन से संबंधित है । डा. धवन ने निष्पक्षतापूर्वक निवेदन किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के लेखन को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि यह रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विशेषित है और इसको उच्च न्यायालय के निर्देश के मतावलंबन में प्रस्तुत किया गया था । इस निवेदन को दृष्टि में रखते हुए सुश्री अरोड़ा द्वारा पूर्व में परिणामों के सार लेखन के बाबत उठाए गए संदेह को अस्वीकार किया जाता है । इस रिपोर्ट को श्री बी. आर. मणि और श्री हरि मांझी द्वारा लेखबद्ध किया गया । यह रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस बाबत निर्गत की

गई कि उच्च न्यायालय द्वारा उत्खनन का कार्य किसको सौंपा गया था । रिपोर्ट के लेखन, उसकी उत्पत्ति या प्रमाणिकता के बाबत कोई विवाद नहीं है, इसलिए हम उन आक्षेपों में कोई सार नहीं पाते जो सुश्री अरोड़ा द्वारा इस बाबत उठाए गए ।

एतराजों के गुणागुण

462. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री अरोड़ा द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए एतराजों को लिखित निवेदनों, जिसका शीर्षक है "स्तरविज्ञान (stratigraphy)/अवधिकरण (periodisation), स्तम्भ आधार, दीवारें, वृत्ताकार पूजा स्थल, दैवीय युगल और अन्य कलाकृतियां, चमकदार बर्तन और चमकदार पट्टियां; जानवरों की हड्डियां" हैं, के खंड ए-91 में विस्तारपूर्वक लेखबद्ध किया गया है । इन आक्षेपों में आरंभिक निवेदन निम्नलिखित हैं :–

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने उत्खनन पर मिट्टी की परतों को उचित प्रकार से चिह्नित नहीं किया;

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल विशिष्ट परतों से कलाकृतियों की प्राप्ति के सटीक अभिलेख तैयार कर पाने में विफल रहा और इस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त की गई कलाकृतियां अपना संदर्भ खो बैठीं;

(iii) यद्यपि उत्खनन में प्राप्त हड्डियों के कालक्रम को बेहतर अनुमान के अंतर्गत लाए जाने के प्रयोजनार्थ कार्बन डेटिंग और पैलियो वनस्पति अध्ययन के लिए भेजा जा सकता था, किन्तु कार्बन डेटिंग के लिए केवल चारकोल के नमूने भेजे गए;

(iv) यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि वे (कार्बन डेटिंग के लिए) मिट्टी और गारे, (पैलियो वनस्पति अध्ययन के लिए) अनाज और पराग और (जीव-जन्तु अवशेष के अध्ययन के लिए) हड्डियों के नमूने एकत्रित करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ;

(v) उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रत्येक

परत से कलाकृतियों की प्राप्ति के ठीक-ठीक अभिलेख और रजिस्टर तैयार करने के लिए निर्देशित किया था; और

(vi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट अत्यंत जल्दबाजी में 15 दिन में तैयार और प्रस्तुत कर दी ।

463. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक जटिल कार्य करना था । इसके द्वारा किए जाने वाला उत्खनन कार्य समयबद्ध था । उत्खनन करने वाले दल को देवता की उपासना को प्रभावित किए बिना अस्थायी मंदिर के चारों तरफ उत्खनन का कार्य करना था । गड्ढों को सावधानी के साथ व्यवस्थित किया जाना था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा असंख्य कठिनाइयों का सामना किया जाना था । उसके दल को प्रचार माध्यमों के समक्ष, पक्षों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उत्खनन का कार्य करना था । रिपोर्ट में असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनका सामना उन्होंने उत्खनन के अनुक्रम के दौरान किया :–

"क. उत्खनन की योजना बनाते समय यह निर्णय लिया गया था कि गड्ढों, जहां सीमित स्थान उपलब्ध था, की उत्खनन के प्रयोजनार्थ आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग किया जाए और इसलिए 10 x 10 वर्गमीटर की माप की सामान्य प्रथा के स्थान पर वर्गाकार गड्ढे खोदे जाएं जिनको 4.25 x 4.25 वर्गमीटर के चार बराबर भागों में विभाजित किया जाए ।

ख. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पांच माह की सीमित अवधि में नौ गड्ढों का उत्खनन किया, जिसके तुरंत पश्चात् 15 दिनों के भीतर उत्खनन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था । यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विद्यमानता के 142 वर्षों की इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी ।

ग. .... अत:, उनके (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के) दस्तावेजों, अध्ययन फोटोग्राफी, रेखाचित्रों और रासायनिक परिरक्षण के लिए उपलब्ध समय मात्र कुछ घंटों तक सीमित था और वह भी कार्य दिवस की समाप्ति पर गड्ढों से बरामद की गई सामग्री के मामले

में नहीं ... कार्य बहुधा सुरक्षा जांच में अंतर्वलित औपचारिकताओं और इसी प्रकार की अन्य प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण प्रभावित और विलंबित होता था .... ।

घ. कार्य की दशाएं मानसून के आगमन के साथ जून के माह से अत्यंत खराब हो गई थीं, जब संपूर्ण कार्यस्थल बहुरंगी जलरोधक शीटों द्वारा आच्छादित कर दिया गया जिससे उष्मा और उमस उत्पन्न होने लगी और इसके अतिरिक्त अनेक गहरे गड्ढों में पूर्णतया अंधेरा हो गया । बंदरों ने शीटों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप शीटों की अनेक परतें बंबू और लकड़ी के खंभों पर बिखरी पड़ी थीं । इससे अंधेरा और बढ़ गया ... स्तरीकृत अवलोकन में अत्यधिक कठिनाई महसूस की गई विशेष रूप से परतों के विनिर्धारण में । इन कारकों ने चलते हुए कार्य की प्रक्रिया को मंद कर दिया था ।'

सुश्री अरोड़ा ने दलील दी कि इन कठिनाइयों के कारण त्रुटियां हुई । वह तरीका जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 'स्तरविज्ञान-अवधिकरण' का कार्य किया, को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने एतराजों को अस्वीकृत करते हुए यह मताभिव्यक्ति की :–

"3846. छह विशेषज्ञ साक्षियों, जिनको वादी (वाद सं. 4) की तरफ से पेश किया गया, के कथन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहंचते हैं कि वे सभी इस बाबत एकमत नहीं हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया संपूर्ण स्तरविज्ञान या अवधिकरण दूषित या गलत है या ऐसी तात्विक अवैधता और अनियमितता से ग्रसित है जिसके कारणवश यह अस्वीकृत किए जाने योग्य है, जो ... अंतत: संपूर्ण रिपोर्ट के अस्वीकरण में परिणित हो सकता है । उनके द्वारा किए गए कथन भी परस्पर विरोधी, अस्पष्ट, भ्रमित और अनुमानों ... पर आधारित हैं ।"

"3863 ... इसके विपरीत उनमें से अधिकांश ने इस बात को स्वीकार किया कि स्तरविज्ञान/क्रमबंधन का विनिर्धारण एक या एक से अधिक तरीकों में किया जा सकता है जिनकों पूर्ण रूप से

मान्यता प्राप्त है और वे हैं ... (1) राजवंश के आधार पर (2) शताब्दी के आधार पर और (3) स्तर के आधार पर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन तीनों ही प्रणालियों का अनुसरण किया ।

उच्च न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की

3979. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो कि उत्खनन पर विशेषज्ञ रिपोर्ट है, में स्तर विज्ञान, कलाकृतियों, अवधिकरण और साथ ही संरचनाओं और दीवारों के समस्त विवरण समाविष्ट हैं ।"

464. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विश्लेषण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों और उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली की आलोचना को ध्यान में रखा जाना महत्वपूर्ण होगा । इस न्यायालय के लिए उनको ध्यान में रखा जाना इस बाबत परिणाम निकाले जाने कि यदि इस रिपोर्ट के विरुद्ध फाइल किए गए ऐतराज विधिमान्य पाए जाते हैं, तो क्या वे ऐसी प्रकृति के हैं, जो इस रिपोर्ट की उपयोगिता को पूर्णतया समाप्त कर देंगे, के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण तकनीक होगी । अनुकल्प में इस न्यायालय को एक अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्यों पर विचार करना होगा, जिनके अंतर्गत रिपोर्ट में विद्यमान के रूप में दर्शित कमियों को निष्कर्षों की अधिसंभाव्यता, सुसंगतता और असंगतता पर आधारित वास्तविक निर्धारण की तरफ ले जाया जा सके । निर्णय में इस आधारी प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हक के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ सुसंगत हैं ।

465. सुश्री अरोड़ा ने श्री आर. सी. ठकरान (वादी साक्षी-30), जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट पर आक्रमण किया, के मौखिक परिसाक्ष्य पर प्रकाश डाला । वादी साक्षी-30 ने उल्लेख किया कि अध्याय-III की अवधि-V, VI और VII, जिसका शीर्षक 'स्तर विज्ञान और कालक्रम' है, को बाद में 'परिणामों के सार' वाले अध्याय में परिवर्तित कर दिया गया था । आरंभिकतः, रिपोर्ट के पृष्ठ 38 से 41 पर अवधियों V, VI और VII की नामपद्धति निम्नलिखित हैं :–

"अवधि-V : गुप्त-राजपूत काल का पश्चात्वर्ती काल, 7वीं से 10वीं शताब्दी

अवधि-VI : मध्ययुगीन-सल्तनत काल, 11वीं से 12वीं शताब्दी

अवधि-VII : मध्ययुगीन काल, 12वीं से 16वीं शताब्दी"

तथापि, वादी साक्षी 30 ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि परिणामों के सार में उपरोक्त नामपद्धति को निम्नलिखित प्रकार से पुनरीक्षित किया गया :-

"अवधि-V : गुप्त-राजपूत काल की पश्चात्वर्ती अवधि, 7वीं से 10वीं शताब्दी

अवधि-VI : आरंभिक मध्ययुगीन काल, 11वीं से 12 शताब्दी

अवधि-VII : मध्ययुगीन – सल्तनत काल, 12वीं से 16वीं शताब्दी"

उपरोक्त असंगतता जिस पर सुश्री अरोड़ा द्वारा सावधानीपूर्वक प्रकाश डाला गया, को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

वादी साक्षी 30 के अनुसार मध्ययुगीन-सल्तनत काल का अवधि VI से अवधि VII को अंतरण के द्वारा इस्लामिक अवधि की सामग्री, जैसेकि चमकीले वस्त्र या चूने के गारे को अवधि VI के स्तर से अवधि VII के स्तर को मनमाने ढंग से हटाए जाने के द्वारा अनदेखा किए जाने का 'लाभ' प्राप्त हुआ ताकि उन स्तरों पर उन वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अवधि VI में किसी अभिकथित 'विशाल' या 'महाकाय' मंदिर के निर्माण को साबित करने में चुनौती का सामना न करना पड़े ।

श्री जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी-20/5), जो पूर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अधीक्षण पुरातत्वविद् के पद पर तैनात थे, ने "अवधिकरण - स्तर विज्ञान" के पहलू पर अभिकथित किया :-

"... तथापि, मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा व्यक्त किए गए विचार, जिसके द्वारा उन्होंने पृष्ठ 37-क पर तैयार की गई तालिका में उल्लेख किया गया है, से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने तल 4 और 5 को आरंभिक मध्ययुगीन सल्तनत काल को समनुदेशित किया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने तालिका के पृष्ठ 37-क पर आरंभिक मध्ययुगीन सल्तनत अवधि का उल्लेख

किया है, जबकि उन्होंने पृष्ठ 40 पर मध्ययुगीन अवधि का उल्लेख किया है । मेरे विचार में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य अंतर है, किंतु मैं उसको स्पष्ट नहीं कर सकता ।

प्रश्न – क्या यह कहना सही है कि 'आरंभिक मध्ययुगीन सल्तनत अवधि', जिसको तालिका के पृष्ठ 37-क पर हल्के हरे रंग द्वारा उपदर्शित किया गया है, कोई अन्य अवधि नहीं है बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के खंड I के पृष्ठ 40 पर 11वीं - 12वीं शताब्दी की अवधि VI (मध्ययुगीन सल्तनत स्तर) के रूप में वर्णित अवधि है ।

उत्तर – चूंकि 'आरंभिक मध्ययुगीन' शब्द को कालानुक्रमिक अर्थ में स्पष्ट अर्थ प्रदान किया गया है, मैं इसकी समानता सहजतापूर्वक मध्ययुगीण – सल्तनत स्तर से नहीं कर सकता, इसलिए, इसके पहले कि हमारे द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, उत्खनन करने वालों, जिन्होंने इस तालिका को तैयार किया, द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

साक्षी के उत्तर में वे अंश, जिन पर प्रकाश डाला गया, में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अंगीकृत वर्गीकरण पर ईप्सित एक स्पष्टीकरण के महत्व पर जोर दिया गया है । यह प्रमिततः अनेक कठिनाइयों में से एक कठिनाई है, जिसका सामना एतराज करने वालों को करना चाहिए । यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक था, (जैसाकि साक्षियों ने स्वीकार किया), तो यह उचित था कि आदेश 36, नियम 10(2) के अधीन न्यायालय के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उपयुक्त गवाह के परीक्षण के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाना चाहिए, यह नहीं किया गया ।

स्तंभ आधारों के बाबत एतराज

466. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में यह अभिकथित किया गया है कि :–

"उत्खनन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर से

दक्षिण दिशा में स्तंभों की सत्रह पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में पांच स्तंभ-आधार थे ।"

इसके विपरीत यह स्वीकार किया गया है कि – "उत्खनित पचास स्तंभ आधारों में से केवल बारह स्तंभ आधारों को पूर्णतया अनावृत्त किया गया, पैंतीस स्तंभ आधारों को भागत: अनावृत्त किया गया और तीन स्तंभ आधारों को केवल खंडों में तलाशा जा सका । कुछ स्तंभ आधारों को पूर्ववर्ती उत्खनन के दौरान खोजा गया था, जिसके पश्चात् विभिन्न सतहों के साथ उनके सहबद्ध होने और उनकी भार वहन करने की क्षमता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया था ।"

सुश्री अरोड़ा ने निवेदन किया कि तथाकथित स्तंभ-आधार अभिकथित विशाल ढांचे/मंदिर के भाग नहीं हो सकते या उसका सहारा नहीं बन सकते, जैसाकि पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित कारणोंवश दावा किया गया है :–

(i) उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विभिन्न अवधियों से संबंधित विभिन्न सतहों की पहचान की । उन्होंने विभिन्न सतहों के भीतर चार विभिन्न तलों की उपस्थिति की पहचान की, जिनको चूना सुर्खी या सुर्खी द्वारा स्पष्टत: चिह्नांकित तलों की विद्यमानता या उपस्थिति द्वारा चिह्नित किया गया । स्वीकृतत:, ये तल विभिन्न सतहों पर स्थित हैं, प्रथम तल ध्वस्त मस्जिद की सतह पर स्थित है और तल 2, 3 और 4 विभिन्न सतहों के नीचे स्थित हैं, अत: यह स्पष्ट है कि इन स्तंभ आधारों को विभिन्न समयावधियों में निर्मित किया गया । इसलिए तथाकथित स्तंभ-आधार किसी एकल ढांचे के समसामयिक रूप से निर्मित भाग नहीं हो सकते, तात्पर्यित रूप से किसी विशाल ढांचे की बात करना ही व्यर्थ है ;

(ii) अभिकथित स्तंभ आधारों की संख्या में विसंगतियां और विविधताएं हैं, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विभिन्न भागों में विभिन्न तलों के बाबत पाया गया । आकृति 23-क में समाविष्ट चित्रसम दृश्य में बड़ी संख्या में काल्पनिक

अनुमानित स्तंभ आधारों की संख्या समाविष्ट है, जिनको अनावृत्त नहीं किया गया । इसलिए किसी विशाल ढांचे का दावा एक निराधार परिकल्पना है, चूंकि स्तंभ आधारों की सटीक संख्या अज्ञात है;

(iii) किसी भी स्थिति में तथाकथित स्तंभ-आधार एक पंक्ति में नहीं हैं, जैसाकि वास्तविक माप और दूरियों (विशेषज्ञ साक्षियों प्रतिवादी साक्षी 20/5 और ओ. पी. डब्ल्यू. 17, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के समर्थन में शपथपूर्वक कथन किए) से प्रकट है । स्तंभ-आधार मोटी पश्चिमी दीवार से भिन्न दूरियों पर स्थित हैं । पुनः, इन तात्पर्यित स्तंभ आधारों की आकृति और आकार दीर्घ वृत्ताकार से वृत्ताकार से वर्गाकार से वृत्ताकार से अनियमित के रूप में भिन्नता धारण किए हुए हैं और उनके विभिन्न आयाम हैं । इससे न केवल यह दर्शित होता है कि उनका निर्माण विभिन्न कालावधियों में हुआ, बल्कि यह भी दर्शित होता है कि उनमें किसी विशाल ढांचे या मंदिर का सहायक ढांचा भी समाविष्ट नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त इनमें से कोई भी स्तंभ-आधार किसी स्तंभ के साथ सहबद्ध नहीं पाया गया; और

(iv) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजे गए तथाकथित स्तंभ आधार की प्रकृति को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन स्तंभ आधारों ने केवल उनके ऊपर स्थित लकड़ी के स्तंभों को सहारा दिया (जैसाकि प्रतिवादी साक्षी-20/5, जो विशेषज्ञ साक्षी हैं और जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के समर्थन में परिसाक्ष्य दिया है) ।

काउंसेल द्वारा उपरोक्त ऐतराजों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किए गए निवेदनों द्वारा साक्ष्य के आधार पर साबित किए जाने की ईप्सा की गई :–

(i) स्तंभ आधार एक ही तल से संबंधित नहीं हैं

जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5) – अरुण कुमार शर्मा (विपक्षी साक्षी 18) – अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31); और डा. शिरीन रत्नागर (वादी साक्षी 27) ने अभिकथित किया कि

समस्त स्तंभ आधार एक ही तल से संबंधित नहीं है । विपक्षी साक्षी 18 ने अभिकथित किया कि 46 स्तंभ अवधि VII (बारहवीं शताब्दी ए. डी.) से संबंधित हैं और चार स्तंभ चौथे तल (ग्यारहवीं शताब्दी ए. डी.) से संबंधित हैं । वादी साक्षी 31 ने अभिकथित किया कि टीले की उत्तरी भाग में पाए गए कुछ स्तंभ आधार विभिन्न ऊंचाई और संरचनात्मक गतिविधि से संबंधित हैं । अभि. सा. 27 ने अभिकथित किया कि स्तंभ आधार परत से संबंधित नहीं है ।

(ii) स्तंभ और स्तंभ आधार अनुमान पर आधारित है

आर. नागास्वामी (विपक्षी साक्षी 17), जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5) और अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31) ने अपने परीक्षण के दौरान दावा किया कि स्तंभ आधारों की 17 कतारें थीं और प्रत्येक कतार में 5 स्तंभ आधार थे, किंतु यह मात्र एक अनुमान है चूंकि समस्त 85 स्तंभों का उत्खनन नहीं किया गया ।

(iii) स्तंभ आधार पंक्ति में नहीं हैं

आर. सी. ठकरान (वादी साक्षी 30), अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31) और डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) ने अभिकथित किया कि स्तंभ आधार एक पंक्ति में नहीं थे, जैसीकि प्रत्याक्षा किसी भी स्तंभों वाले कक्ष में की जाती है ।

(iv) **स्तंभ-आधार विभिन्न माप और आकार वाले हैं**

जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5) ने अभिकथित किया है कि स्तंभ-आधार संख्या 42 (43 x 120 x 28 सेंमी.) सर्वाधिक लघु आकार वाला स्तंभ-आधार है, जबकि सबसे बड़े आकार वाला स्तंभ-आधार संख्या 35 (170 x 160 x 38 सेंमी.) है ।

(v) **स्तंभ/स्तंभ-आधार बोझ उठाने योग्य नहीं थे**

आर. नागास्वामी (ओ. पी. डब्ल्यू. 17) ने अभिकथित किया कि वे स्तंभ, जिनका उपयोग स्तंभ-आधारों में किया गया, अधिसंभाव्य रूप से लकड़ी के थे, न कि पत्थर के – ऐसे स्तंभ

पक्की छत का भार उठा सकते थे किंतु किसी बहुत बड़ी विशाल संरचना का बोझ नहीं उठा सकते थे । अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31) ने अभिकथित किया कि अभिकथित आधार-स्तंभों के आधार नहीं हैं बल्कि वास्तव में ईंट के रोड़े का जमाव है । वादी साक्षी 27, वादी साक्षी 30 और वादी साक्षी 32 ने शपथपूर्वक यह अभिकथन भी किया कि स्तंभ-आधार और आधार भार उठाने वाली प्रकृति के स्तंभ-आधार और आधार नहीं थे ।

दीवारों के बाबत एतराज

467. उच्च न्यायालय के समक्ष उत्खनित दीवारों की उपस्थिति के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध निम्नलिखित एतराज प्रस्तुत किए गए थे :–

"शास्त्रीय शैली के एक मध्ययुगीन मंदिर में आंतरिक मोटी दीवारों के साथ ऊंचे और बहुत बड़े ढांचे को सहारा देने के लिए एक केंद्रीय भाग होगा ।

गड्ढा एच.1 में इस ढांचे की मुख्य योजना में एक दीवार या दो सकरी दीवारों की दो लंबाइयां दर्शित हैं, दोनों में से प्रत्येक की लंबाई एक मीटर से कम है और दोनों के मध्य अंतर लगभग 70 सेंमी. का है । योजना और एक पंक्ति में यह चित्रण वह समस्त सूचना है, जिसको इस 'प्रवेश' के बारे में उपलब्ध कराया गया है ।"

उच्च न्यायालय ने एतराजों पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :–

"3926. उत्खननों के दौरान कुल मिलाकर 28 दीवारें खोजी गईं, जिनको आकृति 3-क में दर्शित किया गया है और इन 28 दीवारों में से दीवार संख्या 1 से 15 या तो विवादित ढांचे की समकालीन है या विवादित ढांचे से संबंधित हैं । दीवार संख्या 16 से 18 विवादित ढांचे के भी पहले की अवधि की है और विवादित ढांचे के नीचे पाई गई थी ...

3928. दीवारों और फर्शों के संबंध में वादियों के (वाद संख्या 4) विशेषज्ञों (पुरातत्वविदों) के कथन पहले ही संक्षेप में यह कहते

हुए निर्दिष्ट किए जा चुके हैं कि इन कथनों में कोई भी सारभूत एतराज नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि प्राप्त की गई राय इस बाबत थी या उस बाबत, किंतु वे राय इस सावधानी के साथ प्राप्त की गई हैं कि उन पर इस दृष्टिकोण या उस दृष्टिकोण से विचार किया जा सके और न कि किसी निश्चित दृष्टिकोण के साथ । अन्य शब्दों में इस पहलू पर साक्षी अस्थिर और अनिश्चित थे । इसलिए हम इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट पर संदेह करने का कोई सारभूत कारण नहीं पाते ।"

सुश्री अरोड़ा ने दीवारों के संबंध में निम्नलिखित एतराज प्रस्तुत किए :–

(i) भीतरी दीवारें (दीवार 18-क, 18-ख, 18-ग और 18-घ) भार वहन करने की क्षमता नहीं रख सकती थी क्योंकि वे अत्यधिक सकरी हैं और केवल 2 से 3 परत की ऊंचाई वाली हैं और ईंट के रोड़े द्वारा निर्मित हैं । दीवार 16, 1.77 मीटर चौड़ी है, जबकि दीवार 18 क, ख, ग और घ अपेक्षाकृत पतली हैं;

(ii) पतली पश्चिमी दीवारें मस्जिद निर्माण के लक्षण वाली हैं;

(iii) केवल दीवार 16 ही बाबरी मस्जिद की नींव हो सकती थी; और

(iv) जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5) के अनुसार दीवार 16, वर्ष 1130 के आस-पास निर्मित की गई थी जब पूजा स्थलों के समक्ष एक स्तंभों वाले बड़े कक्ष का निर्माण कराया गया था । दीवार 17 के निर्माण के पश्चात् इस दीवार के पश्चिम की तरफ स्थित फर्श 3 के नीचे स्थित ढांचे बाढ़ से संरक्षित हो गए थे और उन ढांचों को पुन: मजबूती प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ दीवार 16 का निर्माण किया गया था ।

468. उच्च न्यायालय ने वृत्ताकार पूजा स्थल की विद्यमानता के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित एतराजों का उल्लेख किया है :–

"1. इस ढांचे की तुलना कतिपय मंदिर के ढांचों से किया जाना त्रुटिपूर्ण होगा, न कि वृत्ताकार दीवारों और भवनों से;

2. इस सतह पर हिंदू उपासना की कोई भी वस्तु नहीं पाई गई;

3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा तैयार किए गए चित्रों के अनुसार बची हुई शेष दीवार वृत्ताकार निर्माण का मात्र एक चौथाई दर्शित करती है – ऐसे आकार मुस्लिम निर्माण की दीवारों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं;

4. इस ढांचे में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जो चित्र या पवित्र वस्तु जैसा हो और जिसे 'पूजा स्थल' कहा जा सके ।

5. पूजा स्थल छठी या सातवीं शताब्दी से संबंधित कोई स्तूप हो सकता था ।"

उच्च न्यायालय ने इन एतराजों को अस्वीकृत करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए :–

"3931. 'वृत्ताकार पूजा स्थल', जिसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा की गई और जिसकी विद्यमानता को मुस्लिम पक्षों के विशेषज्ञों (पुरातत्वविदों) में से अधिकांश द्वारा अधिक वस्तुतः स्वीकार किया गया है ने यह सुझाव देते हुए माननीय न्यायालय का ध्यान भटकाने का अनिच्छुक प्रयास किया कि यह कोई 'बौद्ध पूजा स्थल' या पूर्ववर्ती इस्लामिक धार्मिक ढांचे का मकबरा हो सकता है । वादी साक्षी 30 ने सुस्पष्ट रूप से पृष्ठ 15 पर इस बात को स्वीकार किया है और यह कहा है कि शपथ-पत्र के पैरा 14 में उसका कथन पूजा स्थल का दृश्यावलोकन किए जाने के पश्चात् नहीं किया गया था बल्कि केवल उसके फोटो के आधार पर किया गया था ।

3935. विवादित स्थल पर गड्ढों ई-8 और एफ-8 के मध्य उत्खनन के दौरान पूर्व दिशा की तरफ जली हुई ईंटों का एक वृत्ताकार ढांचा प्राप्त हुआ, जिसको सामान्य भाषा में 'वृत्ताकार पूजा स्थल' के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण रिपोर्ट के खंड-1 के पृष्ठ 70-72 पर दिया गया है और रिपोर्ट की आकृति 17, 24 और 24क और पट्टी 59, 60 और 62 (खंड-2) में दर्शित किया

गया है । इस वृत्ताकार पूजा स्थल में प्रयोग की गईं ईंटें दो आकारों अर्थात् 28 x 21 x 5.5 सें.मी. और 22 x 18 x 5 सें.मी. वाली हैं । इस निर्माण को बांधने वाली सामग्री मिट्टी का गारा था । इस निर्माण की पश्चिमी दिशा में एक आयताकार द्वार है, जिसकी माप 1.32 मीटर की लंबाई और 32.5 मीटर की चौड़ाई वाली है, जो इस ढांचे का प्रवेश द्वार था । यहां पर एक 70 x 27 x 17 सें.मी. की माप वाला कैलक्रीट खंड भी स्थापित पाया गया है, जो प्रकटतः दरवाजे की चौखट है ।

यह एक छोटे आकार का पूजा स्थल था । पुरातत्व शास्त्र से संबंधित लक्षणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह एक शिव पूजा स्थल है ।

3939. इस बात पर विचार भी नहीं किया जा सकता है कि एतराज करने वाले इस स्थान की पहचान शिव पूजा स्थल के स्पष्ट लक्षणों के पाए जाने के बावजूद एक मुस्लिम मकबरे के रूप में कर रहे हैं ।

3940. द्वितीयतः, यह पूजा स्थल मकबरे को ध्यान में रखते हुए अत्यंत लघु आकार का ढांचा है यह पूजा स्थल भीतर से मात्र 4.4 वर्ग फीट के स्थान वाला है । इस स्थान के भीतर न तो किसी कब्र को स्थान प्राप्त हो सकता है और न ही इसकी पश्चिमी दीवार पर किबला की मेहराब निर्मित है; किबला सल्तनत अवधि (1192-1526 ए. डी.) के दौरान मकबरे की संरचना का अभिन्न और अनिवार्य भाग था, जैसा कि संपूर्ण उत्तर भारत में अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

3941. तृतीयतः, इस पूजा स्थल पर मकबरे के ऊपर गुंबद का निर्माण किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी मेहराब का कोई भी निशान नहीं है । मेहराब को पीछे से धक्का दिए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी कटिया लगा हुआ दंड या संरचनात्मक निशान उपस्थित नहीं पाया गया । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मेहराब की अर्ध-संरचना चारों कोनों के किनारों पर विशालकाय रूप में निर्मित है, जिसका प्रयोजन पीछे से धक्का दिए

जाने के किसी प्रयास को विफल करना है । हमको इस बात पर आश्चर्य है कि इस ढांचे को बिना किसी मेहराब या गुंबद के और वह भी बिना किसी कब्र के मकबरा कहा जा रहा है ?

3942. अत:, एक तरफ तो इस ढांचे की माप किसी मकबरे को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक लघु है और दूसरी तरफ मकबरों में परनाले कभी नहीं होते, जबकि परनाला शिव मंदिरों के गर्भ गृह का अभिन्न लक्षण होता है, जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को बाहर निकाले जाने के प्रयोजनार्थ निर्मित होता है ।

3943. पूजा स्थल एक पवित्र स्थान होता है, जहां उपासना की जाती है । यह एक ऐसा ढांचा होता है जहां ईश्वर प्रतिष्ठापित होते हैं । इनकार किए जाने के प्रयोजनार्थ इनकार किए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए । 'इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि यह ढांचा पूजा स्थल है' और 'यह एक कल्पना की उपज है और बिना किसी साक्ष्यिक आधार के अनुमान है' । इस प्रकार की टिप्पणियां तभी की जाती हैं जब तकनीकी दक्षता का सर्वथा अभाव हो और इस प्रकार की टिप्पणियों से स्पष्टत: तार्किक सोच की कमी दर्शित होती है । इस प्रकार की दलीलें मात्र दलीलें ही होती हैं जिनमें 'साक्ष्यिक आधार' की सर्वथा कमी होती हैं । ऐसी अनेक दलीलें हो सकती हैं जो वादी के 'शुतुरमुर्ग जैसे रवैए को दर्शित करती हों ।

3952. संपूर्णता में विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पहलू पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और इस बाबत फाइल किए गए एतराजों को तदनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।"

विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री अरोड़ा ने वृत्ताकार पूजा स्थल पर रिपोर्ट में समाविष्ट निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित एतराज प्रस्तुत किए :–

(i) ये ढांचा सातवीं से दसवीं शताब्दी ए. डी. (गुप्त-राजपूत काल की पश्चात्वर्ती अवधि) से संबंधित है और इसलिए इसका अभिकथित

राम जन्मभूमि मंदिर, जो बारहवीं शताब्दी ए. डी. का है, से कोई सरोकार नहीं है ।

(ii) उत्खनन रिपोर्ट में पूजा स्थल के ठीक ऊपर खड़े हुए स्तम्भ आधार दर्शित किए गए हैं, जिनके आधार पर इस दावे से इनकार किया गया है कि वृत्ताकार पूजा स्थल उसी अवधि से संबंधित है जिससे बारहवीं शताब्दी का हिन्दू ढांचा संबंधित है; और

(iii) किसी जलीय अवशेष का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

दिव्य युगल और अन्य कलाकृतियां

469. उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित एतराज प्रस्तुत किए गए हैं :–

'दिव्य युगल :

1. इस कृति को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है कि इसको पहचाना नहीं जा सकता ।

2. इस कृति को 'दैवीय' कहे जाने का कोई कारण नहीं बताया गया । गड्ढा के के3-के4 में पाई गई कृति और इस गड्ढे में पाई गई अभिलिखित सतह 'मलबा' है । अत:, यह कृति स्तरीकृत संदर्भ के अंतर्गत नहीं आती ।

3. अष्टकोणीय शाफ्ट : 'यह शाफ्ट गड्ढा एफ-3 (पी.आई 140) में ऊपरी तल (प्रथम तल) के ऊपर स्थित सतह के मलबे से प्राप्त हुई – यह सुसंगत नहीं है ।

4. अन्य : 383 पुरातात्विक अवशेषों में से केवल 40 स्तरीकृत संदर्भों में से प्राप्त हुए हैं । इन 40 अवशेषों में से मंदिर के प्रयोजनार्थ कोई भी विशिष्ट अवशेष नहीं है, पृथक् रूप से उल्लिखित आठ अवशेष (दरवाजे का बाजु, अमलका, दैवीय युगल, श्रीवास्ता मूर्ति, कमल पदक इत्यादि) कतई महत्वपूर्ण नहीं हैं । उदाहरण के लिए श्रीवास्ता डिजाइन जैनियों से संबंधित होती है और कमल की डिजाइन बौद्धों या मुस्लिमों से संबंधित होती है ।'

उच्च न्यायालय ने उपरोक्त एतराजों को अस्वीकृत कर दिया । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अभिनिर्धारित किया :–

'3958. उत्खनित सामग्री जैसे कि मनुष्यों या पशुओं की मूर्तियां इत्यादि की पहचान और मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाने योग्य विषय है । इनमें से इन आठ विशेषज्ञों (मुस्लिम पक्षों के पुरातत्वविदों) में से किसी ने भी पुरातत्व विज्ञान की इस ... शाखा में विशेषज्ञ होने का दावा नहीं किया । फिर भी इन निष्कर्षों के संबंध में उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अलग-अलग है । एक साक्षी कहता है कि यह निष्कर्ष उन सतहों से प्राप्त नहीं किए गए, जिनसे प्राप्त होने का दावा उन्होंने किया जबकि अन्य साक्षियों ने अन्यथा कथन किए हैं । हमने ऐसी कलाकृतियों में से अनेक कलाकृतियों और प्राप्त की गई वस्तुओं के फोटोग्राफ देखें हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या अन्य पहचानों, जो इस न्यायालय से किसी ... टिप्पण की अपेक्षा करते हों, या उनकी रिपोर्ट को दूषित करते हों, में सामान्यतया कोई भी अंतर्निहित कमी या विकृति नहीं है । यह विवादित नहीं है कि उत्खनन के दौरान कोई भी इस्लामिक, धार्मिक कलाकृति नहीं पाई गई जबकि भारतीय हिन्दू धार्मिक प्रकृति से संबंधित कलाकृतियां बहुलता में पाई गईं । कुछ ऐसी भी वस्तुएं प्राप्त हुईं जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि इनका प्रयोग गैर हिन्दू लोगों द्वारा भी किया जा सकता था । किन्तु यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के विचार पर संदेह किए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं होगा । पट्टी सं. 50 (कपोटपल्ली), पट्टी सं. 51 और 62 (दीवार 16 और 17 में दर्शित पुष्प संबंधी कलाकृतियां), (श्रावत्स) पट्टी सं. 88, कोबरा का फन (नाग देवता), पट्टी सं. 129 और मनुष्य आकार में विभिन्न अन्य देवता और देवियां (पट्टी सं. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126) हमारे दृष्टिकोण में पूर्णतया स्पष्ट थे और हम यह स्वीकार करते हैं कि उनमें कोई संदेह नहीं था । तीन साक्षियों ने अर्थात् श्री अरुण कुमार (ओ.पी.डब्ल्यू. 18), डा. आर. नागास्वामी (ओ.पी. डब्ल्यू. 17) और श्री राकेश दत्त त्रिवेदी (ओ.पी.डब्ल्यू. 19) को पेश किया गया था जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट और उसमें अभिलिखित निष्कर्षों का समर्थन किया । वे सेवानिवृत्त

अधिकारी हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में वरिष्ठ पद धारण करते थे । उनके कथन पर्याप्त रूप से विस्तारपूर्वक हैं और अत्यधिक विस्तृत हैं । चूंकि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट का समर्थन किया, इसलिए हमने उनके कथनों का उल्लेख विस्तारपूर्वक इस कारणवश नहीं किया कि हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध किए गए एतराजों का परीक्षण उन कथनों के प्रकाश में करना चाहते थे, जिनको वादी (वाद सं. 4) के साक्षियों द्वारा शपथ पूर्वक किया गया और केवल यदि हमको कुछ संदेह होता, तो हम ओ. पी. डब्ल्यू. 17 से 19 के कथनों को निर्दिष्ट करते और उनकी तुलना करते । हम संपूर्णता में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूर्तियों इत्यदि के संबंध में किए गए एतराज में कोई सार नहीं है और उनको तद्नुसार अस्वीकृत किया जाता है ।'

विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री अरोड़ा ने उपरोक्त एतराजों के अतिरिक्त निम्नलिखित एतराजों का भी अवलंब लिया :–

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न दलों, जिन्होंने रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों को लिखा, ने कलाकृतियों को विशेषित अवधियों के बाबत असंगत निष्कर्ष निकाले;

(ii) 'दिव्य युगल' की तथाकथित मूर्तिकला का चेहरा पूर्णतया विकृत है;

(iii) 'दैवीय' अभिव्यक्ति के प्रयोग का कोई आधार नहीं है, चूंकि 'आलिंगन मुद्रा' स्पष्ट प्रतीत नहीं होती; और

(iv) अन्य कलाकृतियां जैसे कि कमल की डिजाइन, आवश्यकत: हिन्दू धार्मिक ढांचों के साथ सहबद्ध नहीं है ।

चमकदार वस्त्रों और चमकदार पट्टियों के विरुद्ध एतराज :

470. बर्तनों के कुल 647 अवशेष, जिनको उत्खनन के दौरान अभिप्राप्त किया गया, नौ अवधियों को समनुदेशित हैं, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है :

"अवधि I : 99

अवधि II : 73

अवधि III : 105

अवधि IV : 74

अवधि V : 85

अवधि VI : 63

अवधि VII, VIII और IX : 148

कुल योग : 647"

इन 647 अवशेषों में से, 148 अवशेषों को अवधि VIII और IX समनुदेशित किया गया ।

सुश्री अरोड़ा ने निवेदन किया कि मुख्य एतराज यह थे कि :

(i) चमकदार वस्त्र अवधि VII के अंतिम चरण में निर्मित किए गए थे चूंकि अन्यथा ये वस्त्र उस अवधि में किसी मंदिर के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग किए गए बताए जाते;

(ii) चमकदार वस्त्र अधिवास के सूचक हैं और वे मध्ययुगीन हिन्दू मंदिरों में नहीं पाए जाते; और

(iii) चमकदार वस्त्रों के दो टुकड़े अवधि VI में पाए गए – जो यह सूचित करते हैं कि सतहों को दोषपूर्ण ढंग से समनुदेशित किया गया ।

जानवरों की हड्डियों के बाबत एतराज

471. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने जानवरों की हड्डियों के संबंध में निम्नलिखित एतराज प्रस्तुत किए :–

(i) स्थल की प्रत्येक सतह पर उत्खनन के दौरान पाई गई हड्डियों के बाबत कोई अध्ययन संचालित नहीं कराया गया;

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हड्डियों के अध्ययन के संबंध में कोई पृथक् अध्याय समाविष्ट नहीं है और इस रिपोर्ट में ढांचे के अवशेषों से प्राप्त हड्डियों के संदर्भात्मक संबंध में परिणामों के सारांश में बिना किसी समझ के केवल एक प्रायिक संदर्भ समाविष्ट है; और

(iii) काटे जाने के निशानों के साथ हड्डियों के टुकड़ों की प्राप्ति इस बात का सूचक है कि उस अवधि में जानवरों का प्रयोग भोजन के प्रयोजनार्थ किया जाता था और यह खोज मंदिर की संभाव्यता से इनकार करती है ।

उपरोक्त असंगतताओं, जिनको सुश्री अरोड़ा द्वारा सावधानीपूर्वक प्रकाश में लाया गया, को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

सिविल प्रक्रिया संहिता : धारा 75 और आदेश XXVI

472. इस न्यायालय को सुश्री अरोड़ा द्वारा ऊपर रेखांकित प्रारंभिक पहलुओं और रिपोर्ट (जिसका उल्लेख बाद में किया जाएगा) के गुणागुण पर फाइल किए गए एतराजों पर विचार करने के पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे गए अन्वेषण की प्रकृति और परिधि के परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए ।

473. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75* न्यायालय को उन शर्तों और सीमाओं, जिनको विहित किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए कमीशन नियुक्त करने के लिए सशक्त करती है । न्यायालय किसी वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण संचालित कराए जाने के प्रयोजनार्थ अन्य बातों के साथ कमीशन जारी कर सकती है । इस विनिर्दिष्ट उपबंध को 1976 के संशोधन अधिनियम सं. 104 द्वारा तारीख 1 फरवरी, 1977 से सम्मिलित किया गया था ।

आदेश XXVI कमीशनों से संबंधित है । नियम 1 से 8 कमीशनों पर साक्षियों के परीक्षण के प्रयोजनार्थ लागू होते हैं । नियम 9 और 10

---

* धारा 75. कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति – ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय –

(क) किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए;

(ख) स्थानीय अन्वेषण करने के लिए;

(ग) लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए; अथवा

(घ) विभाजन करने के लिए;

(ङ) कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए;

(च) ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए, जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है;

(छ) कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए, कमीशन निकाल सकेगा ।

स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन नियुक्त किए जाने से संबंधित हैं जबकि वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसचिवीय कार्यों, और संपत्ति के विक्रय के प्रयोजनार्थ कमीशन नियम 10क, 10ख और 10ग के अंतर्गत आते हैं ।

शेष उपबंध खातों के परीक्षण और विभाजन के लिए कमीशन और सामान्य उपबंधों को समाविष्ट किए जाने और विदेशी अधिकरणों की पहल पर कमीशनों को सम्मिलित किए जाने से संबंधित हैं ।

474. वर्तमान प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को नियम 9, 10, 10क और 10ख पर विचार करना होगा । नियम 9 न्यायालय को स्थानीय अन्वेषण, जिसको न्यायालय किसी मामले में विवाद को स्पष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ उचित प्रतीत करता है, कमीशन नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है । नियम 10 कमिश्नर को स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सहित हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सशक्त करता है । नियम 10 में यह उपबंधित है :–

> "10. **कमिश्नर के लिए प्रक्रिया** – (1) कमिश्नर ऐसे निरीक्षण के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपने द्वारा हस्ताक्षरित अपनी लिखित रिपोर्ट सहित ऐसे साक्ष्य को न्यायालय को लौटाएगा ।
>
> (2) **रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य वाद में साक्ष्य होंगे** – कमिश्नर की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिया गया साक्ष्य (न कि साक्ष्य रिपोर्ट के बिना) वाद में साक्ष्य होगा और अभिलेख का भाग होगा, किन्तु न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद में के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, कमिश्नर की वैयक्तिक रूप से परीक्षा खुले न्यायालय में उन बातों में से किसी के बारे में जो उसे निर्देशित की गई थी या जिनका वर्णन उसकी रिपोर्ट में है या उसकी रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में जिसने उसने अन्वेषण किया है, कर सकेगा ।
>
> (3) **कमिश्नर की वैयक्तिक रूप से परीक्षा की जा सकेगी** – जहां न्यायालय किसी कारण से कमिश्नर की कार्यवाहियों से असंतुष्ट है, वहां वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने के लिए निर्देश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।"

नियम 10क के अधीन वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रयोजनार्थ कमीशन की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित उपबंध बनाए गए है :–

"10क. **वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कमीशन –** (1) जहां वाद में उद्‌भूत होने वाले किसी प्रश्न में कोई ऐसा वैज्ञानिक अन्वेषण अंतर्ग्रस्त है जो न्यायालय की राय में न्यायालय के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है, तो वहां न्यायालय, यदि वह न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, उसे यह निर्देश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा कि वह ऐसे प्रश्न की जांच करे और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दे ।

(2) इस आदेश के नियम 10 के उपबंध इस नियम के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में लागू होते हैं ।"

नियम 10ख किसी अनुसचिवीय कार्य, जिसको न्यायालय के समक्ष सुविधाजनक तरीके से नहीं किया जा सकता, के निर्वहन के लिए कमीशन की नियुक्ति पर विचार करता है ।

475. उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए निर्देशित करते हुए धारा 75 और आदेश XXVI के नियम 10क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया । इस प्रकार का अन्वेषण किए जाने के प्रयोजनार्थ नियम 10क की उपधारा (2) यह अनुध्यात करती है कि जहां तक संभव हो, नियम 10 के उपबंध लागू होंगे, चूंकि वे उपबंध नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर के संबंध में लागू होते हैं । नियम 10(2) यह अनुध्यात करता है कि कमिश्नर द्वारा एकत्रित साक्ष्य और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 'वाद में साक्ष्य होगी' । कानून की यह आज्ञा है कि वाद में साक्ष्य और रिपोर्ट को साक्ष्य प्रतीत किया जाए और यह साक्ष्य 'अभिलेख का भाग होगा' । तथापि, या तो न्यायालय स्वप्रेरणा से या वाद का कोई पक्ष (न्यायालय की अनुज्ञा से) कमिश्नर का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर सकता है । यह एक समर्थकारी उपबंध है जिसके अधीन कमिश्नर का परीक्षण न्यायालय

द्वारा स्वप्रेरणा से या वाद के किसी भी पक्ष के अनुरोध पर किया जा सकता है । वाद की विषयवस्तु, जिसके बाबत कमिश्नर का परीक्षण किया जा सकता है, को भी नियम 10 के उपनियम (2) में वर्णित किया गया है । कमिश्नर का परीक्षण निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है :–

(i) निर्दिष्ट किया गया कोई भी मामला;

(ii) रिपोर्ट में उल्लिखित कोई भी मामला;

(iii) कोई भी मामला, जो रिपोर्ट में समाविष्ट हो; या

(iv) उस तरीके के संबंध में, जिसमें अन्वेषण किया गया ।

इसमें प्रक्रिया से संबंधित दोनों प्रकार के मामले सम्मिलित हैं, जिनका अनुसरण अन्वेषण संचालित किए जाने और रिपोर्ट के सारभूत पहलुओं के संबंध में किया गया ।

476. **डा. भुवन विक्रम सिंह** – उच्च न्यायालय के समक्ष वाद सं. 5 के वादियों ने कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान डा. भुवन विक्रम सिंह, जो उत्खनन दल के सदस्य थे, के परीक्षण का अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने साक्षियों को तलब किया । डा. भुवन विक्रम सिंह ने यह अनुरोध करते हुए आवेदन फाइल किया कि उनको न्यायालय के साक्षी के रूप में तलब किया जा सकता है चूंकि वे न्यायालय द्वारा नियुक्त उत्खनन दल के सदस्य थे और वे किसी वाद के किसी पक्ष के साक्षी के रूप में शपथ पूर्वक कथन करने के इच्छुक नहीं है । वाद सं. 5 के वादियों के काउंसेल ने इस आवेदन का विरोध नहीं किया और यह कथन किया कि वे वाद सं. 5 में साक्षी के रूप में डा. भुवन विक्रम सिंह का परीक्षण नहीं करना चाहते । तथापि, काउंसेल ने यह अनुरोध किया कि डा. भुवन विक्रम सिंह को न्यायालय का साक्षी माना जाना चाहिए और उनका परीक्षण न्यायालय के साक्षी के रूप में किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने तारीख 4 दिसम्बर, 2006 के आदेश द्वारा इस साक्षी को बिना उसका साक्ष्य अभिलिखित किए उन्मोचित कर दिया और यह मताभिव्यक्ति की कि न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी साक्षी को तलब कर सकता है

और उसका परीक्षण न्यायालय के साक्षी के रूप में करा सकता है और ऐसे विवेकाधिकार को न्यायालय के ऊपर किसी पक्ष द्वारा आवेदन फाइल करने के द्वारा थोपा नहीं जा सकता ।

477. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अपना निर्णय पारित किए जाने के अनुक्रम के दौरान उल्लेख किया कि पक्षों ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध एतराज प्रस्तुत किए थे जिनको इस न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना था । किन्तु तत्पश्चात् यह पाया गया कि एतराज की प्रकृति ऐसी थी कि जब तक कि पक्षों को साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं कर दी जाती, एतराजों पर विनिश्चय पारित नहीं किया जा सकता था । इसलिए, उच्च न्यायालय ने तारीख 3 फरवरी, 2005 को निर्देशित किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहण की जाएगी, किन्तु पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए एतराजों को वादों की अंतिम सुनवाई के समय निर्णीत किया जाएगा चूंकि उस समय तक साक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि विधि या नियम 10 या नियम 10क या आदेश XXVI में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि जब तक कमिश्नर का परीक्षण साक्षी के रूप में नहीं हो जाता, तब तक रिपोर्ट को सारभूत साक्ष्य प्रतीत नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट से संबंधित किसी भी विवाद्यक पर कमिश्नर के परीक्षण के विकल्प को नहीं चुना । इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा फाइल किए गए एतराज संपूर्ण रिपोर्ट को चुनौती नहीं देते बल्कि मात्र रिपोर्ट के परिणामों के सारांश में उल्लिखित निष्कर्षों को चुनौती देते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षपात और असद्भाव के अभिकथन भी किए गए थे; तथापि, इस न्यायालय के समक्ष इन अभिकथनों पर विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री अरोड़ा द्वारा सुनवाई के अनुक्रम के दौरान बल नहीं दिया गया ।

478. इस तथ्यात्मक स्थिति के बाबत कोई विवाद नहीं है कि किसी भी पक्ष ने आदेश XXVI के नियम 10(2) में समाविष्ट उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कमिश्नर का परीक्षण कराए जाने की ईप्सा नहीं की, जिनको, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए गठित किसी कमीशन के संबंध में नियम 10(क) को दृष्टि में रखते

हुए लागू होते हैं । आदेश XXVI का नियम 9 में सारभूत शक्ति समाविष्ट है, जो न्यायालय को स्थानीय अन्वेषण किए जाने के प्रयोजनार्थ कमीशन जारी करने के लिए सशक्त करता है । नियम 10 प्रक्रिया विधि की प्रकृति का उपबंध है । नियम 10क सारभूत विधि की प्रकृति का उपबंध है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण किए जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय को कमीशन जारी करने के लिए सशक्त करता है । नियम 10क(2), जो नियम 9 के अधीन नियुक्त कमिश्नर पर वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए जारी किए जाने वाले कमीशन पर नियम 10 के उपबंधों को लागू करता है, में 'जहां तक संभव हो' अभिव्यक्ति समाविष्ट होती है । ये शब्द उस धारणा की कल्पना करते हैं जो व्यवहार्य हो और किसी सीमा तक उन शक्तियों का प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ संभव भी हो, जो न्यायालय को कमीशन जारी किए जाने या नियुक्त किए जाने के लिए प्रदान की गई हो । नियम 10(2) का द्वितीय भाग उस सीमा तक समर्थकारी उपबंध है, जिस सीमा तक यह न्यायालय को या तो कमिश्नर की रिपोर्ट या अन्वेषण से संबंधित मामलों के संबंध में स्वयमेव परीक्षण किए जाने का विवेकाधिकार प्रदान करती है और पक्षों को न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध करने के लिए समर्थ बनाती है कि कमिश्नर को परीक्षण के लिए तलब किया जाए । यदि प्रतिपरीक्षा के लिए कमिश्नर को तलब किए जाने की समर्थकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, तो नियम 10 कमिश्नर की रिपोर्ट को चुनौती दिए जाने के अधिकार को निषिद्ध नहीं करता । कोई पक्ष ऐसे मामलों, जो रिपोर्ट पर प्रभाव डाल सकते हैं, पर कमिश्नर का परीक्षण किए जाने की ईप्सा करने वाले अवसर का लाभ उठा सकता है । कोई पक्ष अपने साक्षियों, जो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए नियुक्त कमिश्नर द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली, उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का खंडन करने की ईप्सा करते हैं, को भी साक्ष्य के प्रयोजनार्थ स्वप्रेरणा से प्रस्तुत कर सकता है । किसी पक्ष का कमिश्नर की रिपोर्ट के विरुद्ध एतराज प्रस्तुत करने का अधिकार मात्र इस कारणवश निरस्त नहीं हो जाता क्योंकि कमिश्नर को प्रतिपरीक्षण के लिए तलब नहीं किया गया । अधिकांश बातें उन एतराजों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, जिनको किसी पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की ईप्सा की गई, यद्यपि, कमिश्नर को परीक्षण के लिए तलब नहीं किया गया ।

479. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह था कि विधि की दृष्टि में कमिश्नर को उस रिपोर्ट, जिसको बाद में साक्ष्य के रूप में प्रतीत किया जा सकता हो, के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में तलब किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं है । उच्च न्यायालय का यह विचार न्यायसंगत है चूंकि आदेश XXVI का नियम 10(2) यह अनुध्यात करता है कि कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और एकत्रित किए गए साक्ष्य 'वाद के साक्ष्य होंगे और अभिलेख के अंग होंगे' । इसलिए, कमिश्नर की रिपोर्ट को वाद में साक्ष्य के रूप में और अभिलेख के अंग के रूप में न्यायत: प्रतीत किया गया । तथापि, यह कार्यवाही किसी पक्ष को कमिश्नर की रिपोर्ट को चुनौती देने से प्रतिबंधित नहीं करेगी जिसके लिए पक्षों को यह स्वतंत्रता थी कि वे कार्यवाही के निम्नलिखित अनुक्रमों में से किसी एक या अधिक का आश्रय लेते हैं :–

(i) खुले न्यायालय में कमिश्नर को परीक्षण के लिए तलब किया जाना;

(ii) कमिश्नर की रिपोर्ट को खंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ अपने साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करना; और

(iii) न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ कमिश्नर की रिपोर्ट के विरुद्ध एतराज प्रस्तुत करना । न्यायमूर्ति अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्णय में वास्तव में यह उल्लेख किया गया है कि कमिश्नर रिपोर्ट के विरुद्ध एतराज पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादों की अंतिम सुनवाई के समय निर्णीत किए जाएंगे, चूंकि उस समय तक साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी । ऊपर (ii) और (iii) में निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुक्रमों का अनुसरण किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी पक्ष का अधिकार नियम 10क(2) के पश्चात्वर्ती भाग द्वारा प्रदत्त समर्थकारी शक्तियों से स्वतंत्र अधिकार था ।

480. यह कहते हुए 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 45* को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है । जब न्यायालय को अन्य बातों के साथ विज्ञान के किसी बिन्दु पर अपना विचार स्थिरीकृत करना होता है, तो विज्ञान के उस बिन्दु पर विशेष रूप से दक्षता प्राप्त व्यक्तियों के विचार सुसंगत तथ्य होते हैं । ऐसे व्यक्ति, जैसा कि कानून के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, 'विशेषज्ञ कहलाते हैं' । वह तरीका जिसमें किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, को प्रिवी कौंसिल द्वारा **चंदन मुल इंद्र कुमार** बनाम **चिमन लाल गिरधर दास पारिख**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में वर्णित किया गया है । इस निर्णय को पारित करते हुए लार्ड रोमर ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस तरीके को अभिनिर्धारित करने वाले वाक्यांश को अभिलिखित किया, जिसमें स्थानीय कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए :–

---

* धारा 45 का उपबंध है –

45. **विशेषज्ञों की रायें** – जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख [या अंगुली चिह्नों] की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में [या हस्तलेख] [या अंगुली चिह्नों] की अनन्यता विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं ।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं ।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या **क** की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई ।

जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे **क** की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत है ।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या **क** अमुक कार्य करने के समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था ।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या **क** द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्तविकृति सामान्यत: दर्शित होती है तथा क्या ऐसी चित्तविकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति, जिन्हें वे करते हैं, या वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्राय: असमर्थ बना देती है ।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज **क** द्वारा लिखी गई थी । एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका **क** द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है ।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेजें एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं ।

[1] ए. आई. आर. 1940 प्रिवी कौंसिल 3.

"यह अधिकथित किया गया है कि ऐसे स्थानीय अन्वेषण के परिणाम, जिसको लंबी कार्रवाई करते हुए सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया गया है, में बिना स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त आधारों के हस्तक्षेप को निरुत्साहित किया जाना चाहिए । न्यायालय के लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि वे किसी विशेषज्ञ की भांति कार्य करें और किसी कमिश्नर, जिसकी विश्वसनीयता और सावधानीपूर्वक कार्य करने की दक्षता को चुनौती नहीं दी जा सकती और जिसके द्वारा सावधानीपूर्वक और श्रम साध्यतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन किया गया है और जिसने दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा किए गए प्रकथनों पर असावधानीपूर्वक भरोसा नहीं किया, की विस्तृत रिपोर्ट को दरकिनार करे ।"

प्रिवी कौंसिल ने विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई उपरोक्त मताभिव्यक्तियों को अभिलिखित करते हुए उनकी पुष्टि कर दी जैसी कि विधि की दृष्टि में सही स्थिति परावर्तित होती है :–

"माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया यह निर्णय उस सिद्धांत का सही वर्णन है, जिसको कमिश्नर रिपोर्ट पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किया जाता है । यह सारभूत रूप से वह सिद्धांत है जिसको इस बोर्ड द्वारा पहले ही रानी सूरत सुंदरी देविया **बनाम** बाबू प्रोसोन्नो कुमार टैगोर, [(1870) 13 मु. आई. ए. 607 पृष्ठ 617] वाले मामले में अधिकथित किया गया ।"

[इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वान् एकल न्यायपीठ द्वारा **न्यू मुल्तान टिम्बर स्टोर** बनाम **रतन चंद सूद**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को भी देखें]

481. डा. राजीव धवन ने अपने लिखित निवेदनों के अनुक्रम में ऋजुतापूर्वक स्वीकार किया कि 'यह आवश्यक नहीं कि न्यायालय अपना निर्णय पारित करते हुए विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर भी निर्णय सुनाए' । फिर भी निवेदन के अनुसार न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से कतिपय पहलुओं का परीक्षण कमिश्नर की विशेषज्ञता पर निर्णय सुनाए बिना किया जा सकता है । ये पहलू निम्नलिखित हैं :–

---

[1] (1997) 43 डी. आर. जे. 270.

(i) क्या कमिश्नर ने न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने के मामले में दी गई छूट का लाभ उठाया है;

(ii) क्या शर्तों और परिसीमाओं का पालन किया गया है;

(iii) क्या निकाले गए निष्कर्ष परिणामों के सामंजस्य में है;

(iv) क्या रिपोर्ट में प्रकट रूप से असंगतताएं हैं; और

(v) क्या निष्कर्ष युक्तियुक्त अधिसंभाव्यताओं के परे निकाले गए हैं ।

अत: डा. धवन ने दलील दी कि प्रथम अपील में अपील न्यायालय को यह अधिकार है कि वे विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों, यदि असंबद्ध है और रिपोर्ट के आधिक्य में है, का परीक्षण करे । इसके अतिरिक्त, जहां सभी पक्षों ने कमिश्नर की प्रतिपरीक्षा नहीं की है, तो विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय संगतता, सुसंगतता और अधिसंभाव्यता पर आधारित एतराजों का परीक्षण किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनी अधिकारिता के भीतर रहते हुए कार्य करेंगे ।

482. सिद्धांत:, हमारा यह विचार है कि वाद का कोई पक्ष कमिश्नर की रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत करने या कमिश्नर द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को खंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ अपने साक्षियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने से मात्र इस कारणवश प्रतिबंधित नहीं होता, क्योंकि उसने न्यायालय के समक्ष कमिश्नर को परीक्षण के प्रयोजनार्थ तलब कराए जाने का अनुरोध नहीं किया । किन्तु कोई पक्ष, जो नियम 10(2) द्वारा प्रदत्त इस समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त है और जिसके अधीन वह न्यायालय से यह अनुरोध करता है कि कमिश्नर का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए, चाहे वह मामला ऐसा ही मामला क्यों न हो, जिसमें कमिश्नर की विशेषज्ञता खतरे में आ जाए, आश्रय लेने में विफल रहता है । वर्तमान मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विशेषज्ञता प्राप्त प्राधिकारी है । उसकी विश्वसनीयता और विशेषज्ञता संदेह के परे है । एतराजों की प्रकृति, जिन पर न्यायालय द्वारा विधिसम्मत ढंग से विचार किया जा सकता है, उस अन्वेषण की प्रकृति और विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता, जिनमें अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव दोनों

अंतर्वलित हों, पर निर्भर होगा, जिसको संचालित किए जाने के लिए कमिश्नर को आदेशित किया गया । वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में कमिश्नर की रिपोर्ट के कतिपय पहलू अंतर्वलित हो सकते हैं जिनको कमिश्नर द्वारा भली-भांति स्पष्ट किया जा सकता है । नियम 10(2) यह अनुज्ञा प्रदान करता है कि रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले में या रिपोर्ट के अनुसार और वह तरीका जिसमें अन्वेषण किया गया है, के बाबत कमिश्नर का परीक्षण कराया जाए । नियम 10(2) के अधीन प्रदत्त समर्थकारी शक्ति का अवलंब लिए जाने में विफलता के परिणामस्वरूप पक्ष को उन स्पष्टीकरणों को संबोधित करने में असफलता का सामना करना पड़ेगा जिनको वह कमिश्नर के परीक्षण के अनुक्रम के दौरान स्पष्ट कराना चाहता है । वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में न्यायालय को किसी विशिष्ट विषय के ज्ञान से अपेक्षित विवाद्यकों पर विशेषज्ञता प्राप्त नहीं होती और यही कारण है कि ऐसे मामलों में कमिश्नर की नियुक्ति प्रमुखता प्रदान करते हुए की जाती है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नियुक्ति का उद्देश्य और प्रयोजन विवादित स्थल पर उत्खनन कराए जाने के लिए निर्देशित करना था ताकि न्यायालय को उत्खनन में अभिप्राप्त सामग्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर विवाद की विषयवस्तु के बाबत वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण निर्मित करने के समर्थ बनाए जा सके । कोई पक्ष जो कमिश्नर की रिपोर्ट को चुनौती देने की ईप्सा करता है, द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए कमिश्नर को तलब कराए जाने में विफल रहने पर उन एतराजों की प्रकृति सीमित हो जाएगी जिनको इस कारणवश न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है कि कमिश्नर, जो रिपोर्ट को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ सर्वोत्तम स्थिति में था, को परीक्षण के लिए तलब नहीं किया गया ।

483. हम विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल डा. धवन द्वारा स्पष्ट की गई प्रतिपादना को स्वीकार करते हैं कि कोई पक्ष सैद्धांतिक रूप से परीक्षण के लिए कमिश्नर को न तलब किए जाने के बावजूद भी इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मामलों में एतराज प्रस्तुत कर सकता है :–

(i) क्या न्यायालय द्वारा दी गई छूट का लाभ कमिश्नर द्वारा उठाया गया है और वह भी निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करते हुए–

(क) क्या कमिश्नर ने उन मामलों में भी निर्णय लिए हैं जो उसको निर्दिष्ट नहीं किए गए थे; या

(ख) क्या कमिश्नर ने किसी ऐसे मामले को निर्णीत नहीं किया है जो उसको निर्दिष्ट किया गया था;

(ii) क्या कमिश्नर की रिपोर्ट में विरोधाभास या असंगतताएं हैं; और

(iii) क्या कमिश्नर द्वारा निकाले गए निष्कर्ष या परिणाम उसकी रिपोर्ट में समाविष्ट हैं ।

अंततः, यह न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है कि वह इस बाबत निर्णय ले कि क्या वे निष्कर्ष जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में समाविष्ट हैं, अधिसंभाव्यताओं की सुसंगतता और प्रबलता के आधार पर सत्य और न्याय को अभिप्राप्त किए जाने के प्रयोजन की पूर्ति करते हैं । ऐसी परिस्थितियों और विधि की अन्य शाखाओं में सामान्य बोध न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करता है ।

विश्लेषण

484. वाद सं. 5 में वादियों ने इस घोषणा की ईप्सा की है 'कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि का संपूर्ण परिसर ... वादी देवताओं से संबंधित है' । वादपत्र के पैरा 23 में समाविष्ट अभिवचन यह है कि श्रीराम जन्मभूमि पर विक्रमादित्य के शासन काल का एक प्राचीन मंदिर स्थित था जिसको भागतः नष्ट कर दिया गया था और उस स्थल पर मस्जिद का निर्माण किए जाने का प्रयास किया गया था :–

'23. इतिहास की पुस्तकों और निस्संदेह प्राधिकार वाले सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर निर्विवाद रूप से यह साबित हो जाता है कि <u>अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि पर महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल के समय का एक प्राचीन मंदिर स्थित था । उस मंदिर को भागतः नष्ट कर दिया गया था और उस स्थल पर मीर बाकी, जो बाबर की सेना का सेनापति था, द्वारा आयुधों के बल पर मस्जिद के निर्माण का प्रयास किया गया था</u> । ... वर्ष

1528 में बाबर अयोध्या आया था और वहां पर एक सप्ताह तक रुका भी था । उसने प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया था और उस स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसे आज भी बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है । ...

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

वाद सं. 5 में यह दावा किया गया है कि (i) राम जन्मभूमि के स्थल पर एक प्राचीन मंदिर स्थित था; (ii) यह मंदिर विक्रमादित्य के शासन काल का था; और (iii) बाबर ने मंदिर को नष्ट करा कर उसके स्थल पर वर्ष 1528 में मस्जिद का निर्माण कराया ।

विवाद्यक

485. वाद सं. 4 और 5 में पक्षों के अभिवचनों को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए थे :–

"(क) वाद सं. 4 में विवाद्यक सं. 1(ख)

क्या किसी अभिकथित हिन्दू मंदिर को ध्वस्त किए जाने के पश्चात् उसी स्थल पर भवन का निर्माण किया गया था, जैसा कि प्रतिवादी सं. 13 द्वारा अभिकथित किया गया है ? यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव ?

(ख) वाद सं. 5 में विवाद्यक सं. 14

क्या विवादित ढांचा, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह बाबरी मस्जिद था, उसी स्थल पर स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किए जाने के पश्चात् निर्मित किया गया था ?"

वाद सं. 5 के वादियों को अपने पक्षकथन को साबित करने के प्रयोजनार्थ इन बातों को साबित करना होगा कि :–

(i) विवादित स्थल पर एक प्राचीन हिन्दू मंदिर विद्यमान था;

(ii) विद्यमान प्राचीन हिन्दू मंदिर को बाबरी मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त कर दिया गया था; और

(iii) मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थल पर किया गया था ।

मामले के सकारात्मक पक्ष को साबित करने के लिए सबूत का भार 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 103 के निबंधनों के अनुसार वाद सं. 5 के वादियों पर है ।

उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उत्खनन का प्रयोजन

486. उच्च न्यायालय ने तारीख 23 अक्तूबर, 2002 के अपने आदेश द्वारा भूमि को भेदने वाले रडार द्वारा सर्वेक्षण किए जाने का आदेश पारित करते हुए ऐसा किए जाने के प्रयोजन और उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया था :–

> "विशाल संरचना की प्रकृति काफी हद तक उसकी नींव से संबंधित होती है । ...यदि किसी निर्माण की नींव विद्यमान पाई जाती है, तो वह इस तथ्य पर प्रकाश डाल सकती है कि क्या कोई ढांचा विद्यमान था और यदि ऐसा था तो तत्समय विद्यमान ढांचा क्या था..."

भूमि को भेदने वाले रडार द्वारा किए गए सर्वेक्षण (जीपीआर सर्वे) की तारीख 17 फरवरी, 2003 की रिपोर्ट के आधार पर 0.5 से 5.5 मीटर की गहराई तक अनेक अनियमितताएं पाई गईं, जिनको प्राचीन और समकालीन ढांचों के साथ सहबद्ध किया जा सकता था जैसे कि स्तम्भ, नींव की दीवारें और मेहराब का फर्श, जो स्थल के विशाल भाग पर फैला हुआ था । तथापि, सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि इन अनियमितताओं की पुष्टि 'व्यवस्थित रूप से भूमि की उत्खनन' किए जाने के द्वारा की जा सकती थी जैसे कि पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए गड्ढों की उत्खनन की जाती है । कुल 184 अनियमितताओं, जिनका पता भूमि को भेदने वाले रडार के सर्वेक्षण द्वारा लगाया गया, में से 39 अनियमितताओं की पुष्टि उत्खनन के दौरान हो गई थी ।

तारीख 5 मार्च, 2003 को, जब उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्थल का उत्खनन किए जाने के लिए निर्देशित किया, तो इस उत्खनन का उद्देश्य इस बात को विनिर्धारण किया जाना था :–

> "क्या विवादित स्थल पर कोई मंदिर/ढांचा विद्यमान था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था और मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था ?"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तारीख 22 अगस्त, 2003 की अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया :–

> "अब मामले पर संपूर्णता में और विवादित ढांचे के ठीक नीचे स्थित किसी विशाल ढांचे के साक्ष्य पर विचार करते हुए और दसवीं शताब्दी और उसके पश्चात् के विवादित ढांचे के निर्माण तक के कालखंड से ढांचागत चरणों में साक्ष्य की निरंतरता, पत्थर और अलंकृत ईंटों के निर्माण और साथ ही दैवीय युगल की चेहराविहीन मूर्ति और पत्ते, प्रतिमानों, अमलका, अर्ध-वृत्ताकार प्लास्टर के साथ कपोतली, डोरजम्ब, काले शिस्ट, स्तम्भ के टूटे हुए अष्टकोणीय शाफ्ट, कमल मूर्ति, उत्तर की तरफ परनाला वाला गोलाकार पूजा स्थल, विशाल ढांचे के साथ संलग्न 50 आधार स्तम्भ, उन अवशेषों के सूचक हैं, <u>जिनके विशिष्ट लक्षण होते हैं और उत्तर भारत के मंदिरों के साथ सहबद्ध पाए गए हैं</u> ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के विरुद्ध मुख्य एतराज यह है कि इस बाबत कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया कि क्या किसी अंतर्निहित मंदिर (भूमि के नीचे दबे हुए मंदिर) या संरचना को ध्वस्त किया गया था और उसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया था । इस संदर्भ में यह निवेदन किया गया कि यह रिपोर्ट अपनी आत्यंतिक प्रकृति के द्वारा, जो मात्र एक विचार है (यद्यपि यह एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा दी गई रिपोर्ट थी), तथ्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अंतनिर्हित रूप से अटकलों पर आधारित है और अनिर्णायक है ।"

487. 1872 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 'तथ्य' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है :–

> "तथ्य – 'तथ्य' से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं –
>
> (1) ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो;

(2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो ।"

तथापि, धारा 45 किसी सुसंगत तथ्य पर विशेषज्ञ की राय के लिए अनुज्ञा प्रदान करती है, जब न्यायालय को विदेशी विधि, विज्ञान या कला या हस्तलेखन की पहचान या अंगुली की छाप के संबंध में अपना विचार स्थिरीकृत करना होता है ।

किसी तथ्य के साक्षी और विशेषज्ञ साक्षी के मध्य अंतर को **प्रेम सागर मनोचा** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में स्पष्ट किया गया है :–

> "20. ... विशेषज्ञ का यह कर्तव्य होता है कि वह न्यायालय के समक्ष अपने विचार और विचार के लिए कारणों को समस्त सामग्री के साथ प्रस्तुत करे । तत्पश्चात्, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार का आधार सही और उचित है और तत्पश्चात्, न्यायालय अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है । किन्तु, तथ्यों के साक्ष्यों के संबंध में ऐसा नहीं होता । तथ्य होते हैं और वे तथ्य ही रहते हैं और वे सदैव तथ्य ही बने रहते हैं । तथ्यों का साक्षी उनके आधार पर अपना विचार व्यक्त नहीं करता बल्कि वह उनको उसी प्रकार से प्रस्तुत करता है, जैसे वे हैं । तथापि, विशेषज्ञ अपना विचार उस विषय पर व्यक्त करता है, जिसका उसने परीक्षण किया है या उस विषय पर व्यक्त करता है जो संवीक्षाधीन रहा है । तत्पश्चात्, जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वह उसके ज्ञान पर आधारित विचार ही होता है ... ।"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एक विचार है – वह विचार ही है यद्यपि, पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ सरकारी अभिकरण का विचार है । यह रिपोर्ट विशेषज्ञ का विचार गठित करती है । विशेषज्ञ के विचार की छानबीन और मूल्यांकन न्यायालय द्वारा किया जाता है और वे स्वयमेव में निश्चायक नहीं होते ।

---

[1] (2016) 4 एस. सी. सी. 571.

विषय के रूप में पुरातत्व विज्ञान

488. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर इस आधार पर आक्रमण किया गया है कि पुरातत्व विज्ञान, जो नैसर्गिक विज्ञान के विषयों से भिन्न विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान की एक शाखा है और यह विषय अंतर्निहित रूप से व्यक्तिपरक विषय है । यह निवेदन किया गया है कि कोई पुरातत्वविद् निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व इतिहास, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को सम्मिलित करते हुए अन्य अनेक विषयों के आधार पर अनुमान निकालता है । यह दलील दी गई है कि अनुमानिक तर्कसंगतता की यह प्रक्रिया अंतिम निष्कर्ष को प्रभावित करने वाली व्यक्तिपरकता की अनेक सतहों की तरफ संकेत करती है । अतः, यह निवेदन किया गया है कि (न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई) पुरातत्व रिपोर्ट सत्यापन योग्य निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करती बल्कि इसके आधार पर ऐसे अनुमान उपलब्ध हुए हैं जिनको उत्खनन के अनुक्रम के दौरान प्राप्त आकड़ों या वस्तुओं के आधार पर निकाला गया है । यह दलील दी गई है कि यह संभव है कि (उत्खनन के अनुक्रम के दौरान प्राप्त आंकड़ों या वस्तुओं के) निर्वचन भिन्न हो सकते हैं और पुरातत्वविद् आंकड़ों के एक ही समुच्चय से निकाले गए निष्कर्षों में मतभेद भी रख सकते हैं । इसलिए कोई आत्यंतिक या सर्वव्यापी सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता ।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अपने निर्णय के अनुक्रम के दौरान यह मत व्यक्त किया :-

> "3896. पुरातत्व विज्ञान प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री, संस्कृति और समझ के पुनर्गठन के लिए वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराता है । पुरातत्व विज्ञान ... एक बहुविषयक वैज्ञानिक विषय है और इस विषय की यह अपेक्षा है कि प्रभावी परिणामों के लिए कामगारों का एक दल गठित किया जाए । प्राचीन स्थलों का उत्खनन पुरातत्वविदों द्वारा किया जाना महत्वपूर्ण कार्य है । चूंकि यह वैज्ञानिक विषय है, इसलिए, इसके कार्यों में वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं ।"

विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि उपरोक्त निष्कर्षों के विपरीत विशेषज्ञ साक्षियों ने पुरातत्व विज्ञान के अनुमान और निर्वचन का विषय होने के बाबत न्यायालय के समक्ष यह दिया है :–

(i) **जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5),** जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अधीक्षण पुरातत्वविद् के पद से सेवानिवृत्त हुईं, ने इस रिपोर्ट के समर्थन में शपथपूर्वक कथन किया । उन्होंने अभिकथन किया –

> ''... निर्वचन उत्खनन के मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू है ...''

> ''... मेरा 'प्रकट करना' शब्द से आशय अनुमानित चित्र प्रस्तुत करना है, जो उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित हो सकता है और यह पुरातत्वीय उत्खनन में अत्यधिक व्याप्त प्रथा है ...''

(ii) **आर. नागास्वामी (वादी साक्षी 17),** जो तमिलनाडु सरकार में पुरातत्व के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और वाद सं. 5 में वादियों की तरफ से विशेषज्ञ साक्षी थे, अभिकथित किया –

> ''... उत्खनन में एकत्रित पुरातत्व आंकड़े का निर्वचन ज्ञात प्राधिकृत स्रोतों से संबंधित शाब्दिक सामग्री के प्रसंग और संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है । यदि हमको उन बातों को दोहराना हो, जिसका उल्लेख उत्खनन रिपोर्ट में किया गया है, <u>तो उत्खनन का प्रयोजन, जो इतिहास का पुनर्निर्माण है</u>, संभव नहीं होगा ...''

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

(iii) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुरातत्व के भूतपूर्व प्रोफेसर डा. सिरिन एफ. रतनागर (वादी साक्षी 27), जो वादियों की तरफ से विशेषज्ञ साक्षी थी, ने वाद सं. 4 में यह अभिकथित किया –

> ''जो (आंकड़े) तथ्य गठित करते हैं, वे स्वयमेव भी विवादित हो सकते हैं । तथापि, यदि तथ्य को स्थापित किया

जाता है, तो एक तथ्य के बाबत दो पुरातत्वविदों द्वारा दो विचार संभव हो सकते हैं ...''

(iv) **डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32)**, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान संकाय में पुरातत्वविद् के सह-प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे, ने यह अभिकथित किया –

> ''... जब पुरातत्वविद् उत्खनन करते हैं और उत्खनन के दौरान पुरातत्वीय सामग्री, जिसमें बर्तन और हड्डियां सम्मिलित होती हैं, प्राप्त करते हैं, तो उनके द्वारा अनुमान और निर्वचन उस संदर्भ के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें ये प्राप्तियां अनावृत्त होती हैं । ये आंकड़े स्वयमेव में कुछ भी अभिकथन नहीं करते । अनुमान कतिपय सिद्धांतों और तरीकों के आधार पर निकाले जाते हैं जिनका अनुसरण पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है ...।''

489. श्री आर. नागास्वामी (ओपीडब्ल्यू 17) ने उत्तर से दक्षिण की तरफ स्तम्भ-आधारों की 17 पंक्तियों, और प्रत्येक पंक्ति में पांच स्तम्भ-आधारों की विद्यमानता के बारे में अभिकथित किया कि यह मात्र एक अनुमान था चूंकि समस्त 85 स्तम्भ-आधार अनावृत्त नहीं हुए थे । इसी प्रकार का कथन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में वरिष्ठ व्यख्याता डा. अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31) द्वारा भी किया गया । उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में समाविष्ट आकृति 23 (सममितीय आकृति) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया कि विभिन्न तलों की सतहों के पैमाने या ऊंचाइयां नहीं मापी जानी थीं और इस कार्य पर शुद्धत: अनुमानिक कार्य के रूप में विचार किया जा सकता है । आर. नागास्वामी (ओपीडब्ल्यू 17) और जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5) ने विवादित स्थल पर विशाल हिन्दू मंदिर की विद्यमानता के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार का समर्थन किया । इसके विपरीत डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) ने विवादित स्थल के नीचे स्थित ढांचे की विद्यमानता के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के साथ सहमति तो व्यक्त की, किन्तु वे निर्वचन के साथ असहमत थीं । शपथपूर्वक किए गए इन कथनों का अवलंब यह

सुझाव दिए जाने के लिए प्रयोजनार्थ लिया गया कि पुरातत्वविद् आंकड़ों के निर्वचन पर असहमत हो सकते हैं और होते हैं क्योंकि यह क्षेत्र आवश्यकत: अनुमानिक है ।

490. पुरातत्व विज्ञान के रूप में बहु-विषयक या अंतर विषयक दृष्टिकोणों के आधार पर कार्य करता है । पुरातात्विक साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए इस बात का स्मरण रखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि ज्ञान की शाखा के रूप में पुरातत्व सीखने के विज्ञान, अनुभव से बुद्धिमत्ता और योजना का अवलंब लेता है जो निर्वचन की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं । विषय के रूप में यह (पुरातत्व) प्रशिक्षित मस्तिष्क का पोषण करता है । यह अन्य विषयों जैसे कि इतिहास, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के तिर्यक निषेचन (cross fertilization) का अवलंब लेता है । यह इस विषय की अशक्तता नहीं बल्कि शक्ति है । पुरातत्व विज्ञान और कला दोनों के साथ मिश्रित होता है । यह (पुरातत्व) विज्ञान के रूप में व्यक्तिपरक मूल्यांकन के सिद्धांत पर आधारित होता है । कला के रूप में यह किसी ऐसे दृष्टिकोण का अवलंब लेता है जिसको युगों के इतिहास पर आधारित ज्ञान की खोज के बाबत अनेक वर्षों की प्रतिबद्धता द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है । पुरातत्व विज्ञान का आाकलन विषय के रूप में कम महत्व प्रदान किए जाने के द्वारा या अविश्वसनीयता के आधार पर नहीं किया जा सकता । पुरातत्व विज्ञान के मूल्य को किसी ऐसे तरीके से घटाया नहीं जा सकता जो कमजोर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा किसी दावे के बाबत अपनाया जाता है ।

491. साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 की रूपरेखा और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI के नियम 10क के उपबंधों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा आदेशित उत्खनन के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य पर विचार करते हुए न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि इस विषय की शक्ति और सीमाओं, दोनों का मूल्यांकन किया जाए । पुरातत्व विज्ञान कोई अपवाद नहीं है । प्रख्यात पुरातत्वविद् सर मोर्टिमर व्हीलर ने उस अनुभव को 'Archaeology from the Earth' [(Oxford : Clarendon Press (1954)] नामक शीर्षक वाली पुस्तक में लेखबद्ध किया है । इस पुस्तक में उन्होंने स्तरविज्ञान (Stratigraphy) पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया :–

"पूर्व में प्राचीन शहर कभी भी व्यवस्थित नहीं मिलते । ऐसे शहर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो किसी समय-बिन्दु पर एक क्षण में और एक क्षितिज पर पूर्णतया नष्ट किए गए हों और उनका पूर्ण रूप से नवनिर्माण किया गया हो । सामान्यतः, किसी मकान का पुनर्निर्माण कराया जाता है या पुराने मकान के स्थान पर नए मकान का निर्माण कराया जाता है चूंकि पुराना मकान जर्जर हो जाता है या ऐसा मकान के स्वामी की सनक पर किया जाता है । संपूर्ण शहर निरंतर रूप से विभेदक विनाश और निर्माण की स्थिति में होते हैं । प्रत्येक भवन के स्थल उनके पड़ोसी भवनों के स्थलों से ऊंचे हो जाते हैं – संपूर्ण शहर का स्थल स्वयमेव ही ऊंचा हो जाता है और वह किसी पहाड़ी की आकृति का धारण कर लेता है; इस पहाड़ी के ढलान पर भवन उसकी ऊंचाई पर बने भवनों के समसामयिक होते हैं । किसी द्वार के 10 फीट नीचे किसी स्थल पर कोई द्वार या बर्तन का टुकड़ा पाया जा सकता है, जो प्रमिततः उस द्वार या अन्य स्थान पर समान तारीख को बर्तन के टुकड़े से 10 फीट नीचे स्थित हो ।"

सतहों का उत्खनन स्वयमेव में एक जटिल कार्य होता है । इसके विपरीत (पुरातत्व रिपोर्ट) के निष्कर्षों का निर्वचन किए जाने पर अनेक सतहों की स्तरीय जटिलताओं के द्वारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता है । सर मोर्टिमर ने आगे उल्लेख किया :–

"स्थिरीकृत साक्ष्य के बाबत अनेकों उदाहरण उपलब्ध हैं – उन सतहों के बाबत जो एक दूसरे की समकालीन होती हैं, उन सतहों के बाबत जिनको बृहत्तर या कमतर समय अंतरालों ने एक दूसरे से पृथक् कर दिया, उन सतहों के बाबत जिनको अभंग उत्तराधिकार में एकत्रित किया गया हो । किसी धारा को पढ़ा जाना किसी भाषा, जिसका अध्ययन केवल प्रदर्शन और अनुभव द्वारा किया जाता है, को पढ़े जाने के समान होता है । यह छात्रों के लिए एक सलाह भी है । तथापि, अभ्यास करते समय अत्यधिक शीघ्रता के साथ न पढ़ें । निर्णय पारित करने के पूर्व अपने भीतर छिपे हुए शैतान के परामर्शी स्वयं बने । और जो कुछ भी संभव हो, अपनी जांच के बारे में अन्य – साथियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, अपने

फोरमैन के साथ चर्चा करें । (जैसा कि वाइस वेल्स ला गिवर हाईवेल डीडीए द्वारा कहा गया है, एक व्यक्ति का परिसाक्ष्य कोई परिसाक्ष्य नहीं होता) सौम्य बनो । अननुदेशित लोगों द्वारा दी गई राय का अनदेखा मत करो । प्रत्येक व्यक्ति उतना ही जानता है जितना कि एक सेवक । अक्खड़ लोगों का विवेक समस्त तथ्यों के बाबत अधिक सक्रिय होता है, विचारों से भरा होता है । इमरसन ने ऐसा कहा है और वे सही थे । यदि आप अन्य लोगों, जिनसे आप विचार-विमर्श करते हैं, के विचार स्वीकार नहीं करते, तो भी विचार-विमर्श का कार्य एक प्रकार का संयम और प्रोत्साहन होता है ।''

सर मोर्टिमर द्वारा दी गई चेतावनी उस विधि पर लागू होगी जैसे कि पुरातत्व विधि – ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम इन अपीलों में न्यायाधीश की हैसियत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ध्यान में रखते हैं ।

492. कार्ल पोपर ने 'द लॉजिक और साइंटिफिक डिस्कवरी' नामक शीर्षक वाली अपनी पुस्तक में वैज्ञानिक के कार्य को दार्शनिक के कार्य के साथ विभेदित किया । पोपर ने लार्ड एक्टन के लेखांश को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने यह अभिकथित किया है :–

''विज्ञान से संबद्ध मनुष्य के लिए और कुछ भी अधिक आवश्यक नहीं होता, जितना कि उसका इतिहास और खोज की तर्कसंगतता ... वह तरीका जिसमें कोई त्रुटि खोजी जाती है, परिकल्पना का प्रयोग, परीक्षण का तरीका ।''

आत्यांतिक सत्य का प्रकटीकरण करने वाले 'विज्ञान' और अनिर्देशित आत्मवाद को समाविष्ट करने वाले 'पुरातत्व विज्ञान' के मध्य कल्पित विभेद मात्र एक सीमा है न कि संपूर्ण ब्रह्माण्ड । फिर भी जैसा कि अन्य विषयों में होता है, पुरातत्व विज्ञान प्रक्रिया का विषय है, चूंकि यह अनुमान से संबंधित विषय है । पुरातत्वविदों को (उत्खनन के परिणामस्वरूप होने वाली) प्राप्तियों और साथ ही उनसे प्राप्त होने वाली 'वस्तुओं' पर विचार करना चाहिए । यद्यपि, निर्वचन इस विषय की आत्मा नहीं है, फिर भी हृदय तो अवश्य है । निर्वचनों में मतांतर हो सकते हैं और विशेषज्ञ एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं । जब विधि

निर्वचन की किसी प्रक्रिया को समझती है, तो उसको त्रुटियों की गुंजाइश और मतांतर को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिए । पुरातत्वीय निष्कर्ष अनेक निर्वचनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं । यह भागत:, पुरातत्वविदों की भूतकाल के बारे में संकल्पना का कार्य हो सकता है और उस भूतकाल के बारे में क्या चर्चा की जा सकती है जिसके बाबत पुरातत्वविद् गूढ़ अर्थ को समझने की ईप्सा रखते हैं । परंपराओं पर आधारित पुरातत्व विज्ञान भूतकाल से तथ्यों के बाबत पूछताछ करता रहा है । इसके विपरीत पुरातत्वविद् भूतकाल के बारे में किसी विश्वास को मान्यता प्रदान करते हैं । पुरातत्वविद् उन वैशिष्ट्य, जो अज्ञात हैं, को सुलझाए जाने के प्रयोजनार्थ व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्य को करते हैं । पुरातत्वविद् विषय पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ अंतर्निहित दृष्टिकोण द्वारा मार्गदर्शित होते हुए उसके समक्ष उपस्थित कार्य का निपटारा कार्य के प्रारंभ को रेखांकित करने वाले प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए करेगा । जहां तक हम विषय की सीमाओं और सीमा-रेखाओं को समझते हैं, हम कठिन स्थितियों से परहेज कर सकते हैं और बहुधा हाथ न आने वाले मध्य मार्ग अपनाए जाने के द्वारा उनकी खोज कर सकते हैं ।

493. सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया जिनमें हस्तलेखा विशेषज्ञों की ऐसी रिपोर्टों पर विचार किया गया है जो 'सामान्यतया कमजोर प्रकृति की होती हैं' और जिनको महत्व देने में न्यायालय सामान्यत: बहुत सावधान रहते हैं । साक्ष्य के इस स्वरूप को 'दुविधाजनक' अभिनिर्धारित किया गया है और कुछ इस प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है जिसको निश्चायक साक्ष्य माना जाता है । इसके कारण को **श्री श्री श्री किशोर चंद्र सिंह देव** बनाम **बाबू गणेश प्रसाद भगत**[1] वाले मामले में इस आधार पर स्पष्ट किया गया है कि हस्तलेखा विशेषज्ञों के निष्कर्षों को 'मात्र हस्तलेखा की तुलना' के प्रयोजनार्थ प्राप्त किया जाता है । इस सिद्धांत को **श्रीमती भगवान कौर** बनाम **श्री महाराज कृष्ण शर्मा**[2] वाले मामले में दोहराया गया । **मुरारी**

---

[1] ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 316.

[2] (1973) 4 एस. सी. सी. 46.

लाल बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र हस्तलेखा विशेषज्ञ की राय के आधार पर किसी को दोषसिद्ध किया जाना असुरक्षित होगा । इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को सूत्रबद्ध करते हुए उल्लेख किया कि विशेषज्ञ के साक्ष्य को प्रदान किया गया महत्व उस विज्ञान की प्रकृति पर आधारित होता है, जिस विज्ञान पर वह आधारित है । ऐसे मामलों, जिनमें प्रश्नगत विज्ञान की सत्यसाधनीयता और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के संघटक समाविष्ट होते हैं, तो विशेषज्ञ का साक्ष्य उस सीमा तक कुछ सम्मान की अपेक्षा करेगा । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :–

> "4. यदि कोई विज्ञान अधिक विकसित और परिपूर्ण होता है, तो उसके प्रयोग के आधार पर प्राप्त अभिमत के अशुद्ध होने के अवसर भी उतने ही कम होते हैं और यदि विज्ञान अविकसित और अपरिपूर्ण होता है तो उसके शुद्ध होने के अवसर उतने ही कम होते हैं । अंगुलियों के चिह्नों की पहचान के विज्ञान ने लगभग परिपूर्णता प्राप्त कर ली है और इस विज्ञान के प्रयोग के आधार पर अभिमत के अशुद्ध होने का जोखिम व्यावहारिक रूप से अविद्यमान है । इसके विपरीत हस्तलेखा की पहचान का विज्ञान वर्तमान में अत्यधिक परिपूर्ण नहीं है और इसलिए इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के अशुद्ध होने का जोखिम भी अधिक है ... ।"

अतः, न्यायालय ने उपरोक्त उद्धरण में अंगुली की छापों की पहचान और हस्तलेखा विशेषज्ञों के अभिमत के मध्य विभेद किया है । इसलिए, जो महत्व विशेषज्ञ के साक्ष्य को दिया जा सकता है, वह अंतर्निहित विज्ञान, जिसके आधार पर विशेषज्ञ अपना मत व्यक्त करते हैं, की प्रकृति पर आधारित होता है । इस न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सुखदेव सिंह**[2] वाले मामले में हस्तलेखा की पहचान के विज्ञान की अपरिपूर्ण प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:–

> "29. ... किंतु चूंकि हस्तलेखा की पहचान का विज्ञान तुलना के द्वारा अचूक विज्ञान नहीं है, इसलिए विवेक के आधार पर यह

---

[1] (1980) 1 एस. सी. सी. 704.

[2] (1992) 3 एस. सी. सी. 700.

आवश्यक है कि न्यायालय को ऐसे किसी भी अभिमत पर कार्रवाई करने के पूर्व स्वीकृत लिखावटों, जिनको तुलना का एकमात्र आधार बनाया गया है, के लेखकों के बारे में पूर्णत: संतुष्ट होना चाहिए और न्यायालय को हस्तलेखा विशेषज्ञ की सक्षमता और विश्वसनीयता के बारे में पूर्णत: संतुष्ट होना चाहिए... ।

यह सत्य है कि विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी हस्तलेखा विशेषज्ञ के साक्ष्य पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी संपुष्टि न्यायालयों द्वारा सारभूत रूप से नहीं की जाती, किंतु न्यायालय हस्तलेखा की पहचान के विज्ञान की अपरिपूर्ण प्रकृति और उसके अशुद्ध होने की स्वीकार्यता के कारण इस प्रकार के अभिमत वाले साक्ष्य पर अधिक भरोसा नहीं करते और अंतर्निहित रूप से भरोसा करने में शिथिल रहते हैं ...।”

[इस संदर्भ में **शशी कुमार बनर्जी** बनाम **सुबोध कुमार बनर्जी**[1] और **एस. पी. एस. राठौर** बनाम **सी. बी. आई.**[2] और **चेन्नादी जलपथी रेड्डी** बनाम **बद्दम प्रतापा रेड्डी**[3] वाले मामलों को भी देखें]

वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अरोड़ा द्वारा पुरातात्विक साक्ष्य की तुलना हस्तलिपि विश्लेषण से किए जाने का प्रयास त्रुटिपूर्ण है । इस निवेदन का अवलंब लिए जाने का अर्थ किसी पुरातत्वविद् से अपेक्षित ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का गलत मूल्यांकन करना होगा । अत: उत्खनन करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है ।

प्रक्रिया

494. उच्च न्यायालय ने उत्खनन के अभिलेख के संरक्षण के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए थे । तारीख 5 मार्च, 2003 को उच्च न्यायालय के आदेश पश्चात् महानिदेशक द्वारा चौदह सदस्यीय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम का गठन किया गया था । उच्च न्यायालय ने तारीख 11 मार्च, 2003 को निर्देशित किया कि उत्खनन के स्थल का

---

[1] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529.

[2] (2017) 5 एस. सी. सी. 817.

[3] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1098.

एक सामान्य सर्वेक्षण और गड्ढों के अभिन्यास को मुकदमेबाजी के पक्षों या उनके काउंसेलों की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा । वीडियोग्राफी के लिए आदेशित किया गया था और उसके परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना था । उत्खनन में बरामद सामग्री को स्थल के निकट स्थित एक इमारत में 'तालाबंद और सीलबंद' के रूप में संरक्षित किए जाने के लिए भी निर्देश दिया गया था । उत्खनन के कार्य की आवधिक प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई । उच्च न्यायालय को समय-समय पर खोदे गए गड्ढों, उत्खनन की प्रकृति और बरामद सामग्री के बारे में सूचित किया गया था । उच्च न्यायालय ने तारीख 26 मार्च, 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम को उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं, जिन्हें पार्टियों की उपस्थिति में सील किया जाना था, को अभिलिखित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक रजिस्टर बनाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे :–

> "(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल अपने रजिस्टर, जो उनके द्वारा (गड्ढों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में) बनाया जाएगा और उस रजिस्टर में उस गड्ढे, जिसमें वस्तुएं पाई जाती हैं, की मीटर/फीट में गहराई का उल्लेख करेगा । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उक्त रजिस्टर में अपने निर्वचन के अनुसार भूमि की सतह का भी उल्लेख करेगा ।
>
> (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित पक्षों या उनके काउंसेल के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा ।
>
> (iii) उक्त रजिस्टर में उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं की प्रकृति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए अर्थात् हड्डियों और चमकदार वस्त्रों इत्यादि को ।
>
> (iv) पक्षकारों/काउंसेलों की उपस्थिति में निष्कर्षों को सीलबंद किया जाएगा और मुकदमा लड़ने वाले पक्षों या उसके काउंसेलों, जो मौके पर मौजूद हैं, के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे ।
>
> (v) यदि उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं की प्रकृति निश्चित नहीं है, तो तद्नुसार एक टिप्पण अभिलिखित किया जा सकता है और जब उस वस्तु को सीलबंद अभिरक्षा से बाहर निकाला जाएगा, तो

> न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् उसकी प्रकृति को सत्यापित किया जा सकता है ।”

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा रंगीन और काले सफेद, दोनों प्रकार की तस्वीरें लिए जाने का निर्देश दिया गया था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा किए गए दिन-प्रतिदिन के कार्यों का एक रजिस्टर तैयार किए जाने का भी निर्देश दिया गया था । पक्षों को गड्ढों की उत्खनन के काम के पर्यवेक्षण की भी अनुमति प्रदान की गई थी । उच्च न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की :–

> 228 ... 4. सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के विद्वान् काउंसेल जिलानी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पहले ही खोदे जा चुके गड्ढों में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् एक ही समय में दो से अधिक गड्ढों का उत्खनन इस कारणवश नहीं किया जाना चाहिए कि पक्षकार या उनके काउंसेल एक ही समय में दो से अधिक गड्ढों के उत्खनन का पर्यवेक्षण कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे । अधीक्षण पुरातत्वविद् और दल के प्रमुख श्री बी. आर. मणि ने तारीख 22 मार्च, 2003 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने गड्ढों के चारों तरफ 0.5 मीटर का स्थान छोड़ते हुए 4 x 4 मीटर के क्षेत्रफल वाले अनेक गड्ढों की खुदाई की है । यदि ये गड्ढे एक-दूसरे से सटे हुए हैं, तो मुकदमे के पक्षों या उनके काउंसेलों और नामांकितों द्वारा इस बात पर नजर रखी जानी चाहिए थी । हमने मुकदमे के प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञा प्रदान की है कि वे अपने-अपने काउंसेलों और साथ ही नामांकितों (एक समय में एक नामांकित) के साथ कार्य का पर्यवेक्षण करें । इसका परिणाम यह होगा कि मुकदमे के प्रत्येक पक्ष की तरफ से तीन पर्यवेक्षक उपस्थित होंगे । यदि दो गड्ढों के बीच दूरी अत्यधिक है और उनमें से किसी के भी द्वारा अन्य गड्ढे के पर्यवेक्षण में कठिनाई आ रही है, तो वे इस संबंध में अपनी शिकायत विधि सम्मत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल को उत्खनन के मामले में पक्षों और उनके काउंसेलों के विश्वास को सुनिश्चित करना होगा । तथापि, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमने शीघ्रतापूर्व

उत्खनन किए जाने के लिए निर्देशित किया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा दो से अधिक गड्ढों को भी खोदा जा सकता है, किंतु पक्षों का विश्वास खोए बिना ।

एक अन्य सुझाव प्रस्तुत किया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल और उत्खनन के कार्य के लिए श्रमिकों की नियुक्ति में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए । उच्च न्यायालय द्वारा भी यह निर्देश देते हुए इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के गठन और स्थल पर तैनात श्रमिकों में दोनों समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए । पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला न्यायाधीश रैंक के दो न्यायिक अधिकारियों को कार्य के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ तैनात किया गया । उत्खनन की प्रक्रिया को पक्षों की उपस्थिति में संचालित किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शासित किया गया ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके । इस कार्य को सुकर बनाए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेखों के परिरक्षण, उत्खनन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफों का परिरक्षण और कार्य के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ दो न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति के लिए भी निर्देशित किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2003 को उत्खनन कार्य की समाप्ति के पश्चात् किंतु अंतिम रिपोर्ट तैयार किए जाने के पूर्व समस्त गड्ढों को सुरक्षित रखे जाने के लिए आगे निर्देश जारी किए गए ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल को अपना अध्ययन पूर्ण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सुविधा हो ।

495. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में दी गई रिपोर्ट में दस अध्याय हैं जिनमें निम्नलिखित अध्याय समाविष्ट हैं :–

अध्याय I परिचय

अध्याय II कटाई

अध्याय III स्तर विज्ञान और कालक्रम

अध्याय IV संरचना

अध्याय V मिट्टी के बर्तन

अध्याय VI वास्तुशिल्प के टुकड़े

अध्याय VII टेराकोटा की मूर्तियां

अध्याय VIII शिलालेख, मुहरें, मुहरबंदी और सिक्के

अध्याय IX विविध वस्तुएं

अध्याय X परिणामों का सारांश

रिपोर्ट के परिशिष्ट I से IV में निम्नलिखित सूचनाएं समाविष्ट हैं :

परिशिष्ट I-सी 14, अयोध्या में उत्खनन से लकड़ी के कोयले के नमूनों की डेटिंग

परिशिष्ट II-क विभिन्न गड्ढों से संबंधित प्लास्टर के नमूनों, जिनको अयोध्या से संग्रहीत किया गया, के रासायनिक विश्लेषण पर रिपोर्ट

परिशिष्ट II-ख विभिन्न गड्ढों से संबंधित फर्श के नमूनों, जिनको अयोध्या से संग्रहीत किया गया, के रासायनिक विश्लेषण पर रिपोर्ट

परिशिष्ट III स्थल रासायनिक उपचार और उत्खनित कलाकृतियों का संरक्षण

परिशिष्ट IV लखनऊ स्थित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पूर्ण न्यायपीठ के निर्देशानुसार आंकड़ों के प्रपत्र पर सूचना ।

496. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने तारीख 22 अगस्त, 2003 को अपनी अंतिम रिपोर्ट संपूर्ण अभिलेखों, जिनमें कार्यस्थल पर तैयार की गई टिप्पण पुस्तिकाएं, श्रृंखला, रजिस्टर, स्थल टिप्पण पुस्तिकाएं और एक हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्कों के साथ एक लैपटॉप समाविष्ट है, प्रस्तुत कर दी । वे अभिलेख जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है, को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा पारित निर्णय के पैरा 241 में सारणीबद्ध किया गया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट का

आकलन करते समय, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दल के द्‌वारा इस बात को सुनिश्चत किया गया था कि उत्खनन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक और पारंपरिक, दोनों प्रकार से अभिलिखित किया जाए, उत्खनन के अनुक्रम में एक संरचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । जो कुछ भी उत्खनित किया गया है और पाया गया है, तथ्य का विषय है । नि:संदेह रूप से पुरातत्वविदों को उत्खनन से प्रकट होने वाले आंकड़ों को एक विशिष्ट संदर्भ से संबद्‌ध करना होगा । आंकड़ों के आधार पर निकाले गए अनुमानों की प्रक्रिया विषय के रूप में पुरातत्व विज्ञान का अनिवार्य तत्व होता है, किंतु इस संपूर्ण कार्रवाई को अनुमानिक और काल्पनिक के रूप में अस्वीकार किया जाना विषय और अंतर्निहित प्रक्रिया, दोनों के साथ अन्याय होगा । सुश्री अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला कोई निवेदन नहीं किया । इस पृष्ठभूमि में इस तथ्य का भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि किसी भी पक्ष द्‌वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के किसी भी सदस्य को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI, नियम 10(2) के उपबंधों के अधीन परीक्षण के लिए तलब नहीं किया गया ।

ईदगाह पक्ष की प्रतिरक्षा

497. वाद संख्या 5 में वादियों का पक्षकथन यह है कि विवादित स्थल के नीचे प्राचीन मंदिर दबा हुआ है, जो विक्रमादित्य के काल का है और जिसको बाबर की सेना के सेनापति मीर बाकी द्‌वारा ध्वस्त कर दिया गया था और तत्पश्चात् उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था । वादियों ने यह भी अभिकथित किया है कि मस्जिद के निर्माण के लिए प्रयोग की गई सामग्री ध्वस्त किए गए मंदिर का मलबा था जिसमें काले कसौटी पत्थर के स्तंभ भी सम्मिलित थे ।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने अपने लिखित कथन में इस बात से इनकार किया है कि बाबरी मस्जिद के स्थल पर विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित कोई मंदिर विद्‌यमान था । उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि मस्जिद का निर्माण भूमि के नीचे दबे हुए मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग करके उसी स्थल पर किया गया था जहां पर मंदिर स्थित था । सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने अपने लिखित कथन के पैरा 24(ख) में यह भी अभिकथित किया है कि :–

> "सम्राट बाबर सुन्नी मुस्लिम था और जिस खाली भूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह राज्य के क्षेत्रों में स्थित थी और किसी से संबंधित नहीं थी ...।"

अत: सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि विवादित स्थल के नीचे कोई मंदिर विद्यमान है अथवा भूमि के नीचे दबे हुए मंदिर को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था ।

498. आरंभिकत:, जिस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया गया वह वाद संख्या 5 में वादपत्र के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी और यह थी कि भूमि के नीचे ऐसा कोई भी ढांचा नहीं दबा हुआ था, जिसको मस्जिद के निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया था । सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अभिलिखित निष्कर्षों को चुनौती देते हुए अपने पक्षकथन को परिवर्तित किया और यह दावा किया कि वे ढांचे, जो उत्खनन के अनुक्रम के दौरान प्रकट हुए 'ईदगाह' या 'कनाती मस्जिद' के थे । वास्तव में यह वह पक्षकथन नहीं था जिसका अवलंब सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड द्वारा अपने अभिवचनों में लिया गया और यह पक्षकथन उनके इस पक्षकथन के प्रत्यक्षत: विपरीत था कि मस्जिद किसी विद्यमान मंदिर के स्थल पर निर्मित नहीं की गई थी बल्कि रिक्त भूमि पर निर्मित की गई थी । भूमि के नीचे कराए गए उत्खनन में ईदगाह की विद्यमानता के संदर्भ को पुरातत्वविदों के साक्षियों – डा. जया मेनन (वादी साक्षी 29), डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) और आर. सी. ठाकरान (वादी साक्षी 30) के माध्यम से साबित कराए जाने की ईप्सा की गई थी ।

वाद संख्या 5 में वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने दलील दी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड द्वारा पेश किए गए किसी भी साक्षी ने किसी ईदगाह की विद्यमानता के बाबत शपथपूर्वक कोई कथन नहीं किया । माननीय उच्च न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की :–

> "3809. आरंभिकत:, वाद संख्या के वादियों का पक्षकथन यह था कि विवादित भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया था

जहां न तो ... कोई हिंदू धार्मिक ढांचा विद्‌यमान था और न ही विवादित स्थान (क) उपासना का स्थान था ... तथापि, जब उत्खनन की कार्यवाही आगे बढ़ी, तो (वाद संख्या 4) के वादियों के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया, जो सुव्यक्त है । पुरातत्वविदों में से कुछ पुरातत्वविद, जिन्होंने बाद में (वाद संख्या 4) के वादियों के पक्ष में शपथपूर्वक कथन किए ... एक नए पक्षकथन का अवलंब लेने का प्रयास किया कि जो ढांचा विवादित भवन के नीचे विद्‌यमान है, वह इस्लामी धार्मिक ढांचा प्रतीत होता है या विवादित स्थल पर इस्लामी धार्मिक ढांचा विद्‌यमान था जब विवादित भवन का निर्माण किया गया । वाद संख्या 4 द्‌वारा यह सुझाव दिया गया कि वह ढांचा या तो ईदगाह थी या कनाती मस्जिद, जिसमें पश्चिमी दिशा में आला के साथ केवल एक लंबी दीवार का निर्माण किया गया था । आठ विशेषज्ञ मुस्लिम पक्षों के मध्य इस बाबत सहमति प्रतीत होती है जिनमें से अधिकांश विवादित ढांचे के नीचे किसी ढांचे की विद्‌यमानता को स्वीकार करते हैं । उपरोक्त दृष्टिकोण कि पूर्ववर्ती ढांचा इस्लामी धार्मिक ढांचा था, में विवाद ढांचे के नीचे विवादित स्थल पर किसी गैर-धार्मिक ढांचे की संभाव्यता को अपवर्जित किया गया है । यह दृष्टिकोण इस प्रश्न के बाबत हमारी जांच को संकीर्ण कर देता है कि क्या ऐसा ढांचा इस्लामी धार्मिक ढांचा या गैर-इस्लामी ढांचा अर्थात् हिंदू धार्मिक ढांचा हो सकता था ।"

जिस प्रतिरक्षा का अवलंब लिया गया वह यह थी कि क्या पूर्व विद्‌यमान ढांचा मूलत: इस्लामिक ढांचा था । इस प्रतिरक्षा का अवलंब लिए जाने के पश्चात् यह विवाद्‌यक संकीर्ण हो गया कि क्या पूर्व विद्‌यमान ढांचा मूलत: इस्लामिक ढांचा या गैर-इस्लामिक ढांचा था । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर दबा हुआ था और उनके इस विचार की शुद्‌धता का परीक्षण किया गया ।

499. उत्खनन के दौरान, 28 दीवारों का पता चला, जैसा कि रिपोर्ट के साथ संलग्न चित्र 3-क में दर्शित किया गया है । इन दीवारों में से दीवार संख्या 1 से 15 या तो विवादित ढांचे से संबंधित हैं या उसी काल

में निर्मित की गई थी । दीवार संख्या 16 से 28 विवादित ढांचे के निर्माण के भी पूर्व निर्मित दीवारें हैं और उनको भूमि के नीचे पाया गया । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि दीवार संख्या 16 की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 1.77 मीटर थी । इसके नीचे के भाग में ईंटों की दस पंक्तियां मूल रूप से निर्मित थीं जबकि ऊपर की छह पंक्तियां बाद में निर्माण के पश्चात्वर्ती चरण में जोड़ी गई थीं :–

> "दीवार संख्या 16 की वर्तमान में लंबाई लगभग 50 मीटर है और इसके मध्य में अप्रकट भाग की चौड़ाई 1.77 मीटर है । इसके नीचे के भाग में ईंटों की दस पंक्तियां मूल रूप से निर्मित हैं और निर्माण के प्रथम चरण से संबंधित हैं, किंतु ऊपर के भाग में लगी हुई ईंटों की पंक्तियां, जैसा कि गड्ढा संख्या ई-6, ई-7 और ई-8 में देखा गया है, को पश्चात्वर्ती तारीखों में जोड़ा गया – चार पंक्तियों को निर्माण के द्वितीय चरण के दौरान और शिखर की दो पंक्तियों को उस समय जोड़ा गया जब विवादित ढांचे के बाहर उसकी दक्षिणी लंबाई को पश्चात्वर्ती निर्माणों में ढांचा संख्या 3 के साथ नए ढांचे के लिए दीवार की चौड़ाई घटाए जाने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया । रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दीवार संख्या 16 के प्रथम चरण में इसके भीतरी भाग में चूने का प्लास्टर किया गया था जबकि इसके विपरीत इस दीवार की ऊंचाई बढ़ाए जाते समय द्वितीय चरण में प्लास्टर किया गया था । द्वितीय चरण में दीवार के निर्माण के दोनों चरणों में अंतरालों पर कुछ वर्ग गुहिकाएं हैं जिनका प्रयोग दीवार को मजबूती प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया था ...।"

दीवार संख्या 16 और 17 समान उत्तर-दक्षिण संरेखण में पाई गईं :

> "... दीवार संख्या 16 और 17 जेडई-1 और जेडएफ-1 गड्ढों में उत्तर-दक्षिण अभिविन्यास में लगभग समान संरेखण में पाई गईं ।"

दीवार संख्या 17 ईंट की दीवार है, जो उत्तरी क्षेत्र में ईंट की चार पंक्तियों और दक्षिणी क्षेत्र में ईंट की छह पंक्तियों सहित 1.86 मीटर चौड़ी थी । दीवार संख्या 17 और साथ ही दीवार संख्या 16 की भी

समान थी । दीवार संख्या 17 निचले स्तर पर निर्मित थी :–

> "...दीवार 17, जो ईंटों द्वारा निर्मित दीवार है, को 1.86 मीटर चौड़ा पाया गया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र (पीआई-50) में अधिकतम चार पंक्तियां समाविष्ट थीं और दक्षिण क्षेत्र में छह पंक्तियां समाविष्ट थीं । इस दीवार की लंबाई वही पाई गई, जो दीवार संख्या 16 की पाई गई थी, यद्यपि मुख्य दिशा में इसके अभिविन्यास में कुछ विचलन था । अत:, यह दीवार संख्या 16 के मुकाबले निचले स्तर पर स्थित है और उत्तरी क्षेत्र में दीवार संख्या 16 के लगभग समानांतर है और दक्षिणी क्षेत्र में दीवार संख्या 16 के नीचे आती है जैसाकि गड्ढ़ा डी-7 में देखा गया है जहां उत्तरी भाग में इसको दीवार संख्या 16 के 0.74 मीटर नीचे दर्शित किया गया है और दक्षिणी भाग में इस दीवार को दीवार संख्या 16 के 1.07 मीटर नीचे दर्शित किया गया है और इसके शीर्ष पर पत्थर की अलंकृत शिलाएं स्थापित की गई हैं जिसको इसकी नींव के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिसंभाव्य रूप से दीवार संख्या 16 के निर्माण के समय इसके पृष्ठावरण (पीआई-51) पर भी पुनर्स्थापित किया गया है । उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में बड़े क्षेत्र में फैला हुआ परिवर्तनशील मोटाई के साथ रोड़ी (पीआई-52) का मोटा फर्श भी दीवार संख्या 17 के साथ संलग्न पाया गया ।"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में भीतरी दीवारों, जो उत्तरी और दक्षिणी, दोनों क्षेत्रों में दीवार संख्या 16 के साथ संलग्न है, की विद्यमानता अभिलिखित है । उत्तरी क्षेत्र में भीतरी दीवार (दीवार संख्या 18-क) पूर्व-पश्चिम दिशा में 15 मीटर की लंबाई तक विस्तारित है । इसी प्रकार से उत्खनन में यह पाया गया कि दो समानांतर दीवारें (दीवार संख्या 18-ग और घ) भी विद्यमान है । तद्नुसार, इन निष्कर्षों के आधार पर यह उपदर्शित होता है कि यह पक्षकथन कि दीवार संख्या 16 ईदगाह की एकमात्र दीवार थी, असत्य साबित हो जाता है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विवादित स्थल के नीचे इस्लामिक ढांचा विद्यमान था । इसके अतिरिक्त, मस्जिद के नीचे ईदगाह की विद्यमानता के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा से यह अनुध्यात होता है कि मस्जिद का निर्माण

ध्वस्त ईदगाह की नींव पर किया गया था । यह दावा दूर की परिकल्पना होने के अतिरिक्त उत्खनन के दौरान की गई प्राप्तियों की प्रकृति के आधार पर भी असत्य साबित हो जाता है । अत: ईदगाह द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा पश्चात्वर्ती विचार है, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों के सर्वथा विपरीत है । यह प्रतिरक्षा इस आरंभिक पक्षकथन से भ्रमित किए जाने का प्रयास था कि मस्जिद रिक्त भूमि पर निर्मित की गई थी । भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा इस्लामिक प्रकृति का ढांचा नहीं था ।

विवादित ढांचा और स्तंभ आधार

500. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि विवादित ढांचा या ढांचा संख्या 3 को प्रत्यक्षत: ढांचा संख्या 4, जो कि पूर्ववर्ती निर्माण है, के ऊपर निर्मित पाया गया । ढांचा संख्या 4 में 50 मीटर लंबी दीवार (दीवार संख्या 16) समाविष्ट थी, जिसके पूर्व में प्रकट रूप से पचास आधार स्तंभ विद्यमान थे, जो तल संख्या 2 या ढांचा संख्या 4 के अंतिम चरण के तल के साथ संलग्न थे ।

इस रिपोर्ट में यह उल्लिखित है :–

> "स्तंभ आधार की प्रथमदृष्ट्या स्थिति उसके शीर्ष पर स्थापित किया गया एक वर्गाकार बलुआ पत्थर की शिला और उस शिला के चारों किनारों पर स्थिर किए गए ऊर्ध्वस्थितिज (ऑर्थोस्टैट्स) हैं जो तल संख्या 2 के निर्माण काल के हैं और जिनके द्वारा प्राथमिक रूप से निर्मित स्तंभ के लिए आधार प्रदान किया गया था । उसकी नींव वृत्ताकार या वर्गाकार या अनियमित आकार की थी, जिसको मिट्टी के गारे में ईंटों की सतह बिछाए जाने के द्वारा निर्मित किया गया था, उनमें से अधिकांश स्तंभ फर्श संख्या 4 पर टिके हुए थे, जिनके शीर्ष पर चूने की गारे की सहायता से बलुआ पत्थर या कंक्रीट की शिलाएं स्थापित की गई थीं, ये शिलाएं ईंटों की सतह से घिरी हुई थीं और किसी-किसी स्थान पर बलुआ पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था, जिनको वांछित ऊंचाई और सतह प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया था ।
>
> उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ स्तंभ आधारों की सत्रह पंक्तियां

प्रकाश में आईं, प्रत्येक पंक्ति में पांच स्तंभ आधार थे । उभरे हुए चबूतरे पर अस्थाई ढांचे के नीचे केंद्रीय भाग में स्तंभ आधार उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र के बाबत अधिरोपित निर्बंधनों के कारण खोजे नहीं जा सके । उत्खनन के द्वारा खोजे गए 50 स्तंभ आधारों में से 12 स्तंभ आधार पूर्णतया अनावृत्त हो गए थे, 35 स्तंभ आधार भागत: अनावृत्त हुए जब की 3 स्तंभ आधारों को खंडों में खोजा जा सका । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि स्तंभ आधारों के मूल स्वरूप में अनावृत्त होने के पश्चात् विभिन्न सतहों के साथ उनके समावेश और उनकी भार वहन करने की क्षमता के संबंध में विवाद पर विचार नहीं किया गया :–

> "... वर्तमान उत्खनन ने स्तंभ आधारों के मूल स्वरूप को प्रकाश में लाए जाने और पत्थरों की शिलाओं को व्यवस्थित किए जाने और उनको ईंटों की नींव के ऊपर उचित तरीके में जमाए जाने और विवादित ढांचे के पूर्व विद्यमान ढांचे के शीर्ष तल के साथ समावेश को सम्मिलित करते हुए पंक्तियों में व्यवस्थित किए जाने के द्वारा विवाद को समाप्त कर दिया है ।"

छियालीस स्तंभ आधार तीसरे तल से संबंधित है और अवधि VII के हैं, जो बारहवीं शताब्दी का काल है, जबकि चार स्तंभ आधार चौथे तल से संबंधित हैं, जो ग्यारहवीं शताब्दी का काल है । स्तंभ आधारों की 17 पंक्तियां उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थित ईंटों की दीवार (दीवार संख्या 16) के साथ निर्मित की गईं थीं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में स्तंभ आधारों की व्यवस्था के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्तंभों वाले ढांचे का केंद्रीय भाग महत्वपूर्ण था और वास्तुकला योजना के दौरान इसको विशेष महत्व दिया गया था । स्तंभ आधार संख्या 32 पर अलंकृत अष्टकोणीय बलुआ पत्थर की शिला जिसके चारों कोनों पर फूलों के रूपांकन दृश्यमान हैं और जो दक्षिणी क्षेत्र में गड्ढ़ा संख्या एफ-7 में अनावृत्त हुई, अभिकथित रूप से विवादित स्थल पर उपस्थित विलक्षण उदाहरण है, जो बारहवीं शताब्दी से संबंधित है और जिसकी तुलना सारनाथ में पाए जाने वाले स्तंभ आधारों से की जा सकती है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में इसी पृष्ठभूमि में विचार व्यक्त किए गए हैं और इसके आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस प्रकार है :–

"3904. रिपोर्ट के परिशीलन से, विशेष रूप से पृष्ठ 54 के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रकाश में आए समस्त 50 स्तंभ आधार तल संख्या 2 के साथ संलग्न है और यह स्तंभ आधार 1200 ए. डी. के हैं और उनमें से अधिकांश तल संख्या 4, जो सर्वप्रथम तल है, पर टिके हुए हैं । रिपोर्ट के पृष्ठ 69 पर निर्दिष्ट कार्बन डेटिंग रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि जेडएच-1 के रूप में चिह्नांकित गड्ढे में तल संख्या 2 और 3 के मध्य सूचित अवधि 900-1300 ए. डी. के मध्य की है, जिससे प्रथमदृष्ट्या यह स्प्ष्ट होता है कि तल संख्या 2 का निर्माण 1300 ए. डी. के पश्चात् और 900 ए. डी. के पूर्व नहीं किया गया था । जबकि तल संख्या 2 का निर्माण 900 ए. डी. के पूर्व किया गया था । रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रकाश में आए समस्त स्तंभ आधार तल के साथ संलग्न हैं, जो विवादित ढांचे के तल के निर्माण के पूर्व विद्यमान था । स्तंभ आधार को उसी गड्ढे अर्थात् जेडएच-1 में तल के साथ पाया गया, जो तल संख्या 2/3 के साथ स्तंभ आधार और तल की पुष्टि करता है और सी-14 के साथ स्तंभ आधार तल संख्या 2 और 3 (पृष्ठ संख्या 28 पर स्तंभ आधार का क्रम संख्या 47) के मध्य के काल का है । जेडएच-1 के उसी स्तंभ आधार का अनुमान भूगर्भरोधी रडार द्वारा किए गए सर्वे में अनियमितता के आधार पर लगाया गया था । इसलिए, यह स्पष्ट है कि तल संख्या 4 जो स्तंभ आधारों की नींव को मजबूती प्रदान करता है, अवधि VII-क (रिपोर्ट का पृष्ठ 42 और आकृति संख्या 23 और पट्टी संख्या 35) से संबंधित अत्यधिक विस्तृत तल था । अवधि VII-क की समयावधि बारहवीं शताब्दी के आरंभ की है ।"

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकला है कि विवादित ढांचे के नीचे, एक विशाल ढांचा विद्यमान है ।

वृत्ताकार पूजा स्थल

501. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट एक पूर्व दिशा का सामना करने वाले ईंटों द्वारा निर्मित पूजा स्थल की उपस्थिति को निर्दिष्ट करती है, जिसको ढांचा संख्या 5 (फोटोग्राफों की पट्टी 59 और 60 के अनुरूप) के रूप में चिह्नांकित किया गया है । वृत्ताकार ढांचे के

पूर्व में एक आयताकार बहिर्गत भाग स्थित है और इस बहिर्गत भाग में एक ढलाव या जल निकासी का स्थान बना हुआ है, जो भारतीय पुरातत्व दल के अनुसार जल की निकासी के लिए निर्मित परनाला है । अभिकथित रूप से ईंटों द्वारा निर्मित वृत्ताकार पूजा स्थल मध्य प्रदेश में चंद्रेहा नामक स्थान पर रीवा के निकट स्थित शिव मंदिरों के समरूप है और 950 ए. डी. से संबंधित एक मसान और एक विष्णु मंदिर और एक अन्य मंदिर, जिसमें कुरारी के स्थान पर कोई देवता विराजमान नहीं है और फतेहपुर जिला में तिंदुली नामक स्थान पर सूर्य मंदिर भी स्थित है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने यह अनुमान निकाला कि शैली के आधार पर वृत्ताकार पूजा स्थल दसवीं शताब्दी ए. डी. के काल का है ।

श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने उपरोक्त निष्कर्षों के संदर्भ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के निवेदन के खंडन के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया कि उनके द्वारा पेश किए गए ये साक्षी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते । विशेषज्ञ साक्षियों के शपथपूर्व कथनों से निकाले गए निम्नलिखित उद्धरणों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है :–

(i) सूरज भान (वादी साक्षी 16) :

"मैं मंदिर के अवशेषों के बाबत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट से इस सीमा तक सहमत हूं कि ये अवशेष किसी मंदिर के हो सकते हैं ।"

(ii) डी. मंडल (वादी साक्षी 24) :

"...दीवार संख्या 17 में एक सजावटी पत्थर स्थापित किया गया है । इस सजावटी पत्थर पर पुष्पों की आकृतियां बनी हुई हैं ऐसा पत्थर हिंदू मंदिरों में प्रयोग किया जाता है ।"

"...यह कहना सही है कि विवादित स्थल पर मुगल काल के पूर्व भी निर्माण संबंधी क्रियाकलाप किए गए थे । एक पुरातत्वविद् के रूप में मैं उत्खनन के दौरान विवादित ढांचे के नीचे किसी अन्य ढांचे की खोज की बात को स्वीकार करता हूं ।'

(iii) सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) :

"... मैं ढांचे की विद्यमानता के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूं, किंतु मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा किए गए निर्वचन से असहमत हूं । फिर भी यह कहना सही है कि विवादित ढांचे का निर्माण रिक्त भूमि पर नहीं किया गया था ।"

(iv) डा. अशोक दत्ता (वादी साक्षी 31) :

"... मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हूं कि विवादित ढांचे के नीचे दीवारों और तलों के स्वरूप में बड़ी संख्या में ढांचे दबे हुए हैं । यह संभव है कि दीवार संख्या 1 से 15 विवादित ढांचे से संबंधित हो । दीवार संख्या 16 और उसके पश्चात् की दीवारें विवादित ढांचे के निर्माण के पूर्व की अवधि से संबंधित है ।"

उच्च न्यायालय ने वृत्ताकार पूजा स्थल पर विचार करते हुए यह मताभिव्यक्ति की :–

"3937. ऊंचाई वाला स्थान, जैसाकि चित्र (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में आकृति संख्या 17 है) में दर्शित किया गया है, से यह स्पष्ट होता है कि यह ढांचा उठे हुए चबूतरे अर्थात् अधिष्ठान पर निर्मित किया गया था । इस ढांचे की उत्तरी दिशा में परनाला या नाली का निर्माण किया गया था । यह ढांचा नवीं-दसवीं शताब्दी (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने सी-14 का विनिर्धारण इस सतह से किया और अशांकित तारीख 900 ए. डी. से 1300 ए. डी. के मध्य की है) की अवधि का हो सकता है ।

3938. यह एक स्वतंत्र लघु पूजा स्थल था । वास्तु कला संबंधी लक्षणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह शिव का पूजा स्थल था ।

3939. इस बात पर विचार किया जा सकता है कि आक्षेपकर्ता शिव के पूजा स्थल पर उपस्थित इन स्पष्ट लक्षणों के बावजूद इस स्थान की पहचान एक मुस्लिम मकबरे के रूप में कर रहे हैं ।

3940. द्वितीयत:, यह ढांचा मकबरे के प्रयोजनार्थ अत्यंत लघु आकार का ढांचा है, जिसके भीतर का स्थान मात्र 4.4 वर्गफीट का है । इस स्थान में कोई कब्र बनाई जा सकती है और न ही इसकी पश्चिमी दीवार पर किबलाह – मेहराब की आकृतियां हैं; किबलाह सल्तनत अवधि (1192-1526 ए. डी.) के दौरान मकबरे की ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होता था, जैसाकि संपूर्ण उत्तर भारत में अनेक उदाहरणों द्वारा दर्शित किया गया है ।

3941. तृतीयत:, मेहराब, जो मकबरे के ऊपर गुंबद के निर्माण के लिए अपेक्षित होता है, का कोई भी चिह्न उपस्थित नहीं है । यह स्पष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ कि मेहराब मौजूद था, उसके दबाव को बर्दाश्त करने के लिए कोई हुक शाफ्ट और संरचनात्मक चिह्न नहीं पाए गए । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि मेहराब का उप ढांचा चारों कोनों के किनारों पर भव्यतापूर्वक निर्मित है ताकि किसी भी पश्चात्वर्ती दबाव को संभाला जा सके । इस बात पर किसी को भी आश्चर्य होगा कि यह स्थान बिना किसी मेहराब और गुंबद के मकबरा था और इसमें कोई कब्र भी नहीं थी ?

3942. अत: एक तरफ तो इस ढांचे का आयाम (लंबाई-चौड़ाई) किसी मकबरे को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक लघु प्रकृति का है और दूसरी तरफ मकबरों में परनाला कभी नहीं होता था, जब कि परनाला शिव मंदिरों के गर्भगृह का अभिन्न अंग हुआ करता था, जो शिवलिंग पर अर्पित किए गए जलाभिषेक के जल की निकासी के लिए प्रयोग किया जाता था ।

3943. पूजा स्थल पवित्र स्थान होता है, जहां ईश्वर की उपासना की जाती है । यह एक ऐसा ढांचा होता है, जहां ईश्वर को प्रतिस्थापित किया जाता है । केवल इनकार के प्रयोजनार्थ इनकार की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए । 'इस ढांचे को किसी पूजा स्थल के रूप में साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई साक्ष्य' और 'एक कोरी कल्पना और बिना किसी साक्ष्यिक आधारों के अनुमान', जैसी टिप्पणियां बिना किसी तकनीकी दक्षता के ही की जा सकती हैं और इन टिप्पणियों के आधार पर यह स्पष्टत: दर्शित होता है

कि तर्कसंगत सोच की सर्वथा कमी है । ये टिप्पणियां स्वयमेव ही ऐसी दलीलें हैं जिनमें 'साक्ष्यिक आधार' की सर्वथा कमी है । वादी द्वारा इस प्रकार की और ऐसी ही अनेक दलीलें दिए जाने से यह दर्शित होता है कि वह 'शुतुरमुर्ग जैसे रवैए वाला व्यक्ति है ।

3944. किसी ढांचे की पहचान उसके आकार और/या प्रयोग, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है या उस कार्य, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना अपेक्षित होता है, द्वारा की जाती है । यह वृत्ताकार ढांचा एक सुपरिभाषित 'परनाला' (अर्पित किए गए जल की निकासी के लिए निर्मित रास्ता) के साथ पाया गया था । परनाला को भली-भांति नाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है, किंतु वह स्थान जहां से यह आरंभ होता है मात्र 40 x 60 मीटर वाला स्थान (जिसमें उपासना की वस्तु को स्थापित किए जाने के प्रयोजनार्थ रिक्त आयताकार खोखला कक्ष भी सम्मिलित है) है, जिसको स्नान कक्ष या रसोई जैसे किसी अनुकल्पिक कक्ष, जहां से जल की निकासी अपेक्षित होती है, के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, अत: जो एकमात्र विधिमान्य स्पष्टीकरण उपलब्ध है, वह यह है कि पाया गया 'परनाला' एक मंदिर का परनाला है, चाहे वह आकार में लघु ही क्यों न हो और वह स्थान केंद्रीय/मुख्य देवता के स्थान वाला मुख्य पूजा स्थल न हो ।

3945. वृत्ताकार पूजा स्थल दीवार संख्या 19क और अन्य के ऊपर टिका हुआ पाया गया, यह एकमात्र ऐसा तथ्य है, जो 'वृत्ताकार पूजा स्थल' को पाई गई उक्त दीवारों के समकालीन साबित नहीं करता चूंकि 'वृत्ताकार पूजा स्थल' में कार्य करने के लिए उपलब्ध सतह अत्यधिक ऊंची है और केवल वृत्ताकार पूजा स्थल की नींव विद्यमान दीवारों, जिनको वृत्ताकार पूजा स्थल के नींव के रूप में सम्मिलित किया गया, के ऊपर टिकी है, ये दीवारें निश्चित रूप से वृत्ताकार पूजा स्थल के लिए नींव उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ निर्मित नहीं है । प्रकटत:, जब वृत्ताकार पूजा स्थल का निर्माण किया गया था, तो दीवार संख्या 19क और अन्य दीवारें भूमि के नीचे दबी हुईं थीं और वृत्ताकार पूजा स्थल की नींव केवल उस सतह तक पहुंच सकी थी ।'

वृत्ताकार पूजा स्थल के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए । यह पहलू वृत्ताकार पूजा स्थल के ऊपर स्तंभ आधारों की उपस्थिति से संबंधित है । इस पहलू को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण महत्व को अभिनिश्चित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा दलील दी गई कि जहां तक चूना और सुरखी का संबंध है, यह एक प्रकार की विशिष्ट सामग्री होती है, जिसका प्रयोग इस्लामी ढांचों में किया जाता था । सुश्री अरोड़ा की इस दलील का खंडन करते हुए श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने सूरज भान (वादी साक्षी 16) द्वारा किए गए शपथपूर्वक कथन का अवलंब लिया और यह दलील दी :–

> "यह कहना सही है कि चूने का पानी पाया गया जिसका प्रयोग तीसरी शताब्दी ए. डी. में तक्षशिला और पाकिस्तान में कुषाण अवधि के दौरान किया जाता था ..."

इसी प्रकार से डा. जया मेनन (वादी साक्षी 29) ने अभिकथित किया कि :–

> "...चूने का गारा निश्चित रूप से नव पाषाण अवधि में प्रयोग किया जाता था ।"

अत: चूना सुरखी के प्रयोग पर और अधिक विस्तारपूर्वक चर्चा अपेक्षित नहीं है ।

वास्तुशिल्प से संबंधित खंड

502. अयोध्या स्थित विवादित स्थल के पुरातात्विक उत्खनन के परिणामस्वरूप वास्तुशिल्प से संबंधित खंडों की प्राप्ति हुई, जैसेकि आयताकार स्तंभ, टूटे हुए दरवाजों की चौखटें, लिंटल (बिम्ब), बंधनी इत्यादि ।[1] इन वस्तुओं को disjecta membra या टूटे हुए खंडों के रूप

---

[1] "पिलास्टर एक आयताकार खंभा या आयताकार स्वरूप होता है जो एक दीवार से बाहर निकला हुआ भाग होता है और उत्कृष्ट वास्तुकला से संबंधित अनेक आदेशों में से एक आदेश के अनुरूप होता है और इसमें एक मेहराब समाविष्ट होता है । – The Concise oxford Dictionary of Art Terms, Oxford Paperback Reference, OUP Oxford, 2010 पृष्ठ 191.

में उन क्षेत्रों से प्राप्त किया गया, जो टीले की सतह से आरंभ होकर पर्याप्त गहराई में गड्ढों, जिनका उत्खनन किया गया, तक फैले हुए थे ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अध्याय VI, जिसमें वास्तुशिल्प से संबंधित खंडों पर विचार किया गया है, में यह अभिकथित किया गया है कि प्राप्तियों में से कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं प्राप्त हुईं जो निम्नलिखित हैं :–

> "कुछ अक्षुण्ण पुरातात्विक वस्तुओं जैसेकि अमलका (पट्टी संख्या 81, आकृति संख्या 59), घाटा पल्लव आधार के साथ स्तंभ, जिनके साथ भार उठाने वालों के रूप में बौनों की आकृतियां विद्यमान हैं और कीरितीमुख (पट्टी संख्या 82-83, आकृति संख्या 59) इत्यादि कुछ वस्तुएं हैं, जिनका उल्लेख किया गया है, की भी प्राप्ति हुई है । इन वस्तुओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी पुरातात्विक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं जिनको गहराईपूर्वक उत्कीर्णन वाले पत्तों की आकृतियों द्वारा सजाया गया है । इन आकृतियों का स्वरूप उन आकृतियों से भिन्न है, जो 'छाप' के कार्य (पट्टी संख्या 86-87) से मिलती-जुलती हैं । यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि समान प्रकृति की सजावटी डिजाइनों के साथ विभिन्न पुरातात्विक वस्तुएं, जिनको ईंटों द्वारा निर्मित किसी विशाल ढांचे (दीवार संख्या 16) की बुनियाद में प्रयोग किया जाता है, पाई गई हैं (देखें अध्याय IV ढांचे) जिनको इन उत्खननों में अनावृत्त किया गया ।
>
> इस स्थल से प्राप्त पूर्वोक्त स्तंभ और अन्य सजावटी पुरातात्विक वस्तुएं जैसेकि अर्ध आयताकार स्तंभ (पट्टी संख्या 85) के साथ टूटी हुई चौखटों के खंड, स्तंभ के अष्टकोणीय शाफ्ट के खंड (पट्टी संख्या 84), श्रीवत्स की मूर्ति के साथ वर्गाकार पटिया (पट्टी संख्या 88), कमल पदक आकृति के खंड (पट्टी संख्या 89-90) सुस्पष्टत: वर्णित करते हैं कि वे किसी मंदिर के वास्तुशिल्प से संबद्ध हैं । शैली के आधार पर समान रूप से ये वास्तुशिल्प से संबंधित वस्तुएं और विशेष रूप से स्तंभ दसवीं-बारहवीं शताब्दी ए. डी. की अवधि से संबंधित माने जा सकते हैं । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा कि ये वास्तुशिल्प से

संबंधित कुछ वस्तुएं (पट्टी संख्या 92-94) हैं, जिनको शैली के आधार पर स्पष्टत: इस्लामिक वास्तुशिल्प से संबद्ध किया जा सकता है और जो सोलहवीं शताब्दी ए. डी. या उसकी पश्चात्वर्ती अवधि से संबंधित हो सकती है ।

वास्तुशिल्प से संबंधित इन खंडों के अतिरिक्त आलिंगन मुद्रा में बैठी हुई अवस्था में दैवीय युगल की अत्यधिक विकृत मूर्ति भी प्राप्त हुई है । इस दैवीय युगल की मूर्ति के विद्यमान अवशेषों में कमर, जांघ और पैर दर्शित हैं (पट्टी संख्या 235) ।"

503. हमने सुनवाई के अनुक्रम के दौरान उन पट्टियों का परिशीलन किया, जिनको उत्खनन के दौरान प्राप्त वास्तुशिल्प के खंडों के रूप में फोटोग्राफों में दर्शित किया गया है । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई दैवीय युगल की मूर्ति, जैसाकि पट्टी संख्या 235 में दर्शित किया गया है, के बाबत अभिव्यक्ति 'दैवीय युगल' के प्रयोग की आलोचना की । काउंसेल द्वारा की गई आलोचना आधारहीन है । उपरोक्त पट्टी में दर्शित मूर्ति (जैसाकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में अभिकथित किया गया है) 'अत्यधिक विकृत' अवस्था में है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल के अनुसार इस मूर्ति के जो भाग शेष हैं, में युगल की कमर, जांघ और पैर दर्शित होते हैं । यह पुरातत्व अनुभव का कल्पनाशील बहिर्वेशन भी हो सकता है । किंतु इसको 'दैवीय युगल' कहा जाना कल्पनाशीलता की पहुंच के परे होगा । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने इस विमर्श को पृथक् करते हुए और अन्य समस्त निष्कर्षों का समुच्चयबोधक विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया कि शैलीगत रूप से वास्तुशिल्प पर आधारित निष्कर्ष और विशेष रूप से स्तंभ दसवीं से बारहवीं शताब्दी ए. डी. की समयावधि से संबंधित हैं और मंदिर के वास्तुशिल्प के प्रारूप पर आधारित है । यह अनुमान, जैसाकि वह उपरोक्त उद्धरण से प्रतीत होता है, 'आलिंगन मुद्रा' में पाए गए युगल की मूर्ति से स्वतंत्र है । अत: उपरोक्त मूर्ति को विमर्श से पृथक् करते हुए किसी विशेषज्ञ के लिए यह एक युक्तिसंगत आधार होगा कि वह उपरोक्त अनुमान का अवलंब ले ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने उत्खनन के अनुक्रम के दौरान एक 'अमलका' प्राप्त किया, जो आम तौर पर एक खंड या नोकदार

गोलाकार पत्थर की डिस्क होता है, जिसके किनारे पर लकीरें होती हैं और जो हिंदू मंदिरों, उनके शिखरों या मुख्य टावर के शीर्ष पर स्थित होता है ।[1] अमलका कमल के फूल के सदृश्य होता है और यह देवता का प्रतीक होता है, जो इसके ऊपर विराजमान होते हैं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने उत्खनन के दौरान एक 'घटपालव' मूर्ति भी प्राप्त की, जो देवता को अर्पित किए जाने वाले अनुष्ठानिक भोग से संबद्ध होती है और जिसका प्रयोग पूजा स्थलों में प्रतीक के रूप में सजावट के प्रयोजनार्थ किया जाता है ।

504. सुश्री अरोड़ा ने अपने इस निवेदन के समर्थन में कि यह वास्तुशिल्प से संबंधित खंड हिंदू धार्मिक ढांचों के अलावा बौद्ध या जैन ढांचों से भी संबंधित हो सकते हैं, जयंती प्रसाद (प्रतिवादी साक्षी 20/5) और डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) के परिसाक्षियों का अवलंब लिया । डा. सुप्रिया वर्मा ने अभिकथित किया कि यह स्थान उन स्थानों जैन या बौद्ध ढांचों का भाग हो सकता है या यह भी संभव है कि यह स्थान किसी इस्लामिक ढांचे से संबंधित हो । उपरोक्त दोनों साक्षियों द्वारा दिए गए शपथपूर्वक कथनों के उद्धरणों को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "(क) श्री जयंती प्रसाद श्रीवास्तव (प्रतिवादी साक्षी 20/5), जो एक विशेषज्ञ साक्षी हैं और जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का समर्थन किया –
>
> > '... जैनियों के मंदिरों में बड़े मंदिर पाए जाते हैं किंतु वास्तुशिल्प से संबंधित पद्धति वही होती है अर्थात् उत्तर भारत की शिखर वाली शैली ...'
>
> (ख) डा. सुप्रिया वर्मा (वादी साक्षी 32) ने शपथपूर्वक कथन किया –
>
> > 'मेरा सुस्पष्टत: विचार है कि यह कहना अत्यंत कठिन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्ष केवल हिंदू धार्मिक ढांचों से संबंधित हैं क्योंकि ये

---

[1] एडम हार्डी, भारतीय मंदिर वास्तुकला : स्वरूप और परिवर्तन : कामता द्रविड़ परंपरा, सातवीं से तेरहवीं शताब्दी, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (1995).

> ढांचे कुछ अन्य स्थानों के भी भाग हो सकते हैं, जैसेकि बौद्ध ढांचे, जैन ढांचे और इस्लामिक ढांचे ...'"

बौद्ध या जैन पद्धतियों की संभव कड़ियों को अपवर्जित नहीं किया जा सकता । वास्तव में पुरातात्विक या ऐतिहासिक सामग्री का निर्धारण करते समय एक आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । वास्तव में, वर्तमान मामले में किया गया उत्खनन अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के संगम की ओर संकेत करता है ।

शपथपूर्वक किए गए इन कथनों का विश्लेषण किए जाने पर हमारे समक्ष आवश्यक रूप से जो विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या ये कथन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में समाविष्ट संपूर्ण निष्कर्षों को अविश्वसनीय बना देंगे । विशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञों में मतभेद हो सकते हैं और होते हैं । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में समाविष्ट यह तथ्य कि उत्खनन के दौरान प्राप्त कुछ खंड किसी इस्लामिक ढांचे से संबंधित हैं, का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में किया गया है । इस रिपोर्ट में पट्टी संख्या 92-94 द्वारा चिह्नित खंडों के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिनको 'शैली के आधार पर इस्लामिक वास्तुशिल्प से स्पष्टतः सहबद्ध किया जा सकता है ।' इसलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में वास्तुशिल्प से संबंधित उन प्राप्तियों को चित्रित किया गया है, जो सोलहवीं शताब्दी के इस्लामिक वास्तुशिल्प से संबंधित हैं । यहां तक कि प्रतिवादी साक्षी 20/5 और प्रतिवादी साक्षी 32 से इस बाबत मत प्राप्त किए जाने के द्वारा कि प्राप्तियां बौद्ध और जैन ढांचों या स्थानों के भी संगत हो सकती हैं, हमारे समक्ष जो उल्लेखनीय बिंदु उद्भूत होता है, यह है कि वे खंड गैर इस्लामिक काल के हैं (सिवाय उन विनिर्दिष्ट कलाकृतियों के, जिनकी पहचान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में इस्लामिक काल की कलाकृति के रूप में की गई है, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है) ।

यदि इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और उसका

निर्वचन किया जाना चाहिए । यह अनुचित होगा कि उन निष्कर्षों को अस्वीकृत कर दिया जाए, जिनको एक विशेषज्ञ दल द्वारा निकाला गया हो और जिसके लिए विशेषज्ञ दल ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत उत्खनन का कार्य किया हो और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से प्राप्त हुई प्राप्तियों का विश्लेषण किया हो ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सूत्रीकरण किए जाने के पश्चात् उत्खनन से प्राप्त सामग्री का सतर्कतापूर्वक विश्लेषण किया गया । अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अनेक स्थानों पर हुई प्राप्तियों के संबंध में विभिन्न विचार संभव हो सकते हैं । तथापि, माननीय न्यायालय को जिस परीक्षण का अवलंब लेना चाहिए, वह यह है कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष न्यायसंगत है ।

505. यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विरुद्ध असद्भाव और पक्षपात के आरोप लगाए गए, किंतु विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल सुश्री अरोड़ा ने विनिर्दिष्ट रूप से निवेदन किया कि वर्तमान अपीलों में उनके द्वारा इस बाबत किसी भी पक्षकथन पर बल नहीं दिया जा रहा है । वास्तव में जब श्री वैद्यनाथन ने सुश्री अरोड़ा के पक्षपात और असद्भाव से संबंधित एक निवेदन का अवलंब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए कार्य के संबंध में लिया, तो सुश्री अरोड़ा ने मध्यक्षेप करते हुए अभिकथित किया कि उन्होंने इस प्रकार का कोई भी निवेदन नहीं किया ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट की आलोचनाओं में एक आलोचना यह भी है कि उत्खनन में प्राप्त हड्डियों के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया और उत्खनन में प्राप्त बर्तनों की थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग भी नहीं कराई गई । न्यायमूर्ति अग्रवाल ने उल्लेख किया कि हड्डियों का विश्लेषण जानकारीपूर्ण होता यदि उन हड्डियों को नियमित सतह से अभिप्राप्त किया गया होता । तथापि, इस मामले में हड्डियों को एक भराई वाले स्थान से प्राप्त किया गया है और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि उन हड्डियों का 'कोई

महत्व नहीं है' । ऐसा भी प्रतीत होता है कि उत्खनन में प्राप्त बर्तनों के थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की सुविधा लखनऊ स्थित संस्थान में उपलब्ध नहीं थी और इसलिए सी-14 के तिथि निर्धारण के लिए चारकोल के नमूने उपलब्ध कराए गए थे । पुन: उत्खनन में प्राप्त बर्तनों का विश्लेषण नहीं किया गया था । यह स्पष्टीकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को संपूर्णता में अविश्वसनीय ठहराए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं है ।

सबूत का स्तरमान

506. न्यायालय सिविल विचारण के दौरान सबूत के स्तरमान को लागू करते हैं, जो अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा शासित होते हैं । ये स्तरमान को कभी-कभी अधिसंभाव्यताओं के संतुलन या साक्ष्य की प्रबलता के रूप में भी वर्णित किए जाते हैं । '**फिप्सन ऑन एविडेंस**'* नामक पुस्तक में स्तरमान को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया गया है । इसलिए यदि साक्ष्य ऐसी प्रकृति का है कि न्यायालय यह कह सके 'यदि हम इसे महत्वहीन के स्थान पर अधिक अधिसंभाव्य प्रतीत करते हैं', तो भार का निर्वहन हो जाएगा, किंतु यदि अधिसंभाव्यताएं समान हैं, तो ऐसा नहीं होगा । लार्ड डैनिंग (जो उस समय माननीय न्यायाधीश थे) ने **मिलर** बनाम **मिनिस्टर आफ पेंशन्स**[1] वाले मामले में निर्णय पारित करते हुए संतुलन के सिद्धांत या अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया :–

> "(1) ... <u>यह आवश्यक नहीं है कि निश्चितता तक पहुंचे, किंतु इसको अधिसंभाव्यता के उच्च स्तर का होना चाहिए । युक्तिसंगत संदेह के परे सबूत का यह अर्थ नहीं होता कि वह संदेह की परिधि के परे हो । विधि समाज का संरक्षण करने में विफल हो जाएगी, यदि वह न्याय के सीधे मार्ग का अनुगमन न करके अनुमानिक संभाव्यताओं को स्वीकार करना आरंभ कर देगी</u> । यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य इतना अधिक सुदृढ़ होता है कि उसके

---

* साक्ष्य पर फिप्सन द्वारा लिखित पुस्तक "फिप्सन ऑन एविडेंस", सोलहवां संस्करण, पृष्ठ 154-155.

[1] (1947) 2 ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट 372.

पक्ष में बच निकलने की संभाव्यताएं अत्यधिक असंभव हो जाती हैं, तो उन संभाव्यताओं को एक वाक्य के द्वारा खारिज किया जा सकता है, 'निश्चित रूप से यह संभव है, किंतु दूरस्थ अधिसंभाव्यता के मामले में नहीं' और ऐसी स्थिति में मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो जाता है, किंतु उससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

विधि इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है कि अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के स्तरमान के भीतर अधिसंभाव्यताओं की विभिन्न श्रेणियां हो सकती हैं । इस सिद्धांत को न्यायाधीश लार्ड डेनिंग द्वारा संक्षेप में **बाटेर** बनाम **बाटेर**[1] वाले मामले में स्पष्ट किया गया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया :–

"इसलिए सिविल मामलों में पक्षकथन को अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा साबित किया जाना चाहिए किंतु अधिसंभाव्यताओं की श्रेणियां स्तरमान के भीतर होनी चाहिए । श्रेणियां विषयवस्तु पर निर्भर होती हैं ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में 'साबित' अभिव्यक्ति की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में :–

"**साबित** – कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो वह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है ।"

तथ्य का सबूत उसकी विद्यमानता पर आधारित होता है । न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निम्नलिखित पर आधारित होने चाहिए :–

---

[1] (1951) पृष्ठ 35.

(क) किसी प्रज्ञावान व्यक्ति, जो इस अनुमान के आधार पर कार्य करता है कि कोई तथ्य विद्यमान है, का परीक्षण; और

(ख) किसी विशिष्ट मामले के संदर्भ और परिस्थितियों में ।

इसका विश्लेषण करते हुए न्यायमूर्ति वाई वी. चंद्रचूड़ (जो तत्समय माननीय मुख्य न्यायमूर्ति थे) ने **डा. एन. जी. दस्ताने** बनाम **एस. दस्ताने**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :–

> "अत: इस तथ्य की विद्यमानता के संबंध में विश्वास अतिसंभाव्यताओं के संतुलन में पाया जाता है । प्रज्ञावान व्यक्ति, जो किसी तथ्यात्मक स्थिति से संबंधित परस्पर टकराव वाली अधिसंभाव्यताओं का सामना इस विश्वास के आधार पर करता है कि वह तथ्य विद्यमान है, तो वह विभिन्न अधिसंभाव्यताओं का विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता विशिष्ट तथ्य की विद्यमानता के पक्ष में है । अत: न्यायालय किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के रूप में किसी परीक्षण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ लागू करेगा कि क्या किसी विवाद्यक को साबित कहा जा सकता है । इस प्रक्रिया में, जो प्रथम कार्रवाई की जानी है, वह अधिसंभाव्यताओं का निर्धारण है, द्वितीय कार्रवाई उनका विश्लेषण है, यद्यपि ये दोनों बहुधा मिश्रित हो सकती हैं । इनमें से जो कार्रवाई असंभव हो, उसको प्रथम प्रक्रम पर ही समाप्त कर दिया जाता है और अधिसंभाव्य को द्वितीय प्रक्रम पर समाप्त किया जाता है । न्यायालय के समक्ष बहुधा अधिसंभाव्यताओं की व्यापक श्रेणी के भीतर भिन्न विकल्प उपलब्ध होता है किंतु यह विकल्प ही है, जो अंतत: इस बात का विनिर्धारण करता है कि अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता कहां पर है । महत्वपूर्ण विवाद्यक जैसेकि वे विवाद्यक, जो पक्षों की हैसियत को प्रभावित करते हैं, की सतर्कतापूर्वक संवीक्षा उन विवाद्यकों के मुकाबले की जानी चाहिए जैसेकि किसी प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋण – 'किसी विवाद्यक की प्रकृति और उसकी घोरता आवश्यक रूप से उस विवाद्यक की

[1] (1975) 2 एस. सी. सी. 326.

सत्यता के युक्तिसंगत समाधान को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ तरीके का विनिर्धारण करती है' [राइट **बनाम** राइट (1948) 77 सी. एल. आर. 191, 210 वाले मामले में न्यायाधीश डिक्सन के अनुसार]; या जैसाकि लार्ड डेनिंग द्वारा कहा गया है 'अधिसंभाव्यता की श्रेणी विषयवस्तु पर निर्भर करती है । इसके अनुपात में जैसाकि अपराध घोर प्रकृति का है, अत: सबूत भी स्पष्ट होना चाहिए [ब्लिथ **बनाम** ब्लिथ (1966) 1 ए. ई. आर. 524, 536]' किंतु क्या विवाद्यक एक प्रकार की क्रूरता या किसी प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋण है, यहां पर जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह यह है कि क्या अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर सुसंगत तथ्य साबित हो गया है । सिविल मामलों में यह सामान्यत: सबूत का स्तरमान है, जो इस बाबत निष्कर्ष निकाले जाने के लिए लागू किया जाता है कि क्या साबित करने के भार का निर्वहन हो गया है ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

न्यायालय ने इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की कि अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के मापदंडों के अंतर्गत अधिसंभाव्यता की श्रेणी अंतर्वलित विषयवस्तु पर आधारित होती है । माननीय न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण गोपाल**[1] वाले मामले में यह मताभिव्यक्ति की :–

"अधिसंभाव्यताओं की संकल्पनाओं और श्रेणियों को स्पष्टत: उन इकाइयों, जिनकी संगणना गणितीय रूप से इस बाबत की जाती है कि उन इकाइयों में से कितनी इकाइयां युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत गठित करती हैं, में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । अधिसंभाव्यताओं की श्रेणियों के मूल्यांकन में एक अन्य अचूक व्यक्तिपरक तत्व और सबूत की मात्रा विद्यमान होती है । अंतिम विश्लेषण में फोरेंसिक (न्याय संबंधी) अधिसंभाव्यता को सुदृढ़ सामान्यबोध पर और अंतत: न्यायाधीश के प्रशिक्षित सहजबोध पर आधारित होना चाहिए ।"

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया है ।)

[1] (1988) 4 एस. सी. सी. 302.

507. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :–

"4055. अंततः न्यायालय द्वारा संपूर्ण चर्चा और ऊपर उल्लिखित सामग्री के आधार जो अनुमान लगाया जा सकता है, वह यह है –

(i) विवादित ढांचे का निर्माण किसी रिक्त अछूती, खाली और खुली भूमि पर नहीं किया गया;

(ii) इस भूमि पर विवादित स्थल पर एक ढांचा विद्यमान था, यद्यपि वह ढांचा अधिक बड़ा नहीं था किंतु फिर भी विवादित ढांचे जितना बड़ा था या आकार में उससे भी बड़ा था;

(iii) विवादित ढांचे के निर्माता पूर्ववर्ती ढांचे के विवरणों, उसकी मजबूती, क्षमता और दीवारों के आकार इत्यादि के बारे में जानते थे और इसलिए उन्होंने आगे बिना कोई सुधार किए दीवारों इत्यादि का प्रयोग विवादित ढांचे के निर्माण में करने में कोई हिचक नहीं दिखाई;

(iv) पूर्ववर्ती ढांचा धार्मिक प्रकृति का था और वह गैर-इस्लामिक प्रकृति का भी था ...;

(v) पूर्ववर्ती ढांचे की सामग्री जैसेकि पत्थर, स्तंभ, ईंटें ... का प्रयोग विवादित ढांचे के निर्माण में किया गया था; और

(vi) यदि हम इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि उत्खनन के दौरान प्राप्त कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जिनका प्रयोग अन्य धर्मों में भी किया जाता है, तो भी उत्खनन के दौरान प्राप्त अधिकांश कलाकृतियां गैर-इस्लामिक प्रकृति की हैं अर्थात् हिंदू धार्मिक स्थानों से संबंधित हैं । समान रूप से कोई कलाकृति इत्यादि जिसका प्रयोग केवल इस्लामिक धार्मिक स्थानों में किया जा सकता है, नहीं पाई गई ।"

न्यायमूर्ति एस. यू. खान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं दिया । माननीय न्यायमूर्ति जिन कारणोंवश ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए आनत हुए वे सत्याभाषी नहीं हैं । विद्वान् न्यायाधीश ने प्रथमत: यह मताभिव्यक्ति की कि यह निष्कर्ष कि दसवीं शताब्दी और उसके पश्चात्वर्ती अवधि से विवादित ढांचे के निर्माण की अवधि तक संरचनात्मक चरणों में निरंतरता के जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, वे अभिवचनों, गज़ेटियरों और ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रत्यक्षत: टकराव में है । इस सर्वव्यापी निष्कर्ष का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है । उत्खनन का प्रयोजन न्यायालय द्वारा कराए गए निर्धारण को यह विनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ समर्थ बनाना था कि क्या विवादित ढांचा किसी पूर्व विद्यमान मंदिर के स्थल पर निर्मित किया गया था । क्या विक्रमादित्य द्वारा मंदिरों के निर्माण के पश्चात् और मस्जिद के निर्माण तक विवादित ढांचे के नीचे निर्माण से संबंधित कोई क्रियाकलाप चलता रहा, ऐसा मामला था जिसका परिणाम स्थल पर उत्खनन कराए जाने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकता था । द्वितीय कारण यह था कि यदि किसी मंदिर को मस्जिद के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त कर दिया गया था, तो मंदिर का विशाल ढांचा 'भूमि के नीचे नहीं हो सकता था' । यह पुन: शुद्धत: अनुमान है । तत्पश्चात् विद्वान् न्यायाधीश ने पुरातात्विक अवशेषों पर इस आधार पर अविश्वास किया कि ऐसा केवल किसी प्राकृतिक आपदा के मामले में होता है जब इस प्रकार की सामग्री 'भूमि के नीचे चली जाती है' और अन्यथा यह भी संभव है कि कोई जर्जर भवन सदियों के पश्चात् भूमि के नीचे दफन हो गया हो । माननीय न्यायाधीश ने मताभिव्यक्ति की कि इस प्रकार की न तो कोई अपेक्षा और न ही कोई प्रथा रही है कि मंदिर की नींव में भी ऐसी वस्तुएं विद्यमान हों, जो विशाल ढांचे की प्रकृति की तरफ संकेत करती हों । न्यायमूर्ति एस. यू. खान की यह मताभिव्यक्तियां और निष्कर्ष काल्पनिक और आधारहीन हैं ।

तृतीय विद्वान् न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वी. शर्मा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में समाविष्ट निष्कर्षों का अवलंब लिया है ।

508. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

दल की रिपोर्ट के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों, जिनको ऊपर उद्धृत किया गया है, स्वीकार किए जाने योग्य है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट में समाविष्ट सामग्री के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं :–

(i) बाबरी मस्जिद का निर्माण रिक्त भूमि पर नहीं किया गया था;

(ii) उत्खनन से विवादित ढांचे के नीचे भूमि के भीतर दबे हुए ढांचे की उपस्थिति उपदर्शित होती है;

(iii) भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा भूमि के ऊपर विद्यमान ढांचे से यदि बड़े आयाम का नहीं था तो कम से कम विवादित ढांचे के समान तो अवश्य था;

(iv) स्तंभ आधारों की उपस्थिति को देखते हुए उत्खनन के दौरान भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे की दीवारों के प्रकाश में आने के आधार पर विवादित ढांचे की उपस्थिति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से समर्थन प्राप्त होता है;

(v) भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा इस्लामिक प्रकृति का ढांचा नहीं था;

(vi) विवादित ढांचे की नींव भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे की दीवारों पर टिकी हुई है और पुरातात्विक अवशेषों को सम्मिलित करते हुए कलाकृतियों, जिनको उत्खनन के दौरान प्राप्त किया गया, भिन्न गैर-इस्लामिक काल से संबंधित हैं । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि पाई गई कलाकृतियों में से कुछ कलाकृतियां बौद्ध या जैन काल के ढांचों में भी प्रयोग की जाती थी, फिर भी इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा इस्लामिक धार्मिक प्रकृति का ढांचा है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया, वह यह है कि भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे की प्रकृति और उत्खनन के दौरान की गई प्राप्तियों से शैलिगत आधार पर बारहवीं शताब्दी ए. डी. के मंदिर के ढांचे की विद्यमानता स्पष्ट होती है । क्या अधिसंभाव्यताओं के संतुलन के आधार पर यह एक ऐसा निष्कर्ष होगा, जिसको साक्ष्य द्वारा

समर्थित किया गया हो । इस निष्कर्ष को साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त न होने के आधार पर या अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के परीक्षण के परे अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, जैसाकि सिविल विचारण के दौरान आवश्यक होता है ।

सावधानियां

509. हमको ऐसा कहते हुए निम्नलिखित सावधानियों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को भी पढ़ना चाहिए :-

(i) यद्यपि उत्खनन के आधार पर वृत्ताकार पूजा स्थल की विद्यमानता प्रकट हुई, फिर भी सारगर्भित रूप से एक सातवीं से नौवीं शताब्दी ए. डी. के काल का शिव मंदिर भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे में पाया गया, जो बारहवीं शताब्दी ए. डी. के काल से संबंधित है । गोलाकार पूजा स्थल और स्तंभ आधारों के साथ भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा तीन से पांच शताब्दियों की दो अलग-अलग समयावधियों से संबंधित हैं;

(ii) इस बाबत कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि भूमि के नीचे दबा हुआ ढांचा एक मंदिर था, जो भगवान राम को समर्पित था;

(iii) यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल ने इस बाबत विनिर्दिष्ट रूप से विचार व्यक्त नहीं किया है कि क्या किसी मंदिर को विवादित ढांचे के निर्माण के प्रयोजनार्थ ध्वस्त किया गया था, यद्यपि रिपोर्ट के आधार पर यह प्रकटीकरण हुआ है कि विवादित ढांचे का निर्माण स्थल पर किया गया था और इसके निर्माण के प्रयोजनार्थ भूमि के नीचे दबे हुए ढांचे की नींव और सामग्री का प्रयोग किया गया था ।

शेष आगामी अंक में.......

संसद् के अधिनियम

[1][महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम], 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 सितम्बर, 2005]

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1][महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम], 2005 है ।

(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[3-4] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 46 की धारा 2 द्वारा (2.10.2009 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 2007 के अधिनियम सं. 23 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1.4.2008 का. आ. 1684 (अ), तारीख 28.9.2007.

[4] 2.2.2006 का. आ. 87 (अ), तारीख 24.4.2006 द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत ।

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है :

परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को, जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है, जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "ब्लाक" से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है ;

(घ) "केन्द्रीय परिषद्" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "गृहस्थी" से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत हैं, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित हैं और सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं ;

(छ) "कार्यान्वयन अभिकरण" में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर-सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्मिलित हैं ;

(ज) किसी क्षेत्र के संबंध में "न्यूनतम मजदूरी" से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है, जो उस क्षेत्र में लागू है ;

(झ) "राष्ट्रीय निधि" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिमानित कार्य" से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे किसी स्कीम के अधीन पूर्विकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए किया जाता है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "कार्यक्रम अधिकारी" से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ढ) "परियोजना" से आवेदकों को नियोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी स्कीम के अधीन किया जाने वाला कोई कार्य अभिप्रेत है ;

(ण) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(त) "स्कीम" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(थ) "राज्य परिषद्" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "अकुशल शारीरिक कार्य" से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है ;

(ध) "मजदूरी दर" से धारा 6 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी

3. **निर्धन गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी** – (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी

का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात् जिसको ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

अध्याय 3

नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता

4**. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीमें** – (1) धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम को अधिसूचित किए जाने तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना या भावी योजना या राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्य कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रवृत्त है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्कीम हेतु कार्रवाई योजना समझा जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में,

जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा, उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम बातों के लिए उपबंध करेगी ।

5**. गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें** – (1) राज्य सरकार अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं हैं ।

6. **मजदूरी दर** – (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी ।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी ।

7. **बेकारी भत्ते का संदाय** – (1) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा ।

(2) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदकों को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुए, ऐसी दर से जो राज्य परिषद् के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक बटा दो से अन्यून नहीं होगी ।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही –

(क) आवेदक को, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निदेशित किया जाता है ; या

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है ; या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष के भीतर कुल मिलाकर कम से कम सौ दिनों का कार्य प्राप्त कर लिया है ; या

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है ।

(4) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम स्तर की पंचायत है), जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, मंजूर और संवितरित किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उस तारीख से जिसको वह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी ।

8. **कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण न करना –** (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी भत्ते का समय पर या बिल्कुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है, तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पट्ट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा ।

(2) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलंब से संदाय के प्रत्येक मामले की जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की

गई वार्षिक रिपोर्ट में, ऐसे संदाय न करने या विलंब से संदाय के कारणों सहित, रिपोर्ट की जाएगी ।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट किए गए बेकारी भत्ते का संबंधित गृहस्थी को यथासंभव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी ।

9. **कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना** – कोई आवेदक जो –

(क) किसी स्कीम के अधीन अपनी गृहस्थी को उपलब्ध नियोजन स्वीकार नहीं करता है ; या

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है ; या

(ग) संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किए बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है,

तो वह तीन मास की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय बेकारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा किन्तु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार होगा ।

अध्याय 4

कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

10. **केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद्** – (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठित की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

(3) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों के, जिनके अन्तर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(ग) राज्य सरकारों के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(घ) पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंद्रह से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य :

परन्तु यह कि ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होंगे :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन नामनिर्देशित एक-तिहाई से अन्यून गैर-सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी :

परन्तु यह भी कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ;

(ङ) राज्यों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा अवधारित करे ;

(च) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक सदस्य सचिव ।

(4) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा केन्द्रीय परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11. **केन्द्रीय परिषद् के कृत्य और कर्तव्य** – (1) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना ;

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना ;

(ङ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ;

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

(2) केन्द्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करेगी या संगृहीत कराएगी ।

12. **राज्य रोजगार गारंटी परिषद्** – (1) राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और

पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार................(राज्य का नाम) राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक राज्य परिषद् का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य होंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन नामनिर्देशित गैर-सरकारी सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी :

परन्तु यह और कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक-तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ।

(2) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) अधिमानित कार्यों का अवधारण करना ;

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना ;

(घ) इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का समर्थन करना ;

(ङ) राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना ;

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् और राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

(4) राज्य परिषद् को, राज्य में प्रचलित स्कीमों का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करवाने की शक्ति होगी ।

13. **स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकारी –** (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, प्रधान प्राधिकारी होंगी ।

(2) जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्लाक अनुसार शेल्फ को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना ;

(ख) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और उन्हें मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लाक योजना का अनुमोदन करना ;

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लाक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने में पंचायत की सहायता करेगा ।

14. **जिला कार्यक्रम समन्वयक** – (1) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलक्टर या समुचित पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करे, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में जिला पंचायत की सहायता करना ;

(ख) ब्लाक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शेल्फ में सम्मिलित करने के लिए अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना ;

(ग) आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अनापत्ति, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रदान करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अपनी अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय करना ;

(ङ) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन, मानीटर और पर्यवेक्षण करना ;

(च) चल रहे कार्य का नियतकालिक निरीक्षण करना ; और

(छ) आवेदकों की शिकायतों को दूर करना ।

(4) राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों ।

(5) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी और जिले के भीतर कृत्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य अधिकारी, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाई गई स्कीमों के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसंबर मास में तैयार करेगा जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग और स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे होंगे और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा ।

15. **कार्यक्रम अधिकारी –** (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लाक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा ।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उद्भूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की मांग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लाक के लिए एक योजना तैयार करेगा ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को मानीटर करना ;

(ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना ;

(ग) ब्लाक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरंत और उचित संदाय सुनिश्चित करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है और यह कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गए आक्षेपों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ;

(ङ) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो ब्लाक के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हों ; और

(च) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कृत्य करेगा ।

(7) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा ।

16. **ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व –** (1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकेगी ।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले संभव कार्यों का एक शेल्फ रखेगी ।

(4) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारंभ से जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, की संवीक्षा और प्रारंभिक पूर्वानुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यों के बीच अग्रता का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी ।

(5) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को आबंटित करेगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा, –

(क) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल ; और

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची ।

(7) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आबंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगी ।

(8) किसी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा ।

17. **ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा** – (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी ।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी ।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य

संबंधित लेखा बहियां और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी ।

18. **स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व** – राज्य सरकार जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे अनिवार्य कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता, जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी ।

19. **शिकायत दूर करने हेतु तंत्र** – राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटान के लिए, नियमों द्वारा ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगी ।

अध्याय 5

राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा

20. **राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशि, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे, जमा कर सकेगी ।

(3) राष्ट्रीय निधि के खाते में जमा रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपयोग किया जाएगा ।

21. **राज्य रोजगार गारंटी निधि** – (1) राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राज्य रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी ।

(2) राज्य निधि के खाते में जमा रकम, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्‌वारा विहित की जाएं और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, व्यय की जाएगी ।

(3) राज्य निधि, राज्य सरकार की ओर से ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्‌वारा, जो राज्य सरकार द्‌वारा विहित किया जाए, धारित और प्रशासित की जाएगी ।

22. **वित्तपोषण पैटर्न** – (1) ऐसे नियमों के, जो केन्द्रीय सरकार द्‌वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :–

(क) स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी के संदाय के लिए अपेक्षित रकम ;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों को मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्‌वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाए, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची 2 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएं और ऐसी अन्य मद भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्‌वारा विनिश्चित की जाएं ।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :–

(क) स्कीम के अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत ;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अंतर्गत

अनुसूची 2 के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी का संदाय भी है ;

(ग) राज्य परिषद् के प्रशासनिक खर्च ।

23. **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, किसी स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत व्यय की समुचित बहियां और लेखा रखने की रीति विहित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्‌वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी ।

(4) नकद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबद्‌ध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगे ।

(5) यदि ग्राम पंचायत द्‌वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्‌वारा रखे शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उनकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाएगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित हैं जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्‌वारा सुलझाया जाना है तो

वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

24. **लेखाओं की संपरीक्षा** – (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेगी ।

(2) स्कीम के लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाएंगे ।

क्रमशः अगामी अंक में ....

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 16288/68

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ` 2,100/-, ` 1,300/- और ` 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को ऑन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in